Factual Report and Action Taken Report of the Joint Committee Constituted by Hon'ble NGT in Original Application No. 172/2025(CZ);

Kantilal Upadhyay & Ors. V/s State of Rajasthan and others

INDEX

S. No.	Particular	Page No.
1.	Report of Joint Committee	**1-4**
2.	**Annexure -1** Order sheet of Hon'ble NGT dated in the matter of Original Application No. 172/2025(CZ); Kantilal Upadhyay & Ors. V/s State of Rajasthan and others	**5-6**
3.	**Annexure -2** Order of joint committee constituted by District Collector, Rajasthan vide letter dated 19.02.2026 and revised letter dated 13.03.2026	**7**
4.	**Annexure -3** Photographs of the joint site visit and encroachments removed at Anand Sarovar and Manmohini Van	**8-11**
5.	**Annexure -4** Gazette Notification of Eco Sensitive Zone of Mount Abu Wildlife Sanctuary dated 11.11.2020	**12-51**
6.	**Annexure -5** Judgment of Hon'ble NGT dated 07.08.2020	**52-56**
7.	**Annexure -6** Judgment of Hon'ble High Court of Rajasthan dated 23.05.2022	**57-60**
8.	**Annexure -7** Order of District Collector & Magistrate regarding joint survey team dated 13.09.2017	**61**
9.	**Annexure -8** FIR 2964/35 dated 18.10.2017 u/s 34 (A) of Wildlife (Protection) Act, 1972 by forest department and other documents	**62-81**

10.	**Annexure -9** Order of DCF Wildlife, Mount Abu dated 26.12.2017	**82-87**
11.	**Annexure -10** Encroachment Removal report by Forest department dated 09.06.2022	**88-99**

Report of the Joint Committee in compliance of direction of Hon'ble NGT (National Green Tribunal) (CZ), Bhopal; in the matter of in Original Application No. 172/2025(CZ); vide order dated 07.01.2026;

Kantilal Upadhyay & Ors. V/s State of Rajasthan and others.

Kantilal Upadhyay and others, R/o Aburoad, District- Sirohi (Rajasthan) has filed a complaint vide letter dt. 06-08-2025 at Hon'ble NGT and the same has been registered as Original Application, with grievance/issue about the encroachment on forest land by the Brahmakumari Organization in village Danvav and Umarni, Tehsil: Abu Road, district: Sirohi, Rajasthan.

The specific issues/objections raised by applicant/complainant: -

1. That illegal encroachment is done by the Brahmkumari Sansthan on forest land in and in the Manmohini Van and Anand Sarovar campus at khasra no 412, 416 and 419 of Abu block no.1 and 2, in violation of Environment law and as per order of Hon'ble Supreme Court order dated 04.12.2006 in the writ petition no.460/2004 Goa foundation v/s union of India.
2. That illegal encroachment is done by the Brahmkumari Sansthan Anand Sarovar talab in the Anand Sarovar campus in violation of Environment law.

Considering the issues raised by the applicant, Hon'ble NGT passed following order on 07th January 2026 (Annexure- 1):

In view of the issues/objections made in the application, NGT form a Joint Committee consisting of: -

i. One representative of the District Collector, Rajasthan
ii. One representative of the Member Secretary, State Pollution Control Board, (Rajasthan)

Further, the committee was directed:

"The Committee is directed to visit the place and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support."

Accordingly, following officers were appointed by the Collector Office, Sirohi vide letter dated 19.02.2026 and revised letter dated 13.03.2026 from concerned departments for the joint visit **(Annexure- 2):** -

1. Secretary, UIT, Abu Road.
2. Sub-Divisional Magistrate (SDM), Pindwara.

3. Regional Officer (RO), Rajasthan State Pollution Control Board, Sirohi.
4. Assistant Conservator of Forests (ACF), Mt. Abu.
5. Executive Officer (EO), Nagar Palika, Abu Road.

Looking in to the issue, a meeting cum discussion was convened in the premises of UIT Office, Aburoad, with the committee members.

After deliberations, it was decided then and there by the committee to inspect the concerned site of the Brahma Kumari Organization to assess the status of aforesaid matter. Subsequently, the concerned site was visited by the joint committee. Accordingly, the committee has submitted the report on 17.03.2026 after conducting the field visit on 13-03-2026. Photographs of the joint site visit are annexed **(Annexure- 3)**.

Background

Mount Abu Wildlife Sanctuary is situated in Sirohi district of Rajasthan close to the borders of Gujarat, between 24º 33' to 24º 43' N and 72º 38' to 72º53' E in the Southern part of the Aravali Mountain Range. It was declared as Wildlife Sanctuary in 1960 which was further modified and finally notified in year the 2008. The Eco Sensitive Zone of Mount Abu Wildlife Sanctuary was declared on 11.11.2020. **(Annexure- 4)**

A complaint was addressed to Forest department, regarding encroachment of the Mount Abu Wildlife Sanctuary by the Brahmakumari organization and constructing multistoried buildings namely in Manmohinivan and Anand Sarovar premises. Brahmakumari Sansthan filed various petitions in the Hon'ble High Court of Rajasthan numbered as 3855/2017, 4256/ 2017, 679/2018, 18654/2018, 18569/2018, 1717/2018, 43/2019. Through the order dated 23.05.2022, Hon'ble High Court disposed all the applications and vacated the stay order dated 18.02.2019. In compliance of the order, Regional Forest Officer, Abu Taleti demolished the encroachment structures made in khasra no. 412, 416 and 419 and sealed the 72 rooms of 6 storied building on 26.05.2022.

The same case was decided by the Hon'ble NGT on 07.08.2020 (Annexure- 5) and Hon'ble High Court of Rajasthan on 23.05.2022. (Annexure- 6)

The similar case D.B. Civil Writ Petition No. 4523/2026 has also been filed in the Hon'ble High Court of Rajasthan.

Point wise factual observations of the committee

Point No.1

The Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Central Government notified an area to an extent of 0.1 kilometres to 6.08 kilometres around the boundary of Mount Abu Wildlife Sanctuary, in the Sirohi district in the State of Rajasthan as Mount Abu Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone vide gazette notification dated 11.11.2020.

Point No. 2, 3, 4 and 5

Prajapita Brahma Kumari Eswariya Viswa Vidyalaya organization has its institutional setup along with the headquarter in Mount Abu and the areas near to the Mount Abu. A complaint was addressed to Forest Department, regarding encroachment of the Mount Abu Wildlife Sanctuary by the organization and constructing multistoried buildings. The DCF Wildlife, Mount Abu, through District Collector & Magistrate, got a joint survey team constituted on 13.09.2017**(Annexure- 7)** and surveyed the areas and submitted report to the Tehsildar Aburoad that a total of 5 bigha of forest land of Mount Abu Wildlife Sanctuary was encroached in block 1, gram Abu No. 2. Taking cognizance of the report, forest range officer, Abu Taleti filed an FIR 2964/35 dated 18.10.2017 u/s 34 (A) of Wildlife (Protection) Act, 1972 against Brahma Kumari security general, WRST managing trustee, Shantivan, Aburoad and Manager, Brahmakumari Sansthan. **(Annexure- 8)**

DCF, Wildlife Mount Abu, vide letter 2230 dated 23.10.2017 made ACF as investigating officer and ordered to furnish report. ACF, Mount Abu issued notices to Brahma Kumari Security General, Manger, Brahmakumari Sanstha and Shri Shashi Kant S/O Gangaram. Based on the report on investigating officer, DCF Wildlife, Mount Abu decided the case on 26.12.2017 **(Annexure- 9)** u/s 34 (A) of Wildlife (Protection) Act, 1972 and issued speaking order for the eviction of the land and demolish the permanent structures on 4 bigha 10 biswa land of block Abu No.1 gram 2 in khasra no. 412 and 416 in addition to 10 biswa land in khasra no. 419.

Brahmakumari Sansthan filed various petitions in the Hon’ble High Court of Rajasthan numbered as 3855/2017, 4256/ 2017, 679/2018, 18654/2018, 18569/2018, 1717/2018, 43/2019. Through the order dated 23.05.2022, Hon’ble High Court disposed all the applications and vacated the stay order dated 18.02.2019. In compliance of the order, Regional Forest Officer, Abu Taleti

demolished the encroachment structures made in khasra no. 412, 416 and 419 and sealed the 72 rooms of 6 storied building on 26.05.2022. **(Annexure- 10)**

Point No. 6 and 7

The Brahmakumari Organization accepted that some part of the building in the Manmohinivan campus falls in the encroached reserved forest land of the Mount Abu Wildlife Sanctuary and applied under the provisions of the Forest Protection Act 1980 for diversion of forest land of the sanctuary for non-forestry purposes on 25.05.2018. Wildlife clearance for diversion of no. FP/RJ/Others/2525 dated 24/5/2018 for existing building Manmohan and proposal no. FP/RJ. Others/2527/2018 dated 25/05/2018 for diversion of 1 ha land for the existing building Anand Sarovar were forwarded for rejection to higher level by DCF Wildlife, Mount Abu on 08.02.2019.

The Brahmakumari Organization again sent the proposals for diversion vide proposal nos. WL/RJ/Others/401536/2022 and FP/RJ/Others/400663/2022. In above mentioned proposals proposal no. WL/RJ/Others/401536/2022 is pending at Govt. level for competent approval.

Point No. 8

Anand Sarovar is a residential premises of Brahmakumari Sansthan and as per revenue records there is no recorded water body on the said land.

Point No. 9

Hon'ble NGT has decided the Original Application No. 1051/2018, Residents of village Danvav v/s State of Rajasthan on 07.08.2020.

Point No. 10

To demonstrate the tentative boundaries of Eco Sensitive Zone (Outer Core), *.kml* (keyhole markup language) file is prepared, which has been uploaded on the departmental website. The *.kml* file is used as a reference only and it cannot be produced for legal documentation. To verify the forest land on site, physical verification is required by the department.

Regional Officer
RSPCB, Sirohi

District Collector
Sirohi

Item No.03

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL
(Through Video Conferencing)

Original Application No.172/2025(CZ)
(Earlier O.A. No.607/2025-PB)

Kantilal Upadhyay & Anr. Applicant(s)

Vs.

State of Rajasthan & Ors. Respondent(s)

Date of Hearing: 07.01.2026

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SHEO KUMAR SINGH, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE MR. SUDHIR KUMAR CHATURVEDI, EXPERT MEMBER

For Applicant (s): None.

For Respondent(s): None.

ORDER

1. Mr. Kantilal Upadhyay and Mr. Iqbal Mohamad have sent the present letter petition dated 30.07.2025 by post to this Tribunal which has been treated and registered as O.A. No. 607/2025 for exercise of suo moto jurisdiction in view of law laid down by Hon'ble Supreme Court in Municipal Corporation of Greater Mumbai vs. Ankita Sinha, (2022) 13 SCC 401.

2. A substantial issue of environment has been raised.

3. Issue notice to the respondents, returnable within four weeks. Respondents are directed to submit their reply within six weeks through E-filing portal, preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

4. Applicant is directed to take necessary steps for service to the respondents by both ways and also on available email.

5. We deem it just and proper to call a report on the matter in issue in present Original Application, from a Joint Committee consisting of:-

    i. One representative from Collector, Rajasthan.
    ii. One representative from State Pollution Control Board, Rajasthan.

6. The Committee is directed to visit the place and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.

7. Applicant is directed to supply the copy of the application and relevant documents to the Committee and Respondent(s) within a week and after compliance of service, the applicant has to submit an affidavit that the notice and copy of the application have been served upon the Committee and respondent(s).

8. The report in the matter be filed by the Committee through email at ngtczbbho-mp@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

List it on **20th March, 2026.**

Sheo Kumar Singh, JM

Sudhir Kumar Chaturvedi, EM

07th January, 2026,
OA No.172/2025(CZ)
PN

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, सिरोही

ई–मेल :–Developmentsection2022@gmail.com

क्रमांक / विकास / 2026 / दिनाक .03.2026

REVISED OFFICE ORDER

Whereas, the matter titled **O.A. No. 172/2025 (CZ), Kantilal Upadhyaya & Anr. Vs. State of Rajasthan & Ors.** is pending before the Hon'ble National Green Tribunal and submission of a factual and action taken report before the Hon'ble Tribunal is required in the matter;

Therefore, in order to conduct site inspection and submit a comprehensive factual report, the following **Joint Committee** is hereby constituted:

1. **Secretary, UIT, Abu Road.**
2. **Sub-Divisional Magistrate (SDM), Pindwara.**
3. **Regional Officer (RO), Rajasthan State Pollution Control Board, Sirohi.**
4. **Assistant Conservator of Forests (ACF), Mt. Abu**
5. **Executive Officer (EO), Nagar Palika, Abu Road**

The above Committee shall:

- Conduct a joint site inspection at the earliest;
- Examine the issues raised in the Original Application;
- Collect relevant records and factual information; and
- Prepare a consolidated factual and action taken report.

The Committee is directed to submit its report to the **District Magistrate Office, Sirohi within 10 (ten) days** from the date of issuance of this order, so that the same may be forwarded to the Hon'ble National Green Tribunal within the stipulated timeframe.

All concerned officers are directed to ensure coordination and extend full cooperation for timely compliance.

(**Alpa choudhary**)
District Collector, Sirohi

क्रमांक / विकास / 2026 / दिनाक .03.2026

Copy to the following information & further necessary action

1. **Secretary, UIT, Abu Road.**
2. **Sub-Divisional Magistrate (SDM), Pindwara.**
3. **Regional Officer (RO), Rajasthan State Pollution Control Board, Sirohi.**
4. **Assistant Conservator of Forests (ACF), Mt.Abu**
5. **Executive Officer (EO), Nagar Palika, Abu Road**

District Collector, Sirohi

Signature Not Verified

Digitally signed by Alpa Choudhary
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2026.03.13 19:51:17 IST
Reason: Approved

Annexure-3

Photographs of the encroachments removed at Manmohini Van and Anand Sarovar

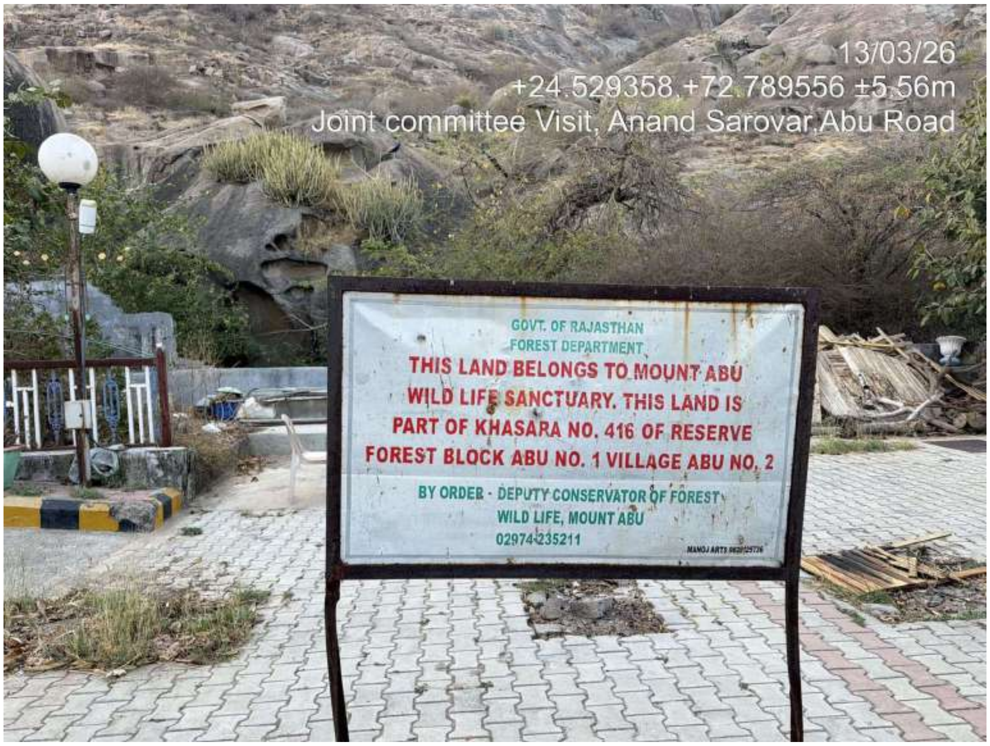

13/03/26
+24.530185,+72.790784 ±4.98m
Joint committee Visit, Anand Sarovar,Abu Road

13/03/26
+24.538272,+72.791500 ±4.22m
Joint committee Visit, Anand Sarovar,Abu Road

13/03/26
+24.537835,+72.791921 ±28.41m
Joint committee Visit, Anand Sarovar,Abu Road
A-1
A-1

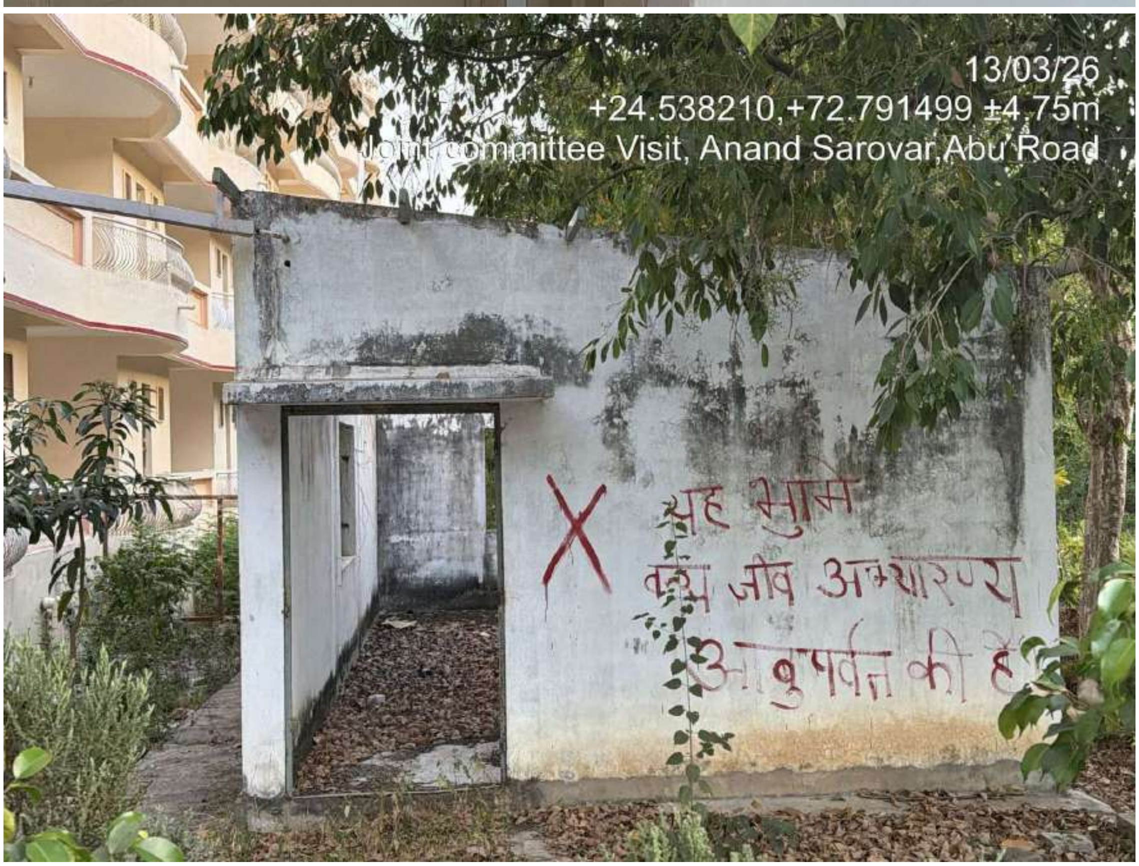
13/03/26
+24.538210,+72.791499 ±4.75m
Joint committee Visit, Anand Sarovar,Abu Road
यह भूमि
वन्य जीव अभ्यारण्य
आबू पर्वत की है

13/03/26
+24.537742,+72.791811 ±26.18m
Joint committee Visit, Anand Sarovar,Abu Road
दिनांक 18/10/2017
सील सम्पति का विवरण
कमरा नम्बर A-8 पूर्णतया
नमूना सील -
हस्ता मुल्जिम
हस्ता स्टॉफ
हस्ता अधिकारी

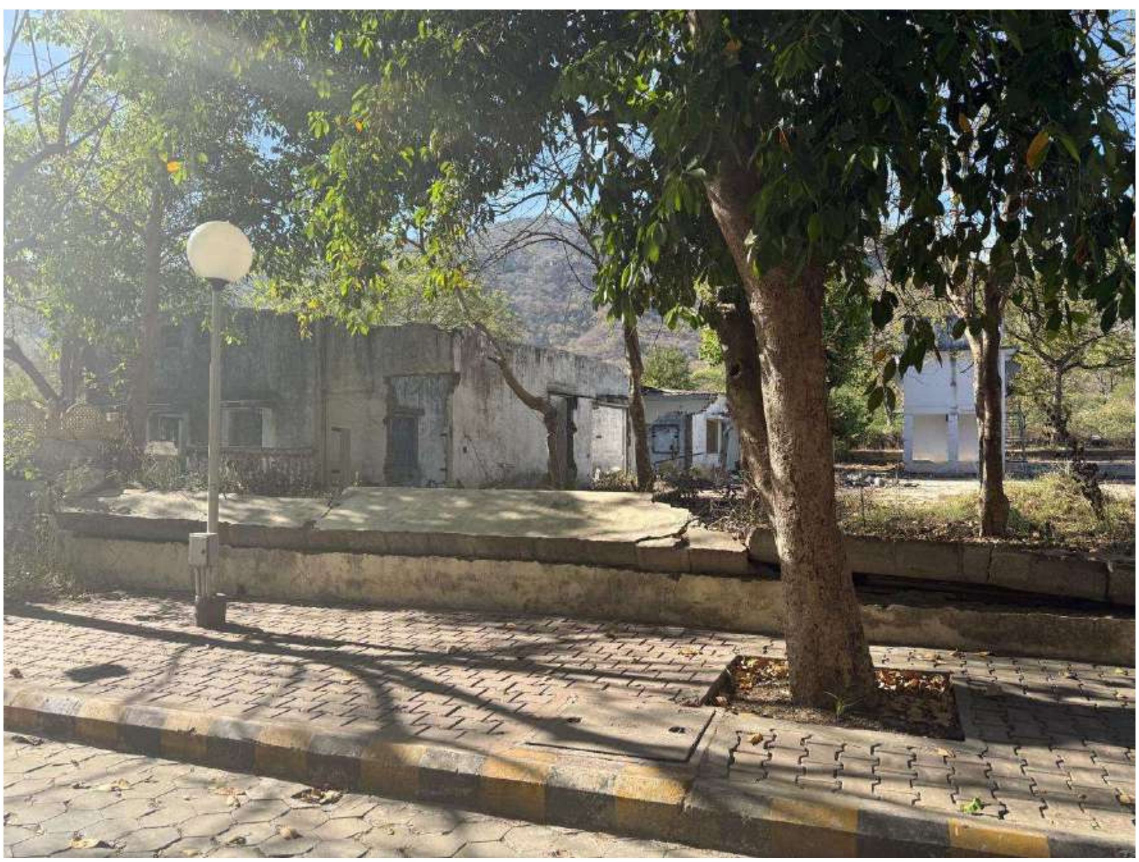

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12112020-223048
CG-DL-E-12112020-223048

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3564] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 11, 2020/कार्तिक 20, 1942
No. 3564] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 11, 2020/KARTIKA 20, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2020

का.आ. 4047(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1917 (अ), तारीख 3 जून, 2019, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 4 जून, 2019, को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युतर में व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया था;

और, मॉउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य गुजरात की सीमा के निकट राजस्थान के सिरोही जिला, अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी भाग में 24º 33' से 24º 43' उ और 72º 38' से 72º53' पू के बीच स्थित है। अभयारण्य 326.09 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैला हुआ है और सिरोही जिले के पिंडवारा और रेवदर तहसील, आबू सड़क के पार तक फैला है;

और, मॉउंट आबू अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र है, अपनी ऊंची विविध पर्वत, श्रेणियों के कारण समुद्र तल से 300 से 1722 मीटर ऊपर तक और इसमें वनस्पति और जीवजंतुओं की दुर्लभ, लुप्तप्राय और स्थानिक प्रजातियों की विविधता है। यह 1960 में

वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था जिसमें वर्ष 2008 में अंतिम रूप से परिवर्तन करके अधिसूचित किया गया। राजस्थान और गुजरात राज्यों के बीच, एकमात्र पहाड़ी स्थान होने और अपनी समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण यहां, हर साल इस स्थान पर 15 लाख से अधिक पर्यटक आते हैं। अभयारण्य में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी अर्थात् राजस्थान के सिरोही जिले में अरावली है। पहाड़ियों का निर्लिप्त समूह एक चट्टानी द्वीप की तरह समतल मैदान से अचानक ऊपर उठता है;

और, मॉउंट आबू में बहुत समृद्ध वनस्पति जैव विविधता है जो पादगिरि में जेरोमोर्फिक उपोष्णकटिबंधीय कांटेदार वन से आरंभ होकर जो जल मार्ग और घाटियों के साथ उच्च ऊंचाई पर उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों तक इन वनों में 449 जेनेरा और 820 प्रजातियों के साथ 112 पादप वर्ग है;

और, मॉउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य से मुख्य वनस्पति मांगिफेरा *इंडिका* (मैंगो), *मोरिंडा टेंक्रोरिया* (भारतीय शहतूत), बुचानानिया लांजान (चिरौंजी), *कैसिया फिस्टुला,* (गोल्डन रेन ट्री), *इम्बिलिका ओफिसिनैलिस* (अमला), *सपिंदुस इमारगिनाटस* (नोटचड लेफ सोअप्रुट), *अकैशिया निलोटिका* (बबूल), *फिकस बेंघालेंसिस* (बंयान), *टर्मिनलिया बेल्लेरिका, एंगल मारमेंलोस, डायोस्पायरोस कॉर्डिफोलिया, जिजिफुस मौरिटिआना, सिजेगियम कुमिनि, होलोप्टेया इंटेगरिफोलिया, बुटेया मोनोस्पर्मा, अनोगेइस्सूस लटिफोलिया, अनोगेइस्सूस पेंडुला, फिकस रेलिगिओसा, अकैशिया लेयूकोफलोया, मल्लोटा स्फिलिप्पिनेंसिस, टर्मिनलिया टोमेंटोसा, टेक्टोना ग्रांडिस (*सागौन), *टर्मिनलिया अर्जुन* (अर्जुन), *व्रिघटिया टोमेंटोसा, अल्बिजिया लेब्बेक, अल्बिजिया प्ररोकेरा* (टैल अल्बिजिया), *सोलानम विरगिनिअनम* (थोर्नी निघटशादे), *कैरिस्सा चरनदास,* आदि अभिलिखित की गई हैं;

और, अभयारण्य से महत्त्वपूर्ण जीवजंतु अभिलिखित किए गए हैं जिसमें हनुमान लंगूर *(सेम्नोपिथेकस कइंटेल्लुस), तेंदुआ (पेन्थेरा प्रड्यूस),* बनबिलार *(फेलिस चाउस),* ग्रे नेवला *(हर्पस्टेस एड्वर्डसी),* सियार *(कैनिस ऑरियस),* भारतीय लोमड़ी *(वुल्प्स बेंगालेंसिस),* चित्तीदार लकड़बग्घा *(हैना हैना),* सामान्य पाम सिवेट *(पराडोक्यरूस हेरमाफरोडिटस),* हनी बेजर *(मेल्लिवोरा कैपेंसिस),* भारतीय हेडगेहोग *(हेमिचिनुस मिकरोपुस),* ब्लू बुल *(बोसेलाफुस ट्रागोकेमेलुस),* सांभर हिरण *(करवुस यूनिकोलर),* भारतीय बनैला सूअर*(सस स्क्रोफा),* पांच धारीदार पाम गिलहरी *(फनाम्बुलुस पेन्नांटि),* हाउस शेरव *(सुनकस मुरीनस),* भारतीय साही *(हिस्ट्रीक्स इंडिका),* भारतीय खरगोश *(लेपस निगरीकोल्लिस),* भारतीय लोमड़ी *(कैनिस लेपुस),* रीछ *(मेलर्सस अरसिनस),* ग्रीन अवादात *(अमांदावा फोरमोसा),* एशियन पैराडिस फ्लाईकैचर *(टेरप्सिपोन पराडिस),* भारतीय स्किमिटर बाब्बलेर *(पोमेटोरहोनस हॉरसफिइल्डी),* रेड व्हिस्कर्ड बुलबुल *(पायनोनोटस जकोसस),* भारतीय मोर *(पवो क्रिस्टस),* व्हाइट ब्रेस्टेड वॉटर मुर्गी *(अमाउरोर्निस फोईनिकुरूस),* ओरिंटल हनी बुज्जार्ड *(पेरनि पटिलोरहयंचस),* आदि शामिल हैं। जबकि, क्षेत्र में मुख्य सरीसृप मगरमच्छ *(क्रोकोडायल पलुस्टरीस),* भारतीय मड कछुआ *(लिस्सेमयस पुंकटाटा),* स्टेर्रेड कछुआ (*गेओचेलोन इलेगंस),* बरौक्स गेको *(हेमिदाकटायलुस ब्रुकी),* रॉक गेको *(हेमिदाकटयलुस मकुलाटस),* फोरस्टेन कैट स्नैक *(बोइगा फोरस्टेनि),* चैकरेड कैल्बैक (*क्सेनोक्रोफिस पीसकटोर*), सामान्य गार्डन लिर्जाड *(कलोटेस वेरस्किलोर),* भारतीय चामेलेओन *(चामेलेओन केल्कराटोस),* सेव स्कैलेड सांप *(इचीस करिनाटस),* सामान्य स्किंक*(यूटोपिस करिनाटा),* मॉनिटर छिपकली *(वरानुस बेंगालेंसिस),* भारतीय पायथन *(पायथन मोलुरूस),* सामान्य चूहा सांप*(पटयास मुकोसुस),* ग्रीन कीलबैक *(मकरोपिस्थोदोन पलुम्बिकोलोर),* सामान्य भारतीय करैत *(बुंगारूस काइरूलेउस),* भारतीय कोबरा *(नाजा नाजा),* रूस्सेल नाग *(डाबोइया रूस्सेल्ली),* आदि पाए जाते हैं और क्षेत्र में पक्षियों में जैसे ग्रीन मुनिया, जंगली बब्लेर, मवेशी इग्रेट, पर्पल सनबर्ड, भारतीय तालाब बगुला, असहय परिनिया, क्रेस्टेड सर्प-ईगल, ओरिएंटल हनी बज़र्ड, भारतीय ब्लैकबर्ड, व्हाइट-स्पोट्टेड फनताइल-फ्लाईकैचर, रॉक कबूतर, पेरेग्रीन फॉल्कन, ओरिंटल व्हाइट-आई, क्रेस्टेड बंटिग, कोप्पेरस्मिथ बारबेट, भारतीय ग्रे हॉनबिल, रोस्य स्टेरलिंग, ब्लैक रेडस्टार्ट, ब्लैक ड्रोगों, आदि पाए जाते है;

और, अभयारण्य से लुप्तप्राय प्रजातियों में *अनोगेइस्सूस सेरिकेया, बेगोनिया ट्राईचोकारपा* (हेयरी-फ्रुट बेगोनिया), *क्रोटालारिया फिलिपस* (क्रैरेपिंग हेम्प), *इंडिगोफेरा कोंस्टरिकटा, पेन्थेरार प्रड्यूस* (तेंदुआ), *मेलर्सस अरसिनस* (रीछ), आदि अभिलिखित की गई हैं। जबकि अभयारण्य से मुख्य स्थानिक प्रजातियों में *डिकलिपटेरा अबुइंसिस, स्टोबिलांथेस कल्लोसुस* और *रोसा* आदि की उप-प्रजातियां अभिलिखित की गई है;

और, मॉउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं पारिस्थितिकी पर्यावरणीय से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, जैव विविधिता की दृष्टि सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान राज्य के सिरोही जिला के मॉउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0.1 किलोमीटर से 6.08 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को मॉउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएं.-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार मॉउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0.1 किलोमीटर से 6.08 किलोमीटर है। क्षेत्र के आसपास अधिक मानव उपस्थिति और विकास के कारण न्यूनतम विस्तार 0.1 किलोमीटर है। अधिकतम विस्तार 6.08 किलोमीटर है जिसमें मॉउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य और गुजरात के जेसोर स्लॉथ बीयर अभयारण्य के बीच महत्त्वपूर्ण गलियारा जुड़ाव शामिल है जो रीछ, तेंदुआ, लकड़बग्घा, आदि जैसे पशुओं के लिए स्वस्थ जीन पूल लंबे समय तक सुरक्षित रखता और बनाए रखना है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 125.15 वर्ग किलोमीटर है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार विभिन्न दिशाओं में नीचे दिया गया है:-

दिशाएं	**क्षेत्र (किलोमीटर)**
उत्तर	*1.0*
उत्तर-पूर्व	*1.0*
पूर्व	*1.0*
दक्षिण-पूर्व	*0.1*
दक्षिण	*1.1*
दक्षिण-पश्चिम	*6.08*
पश्चिम	*1.0*
उत्तर-पश्चिम	*1.0*

(2) मॉउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध-I** के रूप में उपाबद्ध है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन को सीमांकित करते हुए मॉउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य के मानचित्र **उपाबंध-IIक, उपाबंध-IIख, उपाबंध-IIग** और **उपाबंध-IIघ** के रूप में उपाबद्ध है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और मॉउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध-III** की सारणी **क** और सारणी **ख** में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध IV** के रूप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना– (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी.-

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) शहरी विकास;

(iv) पर्यटन;

(v) नगरपालिक;

(vi) राजस्व;

(vii) कृषि;

(viii) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;

(ix) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(x) ग्रामीण विकास;

(xi) पंचायती राज; और

(xii) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में, जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों, का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और पैरा-4 में सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह विस्तारी होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कार्यों को करने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर उपर्युक्त भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्नों प्रयोजनों के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन निगरानी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अन्तर्गत गृह वास सम्मिलित है; और

(v) वर्षा जल संचयन; और

(vi) पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अधीन अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई गलती, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि गलती के सुधार में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों.-** आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक झरनों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जाएगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिजॉर्ट के सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट का स्थापना केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी–पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देते हुए (समय-समय पर यथा संशोधित) जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और निगरानी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नये होटल या रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापना का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपूरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की और उपक्षेत्रों पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**.- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण**.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, साधारणों मानकों के उपबंधों के अनुसार पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के अधीन प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.-** जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा.-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के अधीन प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय यातायात.-** यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को निगरानी करेगी।

(15) **यानीय प्रदूषण.-** लागू विधियों के अनुपालन में यानीय प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा। स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो; पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी;

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अन्तर्गत तटीय विनियमन जोन, 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियां के जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं. (1)	**क्रियाकलाप** (2)	**वर्णन** (3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां ।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण

		इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी; (ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश 4 अगस्त, 2006 और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में होगा ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	प्रतिषिद्ध।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	प्रतिषिद्ध।
8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	प्रतिषिद्ध।
9.	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	प्रतिषिद्ध।
10.	मछली पकड़ना।	प्रतिषिद्ध।
11.	उच्च मात्रा और नगर-जीवन का उपयोग।	प्रतिषिद्ध।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
12.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से, जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
13.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी: परंतु यह कि गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे ।

		(ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे यह आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
14.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
15.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि में वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे।
16.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
17.	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जा सकेगा)।
18.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा।
19.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा।
20.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
21.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
22.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
23.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, दुग्ध उद्योग, कृषि और मछली पालन।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
24.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्तारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुन:चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण या प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
25.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
26.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
27.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
28.	वाणिज्यिक सूचनापट्ट और होर्डिंग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
29.	फर्मों, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
30.	ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
31.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।

32.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा। कंटीली तार बाड़ और विद्दुत की अनुमति नहीं दी जायेगी।
33.	पेट्रोल पंप।	निगरानी समिति द्वारा लागू विधियों के अधीन अनुमति दी जायेगी।
ग. संवर्धित क्रियाकलाप		
34.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अंगीकृत करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश, इत्यादि को बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
41.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
42.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
43.	अवक्रमित भूमि वन पर्यावासों की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
44.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी के लिए निगरानी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए निगरानी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

क्र.स.	निगरानी समिति का गठन	पदाभिधान
(i)	जिला कलेक्टर	अध्यक्ष, पदेन;
(ii)	उप प्रभागीय अधिकारी (एसडीओ), माउंट आबू	सदस्य;
(iii)	उप प्रभागीय अधिकारी (एसडीओ), सिरोही	सदस्य;
(iv)	उप प्रभागीय अधिकारी (एसडीओ), रेवदर	सदस्य;
(v)	माननीय वन्यजीव वार्डन, माउंट आबू, सिरोही	सदस्य;
(vi)	राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधि	सदस्य;
(vii)	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट जैव विविधता में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(viii)	राज्य के प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(ix)	अध्यक्ष नगरपालिका, आबू रोड	सदस्य;
(x)	प्रधान, पीएस, माउंट आबू	सदस्य;
(xi)	प्रधान, पीएस, रेवदर	सदस्य;
(xii)	प्रधान, पीएस, पिंडवाड़ा	सदस्य;
(xiii)	उप-वन संरक्षक, माउंट आबू	सदस्य-सचिव।

6. निर्देश–निबंधन.- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल अगले आदेश होने तक किया जाएगा, परंतु यह कि समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी sजोन में आते हैं, सिवाय इसके जो पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, निगरानी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) वे क्रियाकलाप जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची सम्मिलित है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उपाबंध V में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/55/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध- I

मॉउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर	निथोड़ा/ नानरवाडा से थेलफीखेड़ा तक, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा 1 किलोमीटर है।
उत्तर-पूर्व	फूलाभाईकाखेड़ा ग्रामों, कचोली से निथोड़ा/ नानरवाडा तक, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा 1 किलोमीटर है।
पूर्व	क्यारा से पंचदेवल तक, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा 1 किलोमीटर है।
दक्षिण-पूर्व	धनभव ग्राम में मॉउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा 100 मीटर है।
दक्षिण	गिरवर, चंदेला, अम्बाबेरी, मौंगथाला और धमसारा से, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा 1 किलोमीटर से 1.1 किलोमीटर है।
दक्षिण-पश्चिम	धावली से थोड़ापलदी तक, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा 1 किलोमीटर है और फतेहपुर, सकोदा, बहादेपुरा ग्रामों से पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा 6.08 किलोमीटर है, जिसमें चौतीला, वन चौतीला, मूलियामहादेव ग्राम भी है जो या तो वन भूमि या कृषि भूमि है।
पश्चिम	सरलिया से अनाद्रा ग्रामों तक, डक तक, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा 1 किलोमीटर है।
उत्तर-पश्चिम	थेलीखेड़ा से टोकरा ग्रामों तक, हदमतिया और सरालिया, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा 1 किलोमीटर है।

उपाबंध- IIक

राजस्थान के सिरोही जिला में मॉउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य का अवस्थान मानचित्र

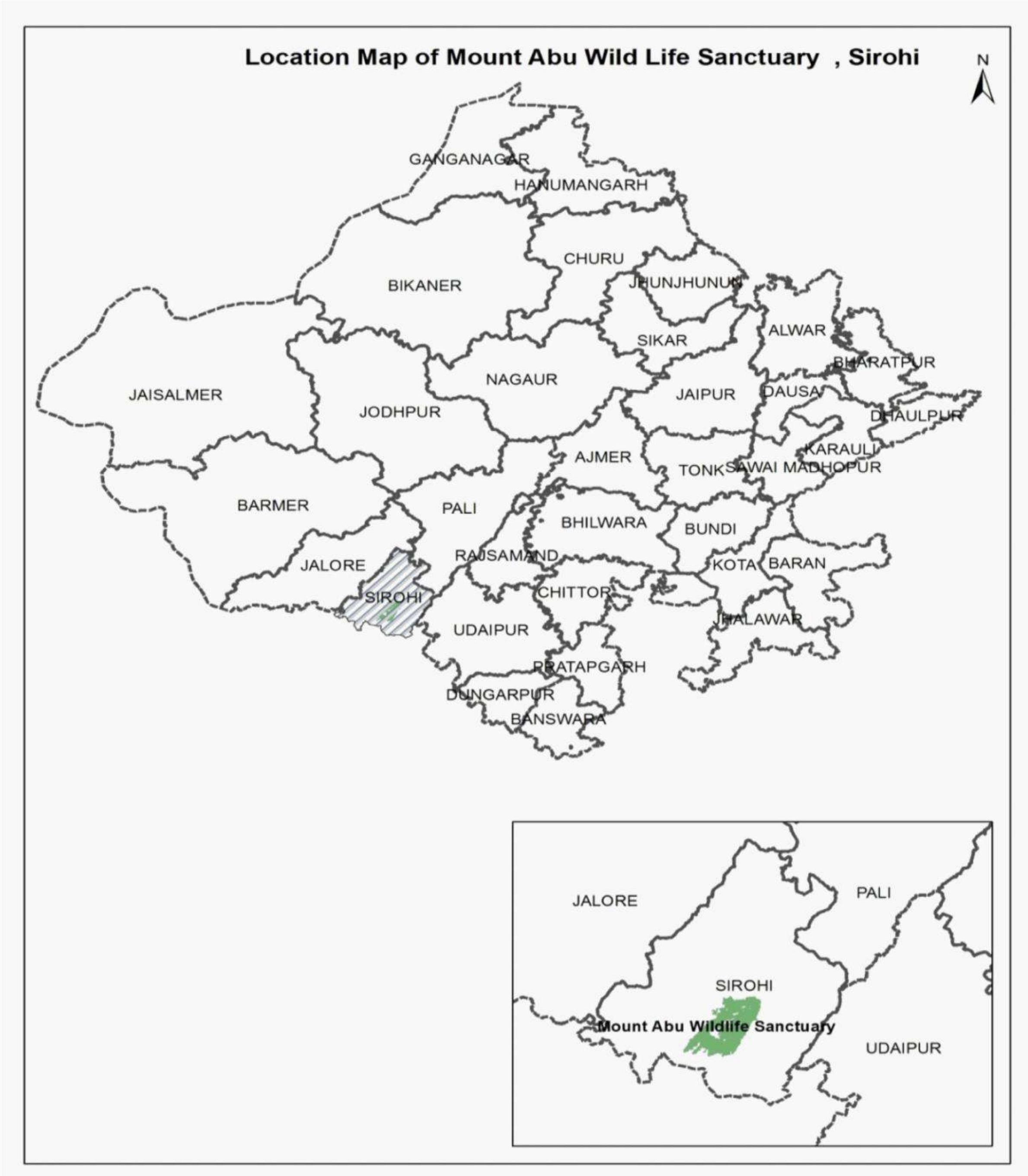

उपाबंध-IIख

मुख्य अवस्थानों के साथ मॉउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र

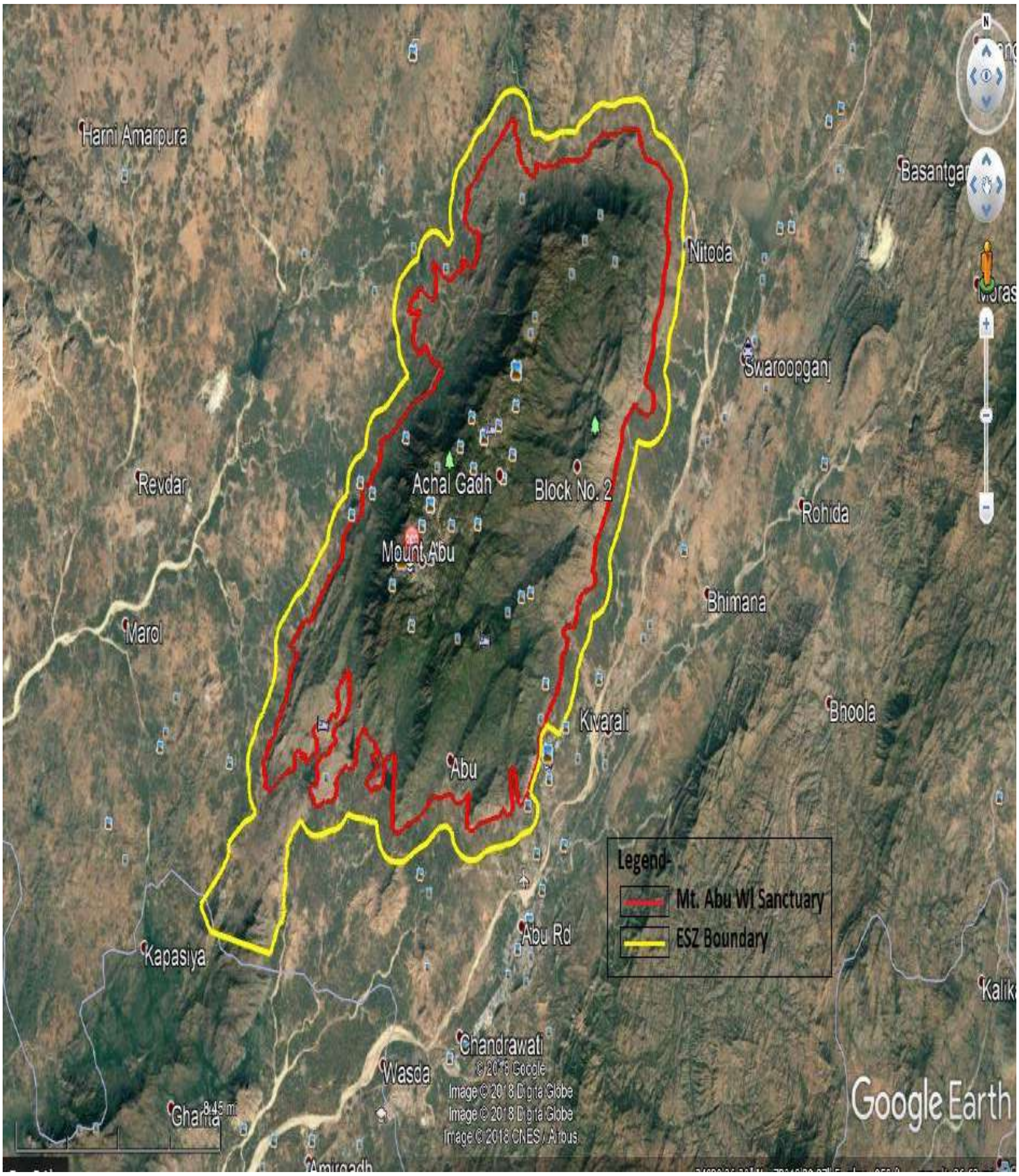

उपाबंध-IIग

भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ मॉउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

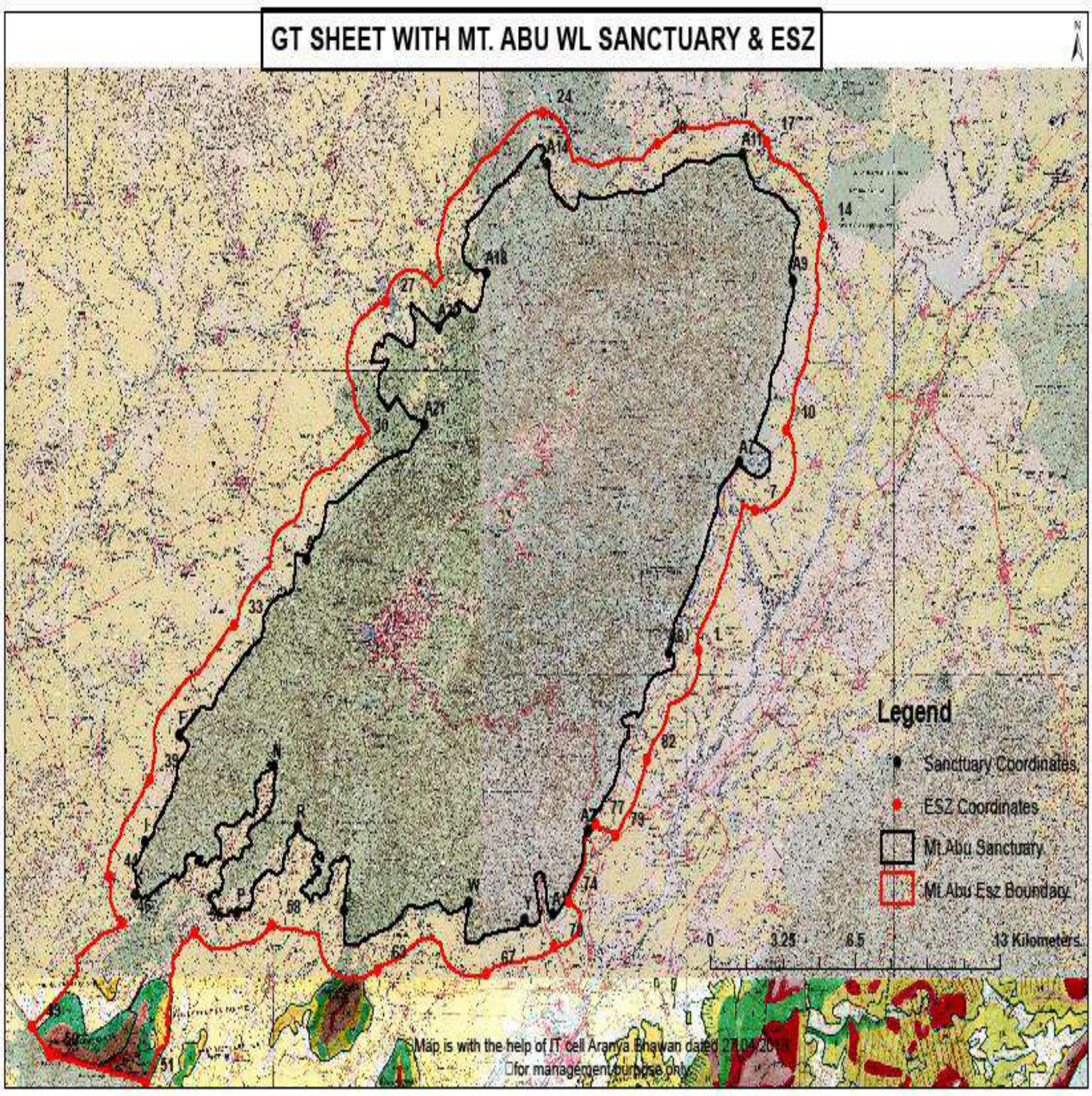

उपाबंध- IIघ

राजस्थान राज्य में मॉउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भूमि उपयोग पैटर्न को दर्शाने वाला मानचित्र

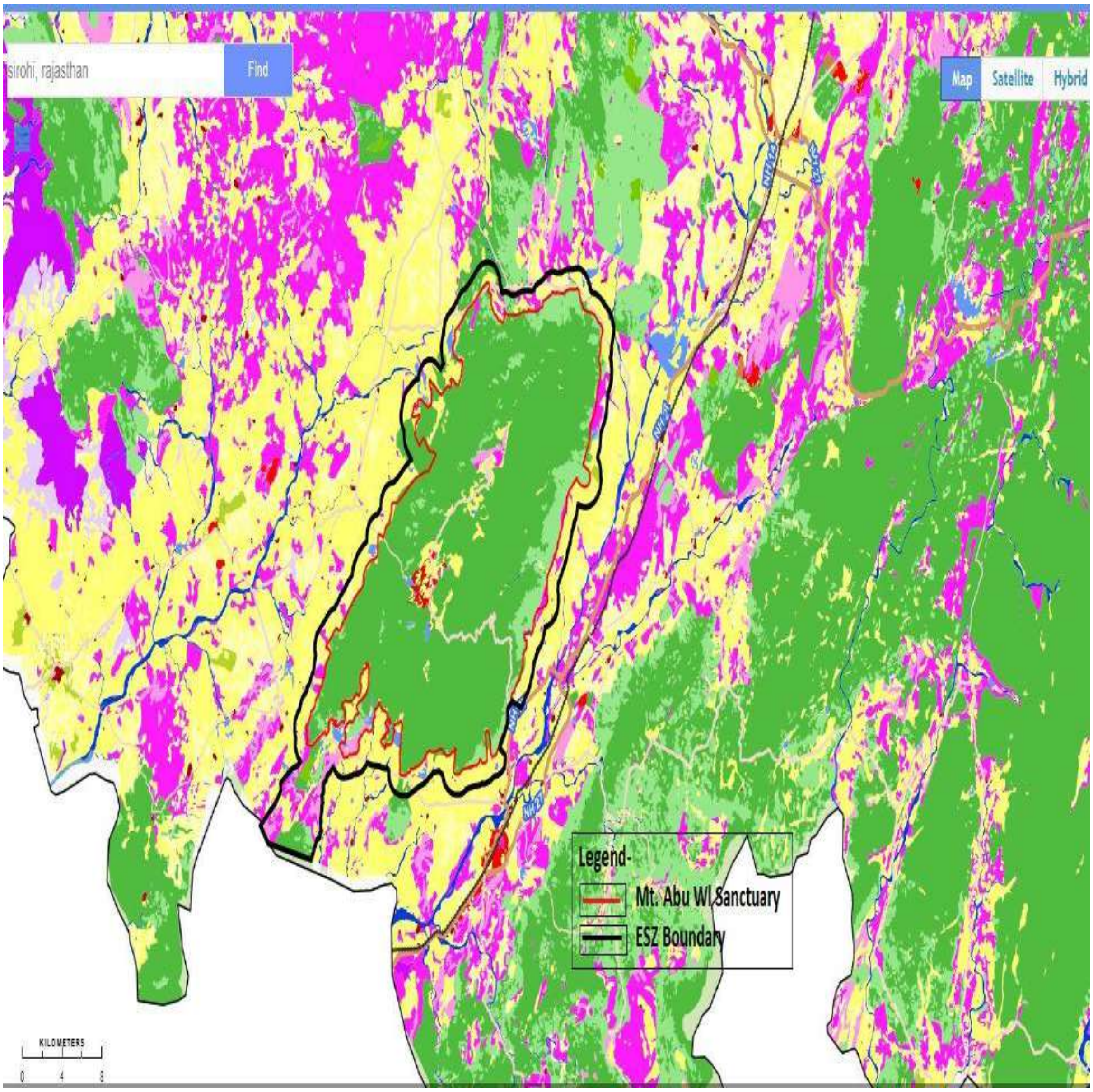

उपाबंध-III

सारणी क: मॉउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं	बिंदु कोड	अक्षांश	देशांतर	क्र.सं	बिंदु कोड	अक्षांश	देशांतर
1	ए	उ24° 36' 54.8"	पू72° 40' 48.7"	26	जेड	उ24° 31' 44.2"	पू72° 46' 25.6"
2	बी	उ24° 36' 59.7"	पू72° 40' 35.9"	27	ए1	उ24° 31' 03.0"	पू72° 46' 45.3"
3	सी	उ24° 36' 25.1"	पू72° 40' 30.1"	28	ए2	उ24° 32' 26.1"	पू72° 47' 36.4"
4	डी	उ24° 35' 44.0"	पू72° 39' 45.2"	29	ए3	उ24° 33' 30.6"	पू72° 48' 23.0"
5	इ	उ24° 34' 25.1"	पू72° 38' 30.8"	30	ए4	उ24° 34' 08.6"	पू72° 48' 30.1"
6	एफ	उ24° 34' 01.5"	पू72° 37' 44.0"	31	ए5	उ24° 34' 42.2"	पू72° 48' 58.7"
7	जी	उ24° 33' 51.6"	पू72° 37' 57.2"	32	ए6	उ24° 35' 22.3"	पू72° 49' 33.5"
8	एच	उ24° 32' 33.3"	पू72° 37' 10.8"	33	ए7	उ24° 38' 29.9"	पू72° 51' 16.4"
9	आई	उ24° 32' 15.6"	पू72° 36' 54.1"	34	ए8	उ24° 38' 50.5"	पू72° 51' 38.4"
10	जे	उ24° 31' 48.4"	पू72° 36' 36.6"	35	ए9	उ24° 41' 30.8"	पू72° 52' 34.1"
11	के	उ24° 31' 23.4"	पू72° 36' 39.6"	36	ए10	उ24° 42' 54.5"	पू72° 52' 07.7"
12	एल	उ24° 31' 33.5"	पू72° 37' 21.4"	37	ए11	उ24° 43' 34.3"	पू72° 51' 20.4"
13	एम	उ24° 33' 31.6"	पू72° 39' 53.8"	38	ए12	उ24° 43' 27.2"	पू72° 50' 07.3"
14	एन	उ24° 33' 29.2"	पू72° 40' 00.9"	39	ए13	उ24° 42' 54.2"	पू72° 48' 14.6"
15	ओ	उ24° 31' 52.2"	पू72° 38' 49.0"	40	ए14	उ24° 43' 25.9"	पू72° 46' 37.2"
16	पी	उ24° 31' 06.2"	पू72° 39' 08.0"	41	ए15	उ24° 43' 05.6"	पू72° 45' 34.2"
17	क्यू	उ24° 31' 42.7"	पू72° 39' 45.7"	42	ए16	उ24° 42' 32.5"	पू72° 44' 50.9"
18	आर	उ24° 32' 29.5"	पू72° 40' 35.0"	43	ए17	उ24° 42' 13.3"	पू72° 44' 42.8"
19	एस	उ24° 31' 58.0"	पू72° 41' 06.7"	44	ए18	उ24° 41' 37.1"	पू72° 45' 08.8"
20	टी	उ24° 31' 40.2"	पू72° 41' 24.7"	45	ए19	उ24° 40' 59.5"	पू72° 44' 53.5"

21	यू	उ24° 31' 07.4"	पू72° 41' 42.5"	46	ए20	उ24° 40' 44.0"	पू72° 43' 59.9"
22	वी	उ24° 31' 13.3"	पू72° 43' 47.7"	47	ए21	उ24° 39' 08.0"	पू72° 43' 39.8"
23	डब्ल्यू	उ24° 31' 16.0"	पू72° 44' 43.6"	48	ए22	उ24° 38' 41.0"	पू72° 43' 16.7"
24	एक्स	उ24° 30' 34.0"	पू72° 44' 53.9"	49	ए23	उ24° 37' 46.6"	पू72° 41' 17.0"
25	वाई	उ24° 30' 58.6"	पू72° 46' 04.7"	50	ए24	उ24° 37' 16.8"	पू72° 41' 07.9"

सारणी ख: मॉउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं	अक्षांश	देशांतर	क्र.सं	अक्षांश	देशांतर
1	उ24° 35' 23.9"	पू72° 50' 17.2"	44	उ24° 31' 40.2"	पू72° 36' 02.3"
2	उ24° 35' 47.0"	पू72° 50' 21.8"	45	उ24° 31' 07.8"	पू72° 36' 08.1"
3	उ24° 36' 11.3"	पू72° 50' 39.1"	46	उ24° 30' 54.9"	पू72° 36' 21.2"
4	उ24° 36' 42.1"	पू72° 50' 54.8"	47	उ24° 30' 43.6"	पू72° 35' 53.2"
5	उ24° 37' 02.8"	पू72° 51' 02.8"	48	उ24° 30' 20.1"	पू72° 35' 15.7"
6	उ24° 37' 29.1"	पू72° 51' 16.0"	49	उ24° 29' 11.8"	पू72° 34' 10.0"
7	उ24° 37' 43.7"	पू72° 51' 39.1"	50	उ24° 28' 43.2"	पू72° 34' 35.9"
8	उ24° 38' 14.2"	पू72° 52' 34.3"	51	उ24° 28' 17.1"	पू72° 36' 54.9"
9	उ24° 38' 49.0"	पू72° 52' 33.8"	52	उ24° 29' 06.7"	पू72° 37' 26.5"
10	उ24° 39' 02.9"	पू72° 52' 24.5"	53	उ24° 29' 48.6"	पू72° 37' 32.4"
11	उ24° 40' 23.2"	पू72° 52' 55.7"	54	उ24° 30' 26.3"	पू72° 37' 44.6"
12	उ24° 41' 37.8"	पू72° 53' 08.9"	55	उ24° 30' 45.6"	पू72° 38' 05.7"
13	उ24° 41' 58.0"	पू72° 53' 10.4"	56	उ24° 30' 29.3"	पू72° 38' 51.8"
14	उ24° 42' 23.9"	पू72° 53' 17.4"	57	उ24° 30' 33.0"	पू72° 39' 09.6"
15	उ24° 42' 51.8"	पू72° 53' 08.6"	58	उ24° 30' 52.9"	पू72° 39' 57.5"

16	उ24° 43' 21.2"	पू72° 52' 30.2"	59	उ24° 30' 47.2"	पू72° 40' 37.8"
17	उ24° 43' 47.5"	पू72° 51' 55.4"	60	उ24° 30' 41.6"	पू72° 41' 07.1"
18	उ24° 44' 06.6"	पू72° 51' 24.8"	61	उ24° 30' 08.4"	पू72° 41' 22.3"
19	उ24° 43' 59.8"	पू72° 50' 19.5"	62	उ24° 30' 02.1"	पू72° 42' 15.7"
20	उ24° 43' 44.8"	पू72° 49' 17.6"	63	उ24° 30' 08.8"	पू72° 42' 31.3"
21	उ24° 43' 32.1"	पू72° 48' 58.0"	64	उ24° 30' 39.8"	पू72° 43' 50.7"
22	उ24° 43' 30.2"	पू72° 48' 22.0"	65	उ24° 30' 21.1"	पू72° 44' 07.7"
23	उ24° 43' 32.6"	पू72° 47' 13.3"	66	उ24° 30' 05.8"	पू72° 44' 27.4"
24	उ24° 44' 16.1"	पू72° 46' 31.0"	67	उ24° 30' 04.3"	पू72° 45' 09.0"
25	उ24° 43' 14.6"	पू72° 44' 48.9"	68	उ24° 30' 14.2"	पू72° 45' 37.8"
26	उ24° 42' 46.6"	पू72° 44' 14.5"	69	उ24° 30' 19.2"	पू72° 46' 17.9"
27	उ24° 41' 08.9"	पू72° 42' 43.6"	70	उ24° 30' 30.6"	पू72° 46' 48.1"
28	उ24° 40' 45.4"	पू72° 42' 00.5"	71	उ24° 30' 34.0"	पू72° 47' 05.7"
29	उ24° 40' 19.7"	पू72° 41' 48.6"	72	उ24° 30' 47.0"	पू72° 47' 24.0"
30	उ24° 38' 50.6"	पू72° 42' 04.8"	73	उ24° 31' 04.9"	पू72° 47' 25.6"
31	उ24° 38' 27.1"	पू72° 41' 30.1"	74	उ24° 31' 15.8"	पू72° 47' 08.2"
32	उ24° 36' 44.0"	पू72° 39' 47.5"	75	उ24° 31' 55.6"	पू72° 47' 32.4"
33	उ24° 35' 49.7"	पू72° 39' 03.2"	76	उ24° 32' 22.2"	पू72° 47' 36.8"
34	उ24° 35' 03.5"	पू72° 38' 13.6"	77	उ24° 32' 32.7"	पू72° 47' 47.7"
35	उ24° 34' 58.5"	पू72° 38' 02.4"	78	उ24° 32' 27.8"	पू72° 47' 55.8"
36	उ24° 34' 43.9"	पू72° 37' 42.0"	79	उ24° 32' 21.1"	पू72° 48' 16.8"
37	उ24° 34' 35.8"	पू72° 37' 33.1"	80	उ24° 32' 52.3"	पू72° 48' 43.2"

38	उ24° 34' 03.2"	पू72° 37' 07.6"	81	उ24° 33' 07.6"	पू72° 48' 50.7"
39	उ24° 33' 17.7"	पू72° 37' 01.2"	82	उ24° 33' 36.6"	पू72° 49' 02.0"
40	उ24° 32' 53.7"	पू72° 36' 42.9"	83	उ24° 33' 47.5"	पू72° 49' 08.5"
41	उ24° 32' 37.6"	पू72° 36' 27.9"	84	उ24° 34' 15.9"	पू72° 49' 30.1"
42	उ24° 32' 21.7"	पू72° 36' 19.2"	85	उ24° 34' 34.0"	पू72° 49' 46.9"
43	उ24° 31' 52.9"	पू72° 36' 01.5"			

उपाबंध-IV

भू-निर्देशांकों के साथ मॉउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं	ग्राम का नाम	ग्राम के प्रकार*	तहसील/ तालुका	जिला	अक्षांश (उ) (डीएमएस प्रारूप)	देशांतर (पू) (डीएमएस प्रारूप)
1	ननारवारा	राजस्व	पिंडवारा	सिरोही	उ24°40’13.08”	पू72°53’49.35”
2	निटोडा	राजस्व	पिंडवारा	सिरोही	उ24°19’52.00”	पू72°53’37.46”
3	उबेरा	राजस्व	पिंडवारा	सिरोही	उ24°43’10.89”	पू72°49’35.57”
4	नागपुर	राजस्व	पिंडवारा	सिरोही	उ24°35’02.33”	पू72°50’01.43”
5	पंचदेवल	राजस्व	पिंडवारा	सिरोही	उ24°37’04.45”	पू72°05’16.18”
6	मंडवारा	राजस्व	पिंडवारा	सिरोही	उ24°43’45.73”	पू72°53’33.46”
7	खोखरी खेडा	राजस्व	पिंडवारा	सिरोही	उ24°43’23.67”	पू72°50’43.46”
8	कचोलइ	राजस्व	पिंडवारा	सिरोही	उ24°38’26.46”	पू72°53’16.20”
9	फुलाबाई का खेडा	राजस्व	पिंडवारा	सिरोही	उ24°37’29.50”	पू72°51’59.68”
10	उदवारीया	राजस्व	पिंडवारा	सिरोही	उ24°36’49.62”	पू72°53’33.58”
11	दनता	राजस्व	पिंडवारा	सिरोही	उ24°43’36.84”	पू72°51’19.86”
12	पिपेला	राजस्व	पिंडवारा	सिरोही	उ24°38’22.32”	पू72°56’51.60”
13	कोटरा	राजस्व	पिंडवारा	सिरोही	उ24°36’18.46”	पू72°50’33.27”
14	माहीखेडा	राजस्व	पिंडवारा	सिरोही	उ24°30’31.44”	पू72°38’52.08”
15	इसरा	राजस्व	पिंडवारा	सिरोही	उ24°43’48.63”	पू72°48’36.41”
16	खंड सं.2	राजस्व एवं वन	पिंडवारा	सिरोही	उ24°37’18.91”	पू72°48’56.32”
17	तेलपीखेडा	राजस्व एवं वन	सिरोही	सिरोही	उ24°43’32.66”	पू72°46’28.92”
18	हदमतिया	राजस्व	रेवदर	सिरोही	उ24°38’34.58”	पू72°41’07.52”

19	अनादरा	राजस्व	रेवदर	सिरोही	उ24°38'19.23"	पू72°39'18.46"
20	डाक	राजस्व	रेवदर	सिरोही	उ24°35'40.81"	पू72°37'57.97"
21	धनेरा	राजस्व	रेवदर	सिरोही	उ24°34'34.64"	पू72°37'56.65"
22	पलरिखेडा	राजस्व एवं वन	रेवदर	सिरोही	उ24°31'41.40"	पू72°35'57.90"
23	मुलिया खेडा	राजस्व एवं वन	रेवदर	सिरोही	उ24°29'48.96"	पू72°35'41.05"
24	धावली	राजस्व	रेवदर	सिरोही	उ24°33'49.23"	पू72°35'41.93"
25	सिंगराली खेडा	राजस्व एवं वन	रेवदर	सिरोही	उ24°38'58.28"	पू72°41'06.48"
26	बुरारीखेडा	राजस्व एवं वन	रेवदर	सिरोही	उ24°41'14.27"	पू72°44'28.35"
27	बारी खेडा	राजस्व एवं वन	रेवदर	सिरोही	उ24°40'13.08"	पू72°53'49.35"
28	पडरूखेडा	राजस्व एवं वन	रेवदर	सिरोही	उ24°42'32.83"	पू72°44'22.71"
29	टोकरा	राजस्व एवं वन	रेवदर	सिरोही	उ24°40'11.30"	पू72°42'27.32"
30	क्यारिया	राजस्व	रेवदर	सिरोही	उ24°33'01.05"	पू72°36'14.85"
31	सरलिया	राजस्व	रेवदर	सिरोही	उ24°40'13.08"	पू72°53'49.35"
32	क्यारा	राजस्व	आबू सड़क	सिरोही	उ24°34'14.31"	पू72°48'44.22"
33	झामर	राजस्व	आबू सड़क	सिरोही	उ24°30'22.56"	पू72°43'38.70"
34	भाकयोरजी	राजस्व	आबू सड़क	सिरोही	उ24°30'38.28"	पू72°42'43.26"
35	बगेरी	राजस्व एवं वन	आबू सड़क	सिरोही	उ24°30'23.94"	पू72°41'20.30"
36	अमबाबेरी	राजस्व	आबू सड़क	सिरोही	उ24°31'46.17"	पू72°41'20.03"
37	चंदेला	राजस्व एवं वन	आबू सड़क	सिरोही	उ24°31'12.85"	पू72°39'33.48"
38	फतेहपुरा	राजस्व एवं वन	आबू सड़क	सिरोही	उ24°31'51.43"	पू72°39'12.11"
39	सकोडा	राजस्व एवं वन	आबू सड़क	सिरोही	उ24°32'31.99"	पू72°39'39.06"
40	बहादुरपुरा	राजस्व	आबू सड़क	सिरोही	उ24°31'29.50"	पू72°37'48.20"
41	छोटिला	राजस्व	आबू सड़क	सिरोही	उ24°28'48.27"	पू72°37'11.47"
42	वन छोटिला	राजस्व एवं वन	आबू सड़क	सिरोही	उ24°29'21.98"	पू72°36'27.13"
43	मुलियामहादेव	राजस्व एवं वन	आबू सड़क	सिरोही	उ24°30'26.44"	पू72°36'48.91"
44	गिरवार	राजस्व	आबू सड़क	सिरोही	उ24°30'20.06"	पू72°39'23.60"
45	मुंगथाला	राजस्व एवं वन	आबू सड़क	सिरोही	उ24°29'11.80"	पू72°41'31.57"
46	धामसरा	राजस्व	आबू सड़क	सिरोही	उ24°40'13.08"	पू72°53'49.35"
47	वजना	राजस्व	आबू सड़क	सिरोही	उ24°31'17.64"	पू72°37'31.26"
48	स्मारवा का गोलिया	राजस्व	आबू सड़क	सिरोही	उ24°33'32.00"	पू72°39'23.10"
49	तलवारका नाका	राजस्व	आबू सड़क	सिरोही	उ24°30'21.3"	पू72°44'10.0"

50	गंका	राजस्व	आबू सड़क	सिरोही	उ24°30’08.0”	पू72°45’14.6”
51	उमरानी	राजस्व	आबू सड़क	सिरोही	उ24°30’57.2”	पू72°46’17.5”
52	देनवावे	राजस्व	आबू सड़क	सिरोही	उ24°31’35.3”	पू72°47’33.0”
53	आमथाला	राजस्व	आबू सड़क	सिरोही	उ24°33’24.43”	पू72°48’31.06”
54	मुदराला	राजस्व	आबू सड़क	सिरोही	उ24°33’58.0”	पू72°49’02.90”

उपाबंध-V

की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र:-

1. बैठकों की संख्या और तारीख।
2. बैठकों का कार्यवृत : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें)।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार)। विवरण उपाबंध के रुप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संवीक्षा किए गए मामलों का सार। (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संवीक्षा किए गए मामलों का सार। (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2020

S.O. 4047(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1917 (E), dated the 3rd June, 2019, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 4th June, 2019;

AND WHEREAS, objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the aforesaid draft notification were duly considered by the Central Government;

AND WHEREAS, Mount Abu Wildlife Sanctuary is situated in Sirohi district of Rajasthan close to the borders of Gujarat, between 24º 33’ to 24º 43’ N and 72º 38’ to 72º53’ E in the Southern part of the Aravali Mountain Range. The sanctuary is spread over an area of 326.09 square kilometers and extent across Abu Road, Pindwara and Revder Tehsil of Sirohi district;

AND WHEREAS, Mount Abu is a unique ecosystem due to its altitudinal variations ranges from 300 to 1722 meters above sea level and harbor variety of rare, endangered and endemic flora and fauna. It was declared as

Wildlife Sanctuary in 1960 which was further modified and finally notified in year the 2008. Being the only hill station between the states of Rajasthan and Gujarat and its rich historical and cultural diversity, more than 15 lakhs tourists visit the place every year. The sanctuary comprises the oldest mountain ranges i.e. the Aravalli in Sirohi district of Rajasthan. The detached group of hills rises suddenly from the flat plain like a rocky island;

AND WHEREAS, Mount Abu has a very rich floral biodiversity starting with xeromorphic subtropical thorn forest at the foot hills to subtropical evergreen forest along water courses and valleys at higher altitudes. These forests consist of 112 plant families with 449 genera and 820 species;

AND WHEREAS, major flora recorded from Mount Abu Wildlife Sanctuary are *Mangifera indica* (mango), *Morinda tinctoria* (Indian mulberry), *Buchanania lanzan* (chironji), *Cassia fistula* (golden rain tree), *Emblica officinalis* (amla), *Sapindus emarginatus* (notched leaf soapnut), *Acacia nilotica* (babul), *Ficus benghalensis* (banyan), *Terminalia bellerica, Aegle marmelos, Diospyros cordifolia, Ziziphus mauritiana, Syzygium cumini, Holoptelea integrifolia, Butea monosperma, Anogeissus latifolia, Anogeissus pendula, Ficus religiosa, Acacia leucophloea, Mallotus philippinensis, Terminalia tomentosa, Tectona grandis* (teak), *Terminalia arjuna* (arjuna), *Wrightia tomentosa, Albizia lebbeck, Albizia procera* (tall albizia), *Solanum virginianum* (*thorny nightshade*), *Carissa carandas,* etc.;

AND WHEREAS, the important fauna recorded from the Sanctuary includes Hanuman langur (*Semnopithecus entellus),* leopard (*Panthera pardus*), jungle cat (*Felis chaus*), Grey Mongoose (*Herpestes edwardsii*), Jackal (*Canis aureus),* Indian Fox (*Vulpes bengalensis*), striped hyena (*Hyaena hyaena*), common palm civet (*Paradoxurus hermaphroditus*), honey badger(*Mellivora capensis*), Indian hedgehog (*Hemiechinus micropus*), blue bull (*Boselaphus tragocamelus*), sambar deer (*Cervus unicolor),* Indian wild boar (*Sus scrofa*), five striped palm squirrel (*Funambulus pennantii*), house shrew (*Suncus murinus*), Indian porcupine (*Hystrix indica*), Indian hare (*Lepus nigricollis*), Indian wolf (*Canis lupus),* sloth bear (*Melursus ursinus*), green avadavat (*Amandava formosa*), Asian paradise flycatcher (*Terpsiphone paradisi*), Indian scimitar babbler (*Pomatorhonus horsfieldii*), red whiskered bulbul (*Pycnonotus jacosus*), Indian peafowl (*Pavo cristatus*), white breasted water hen (*Amaurornis phoenicurus*), Oriental honey buzzard (*Pernis ptilorhynchus*), etc. While, major reptiles found in the area are crocodiles (*Crocodylus palustris*), Indian mud turtle (*Lissemys punctata*), starred tortoise (*Geochelone elegans*), Brooks gecko (*Hemidactylus brookii*), rock gecko (*Hemidactylus maculatus*), Forsten's cat snake (*Boiga forsteni*), checkered keelback (*Xenochrophis piscator*), common garden lizard (*Calotes versicolor*), Indian chameleon (*Chameleon calcaratus*), saw scaled viper (*Echis carinatus*), common skink (*Eutropis carinata*), monitor lizard (*Varanus bengalensis*),Indian python (*Python molurus*), common rat snake (*Ptyas mucosus*), green keelback (*Macropisthodon plumbicolor*), common Indian krait (*Bungarus caeruleus*), Indian cobra (*Naja naja*), Russell's viper (*Daboia russelli*), etc. and birds such as green munia, jungle babbler, cattle egret, purple sunbird, Indian pond heron, ashy prinia, crested serpent-eagle, Oriental honey buzzard, Indian blackbird, white-spotted fantail-flycatcher, rock pigeon, peregrine falcon, Oriental white-eye, crested bunting, Coppersmith barbet, Indian grey hornbill, rosy starling, black redstart, black drongo, etc. are found in the region;

AND WHEREAS, endangered species recorded from the Sanctuary are *Anogeissus sericea*, *Begonia trichocarpa* (hairy-fruit begonia), *Crotalaria filipes* (creeping hemp), *Indigofera constricta*, *Panthera pardus* (leopard), *Melursus ursinus* (sloth bear), etc. While major endemic species recorded from the Sanctuary are sub-species of *Dicliptera abuensis, Strobilanthes callosus* and *Rosa involucrate,* etc.;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Mount Abu Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of 0.1 kilometres to 6.08 kilometres around the boundary of Mount Abu Wildlife Sanctuary, in the Sirohi district in the State of Rajasthan as Mount Abu Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (here after in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. –** (1)The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 0.1 kilometres to 6.08 kilometres around the boundary of Mount Abu Wildlife Sanctuary. The minimum extent of 0.1 kilometer is due to heavy human presence and development around the area. The maximum extent of 6.08 kilometers includes the important corridor connectivity between Mount Abu Wildlife Sanctuary and Jessore Sloth Bear Sanctuary of Gujarat that will help to preserve and maintain long time healthy gene pool exchange for the animal like sloth bear, leopard, hyena, etc. The area of the Eco-sensitive Zone is 125.15 square kilometres. The extent of Eco-sensitive Zone in different directions are given below:-

Directions	**Extent (kilometers)**
North	*1.0*
North- East	*1.0*
East	*1.0*
South-East	*0.1*
South	*1.1*
South-West	*6.08*
West	*1.0*
North-West	*1.0*

(2) The boundary description of Mount Abu Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I.**

(3) The maps of the Mount Abu Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA, Annexure-IIB, Annexure-IIC** and **Annexure-IID.**

(4) Lists of geo-coordinates of the boundary of Mount Abu Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure III.**

(5) The list of villages falling in the proposed Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV.**

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone. -(1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the Competent authority of State.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Urban Development;

(iv) Tourism;

(v) Municipal;

(vi) Revenue;

(vii) Agriculture;

(viii) Rajasthan State Pollution Control Board;

(ix) Irrigation and Flood Control;

(x) Rural Development;

(xi) Panchayati Raj; and

(xii) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay;

(v) rainwater harvesting; and

(vi) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or Eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. -Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.-Discharge of treated effluent in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.-Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste.– Bio Medical Waste Management shall be as under:-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.-The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.-Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within the Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction shall not be permitted on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made thereunder including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	**Activity**	**Description**
(1)	**(2)**	**(3)**
		A. Prohibited Activities
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within the Eco-Sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.

2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within the Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
8.	Commercial use of firewood.	Prohibited.
9.	New wood based industry.	Prohibited.
10.	Fishing.	Prohibited.
11.	Use of high Intensity and bright lights.	Prohibited.
B. Regulated Activities		
12.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
13.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents. Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
14.	Small scale non-polluting industries.	Non-polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from

		indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
15.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
16.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
17.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
18.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations and available guidelines.
19.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
20.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
21.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
22.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
23.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
24.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
25.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except as otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.

30.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
31.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
32.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated as per the applicable laws. Barbed wire fencing and electrical fencing shall not be permitted.
33.	Petrol Pump.	Permission under applicable laws by Monitoring Committee.
C. Promoted Activities		
34.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
35.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
36.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
37.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
38.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light, etc. shall be actively promoted.
39.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
40.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
41.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
42.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
43.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
44.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. **Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.-** For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

Sl. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	District Collector	Chairman, ex officio;
(ii)	Sub Divisional Officer (SDO), Mount Abu	Member;
(iii)	Sub Divisional Officer (SDO), Sirohi	Member;
(iv)	Sub Divisional Officer (SDO), Revder	Member;
(v)	Honorary Wildlife Warden, Mount Abu, Sirohi	Member;
(vi)	A representative of Non-governmental Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by the State Government	Member;
(vii)	An expert in Biodiversity nominated by the State Government	Member;
(viii)	One expert in Ecology from reputed institution or university of the State	Member;
(ix)	Chairperson Nagarpalika, Abu Road	Member;
(x)	Pradhan, PS, Mt Abu	Member;
(xi)	Pradhan, PS, Revder	Member;
(xii)	Pradhan, PS, Pindwara	Member;
(xiii)	Deputy Conservator of Forests, Mount Abu	Member-Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be till further orders, provided that the non-official members of the Committee shall be nominated by the State Government from time to time.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure-V.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/55/2015-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE MOUNT ABU WILDLIFE SANCTUARY

North	*From Villages Nithoda / Nanarwada to ThelphiKheda, Eco-sensitive Zone boundary of 1 kilometer.*
North- East	*From Villages PhulabhaikaKheda, Kacholi to Nithoda/ Nanarwada, Eco-sensitive Zone boundary of 1 kilometer.*
East	*From Village Kyara to Panchdeval, Eco-sensitive Zone boundary of 1 kilometer.*
South-East	*In Village Dhanbhav Eco-sensitive Zone boundary of 100 meters from Boundary of Mount Abu Wildlife Sanctuary.*
South	*From Villages Girwar, Chandela, Ambaberi, Moongthala and Dhamsara, Eco-sensitive Zone boundary of 1 kilometer to 1.1 kilometers.*
South-West	*From Villages Dhavli to ThodaPaladi, Eco-sensitive Zone boundary of 1 kilometer and from villages Fatehpura, Sakoda, Bahadepura Eco-sensitive Zone boundary of 6.08 kilometers, which also contains Chautila, Forest Chautila, MuliyaMahadev villages which are either Forest land or Agricultural lands.*
West	*From Villages Sarliya to Anadra, till Dak, Eco-sensitive Zone boundary of 1 kilometer.*
North-West	*From Villages ThelpiKheda to Tokra, Hadmatiya and Saraliya, Eco-sensitive Zone boundary of 1 kilometer.*

ANNEXURE- IIA

LOCATION MAP OF MOUNT ABU WILDLIFE SANCTUARY IN SIROHI DISTRICT OF RAJASTHAN

ANNEXURE- IIB

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF MOUNT ABU WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH PROMINENT LOCATIONS

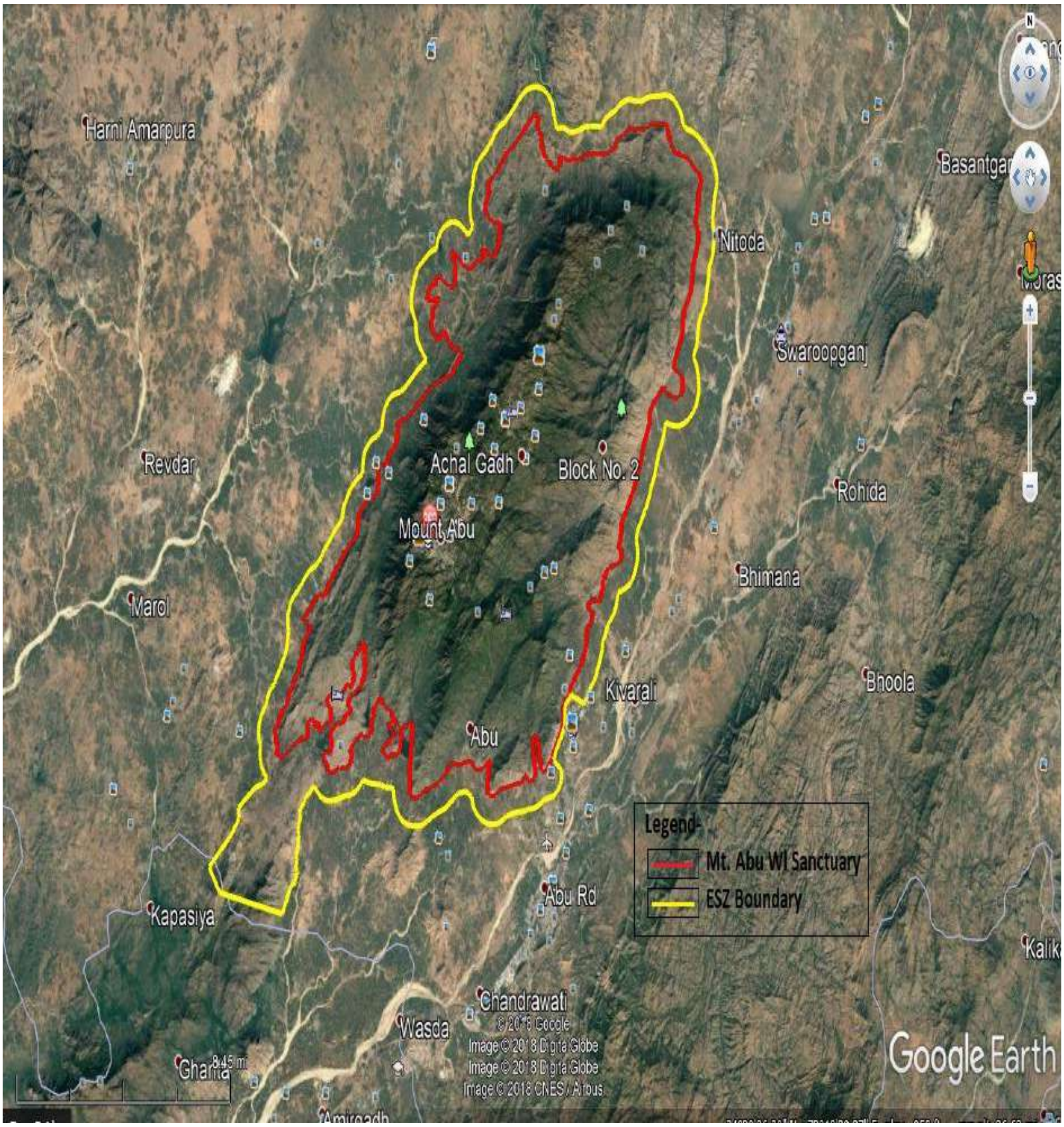

ANNEXURE- IIC

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF MOUNT ABU WILDLIFE SANCTUARYALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET

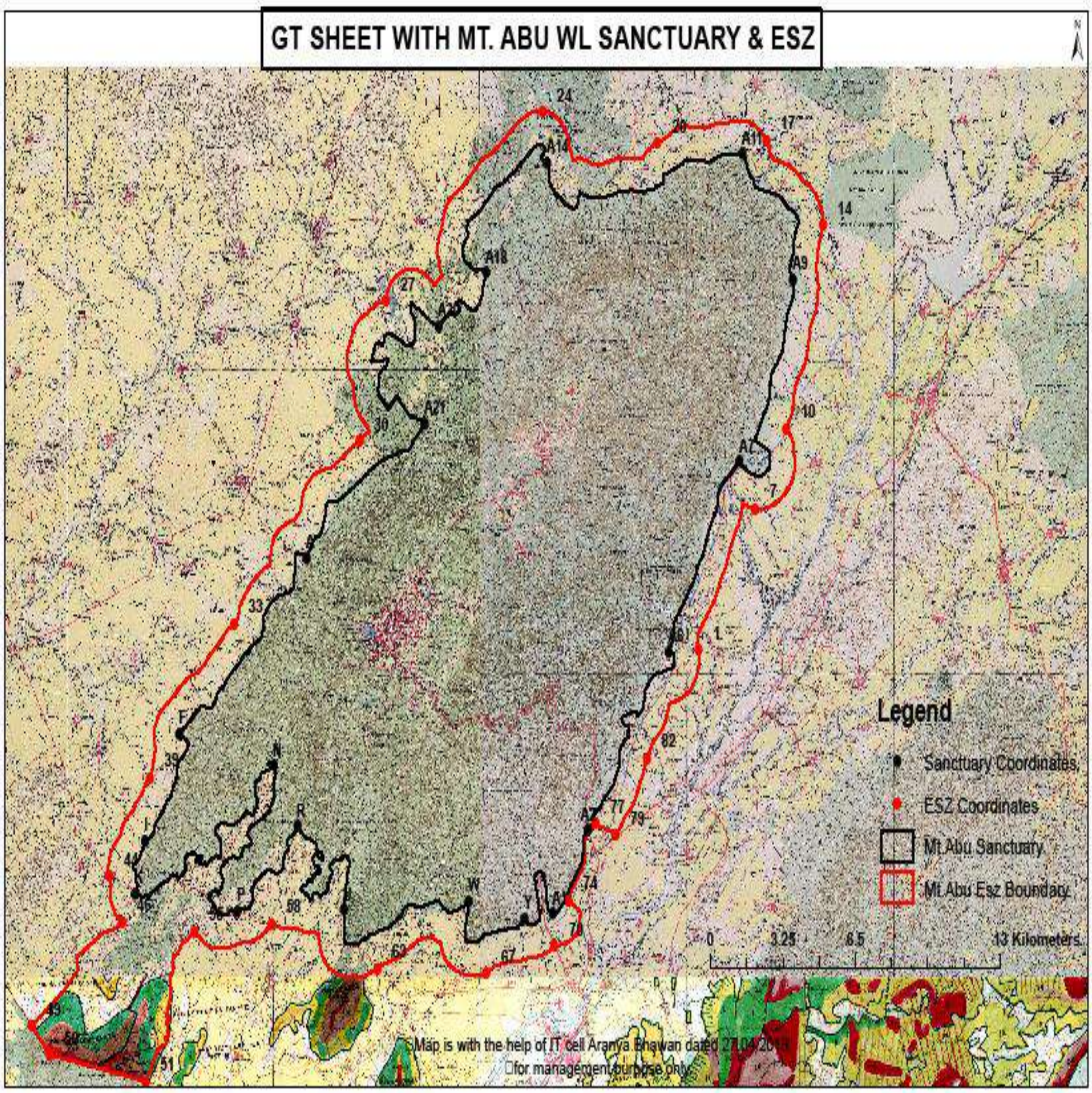

ANNEXURE- IID

MAP SHOWING LANDUSE PATTERN OF ECO-SENSITIVE ZONE OF MOUNT ABU WILDLIFE SANCTUARY IN THE STATE OF RAJASTHAN

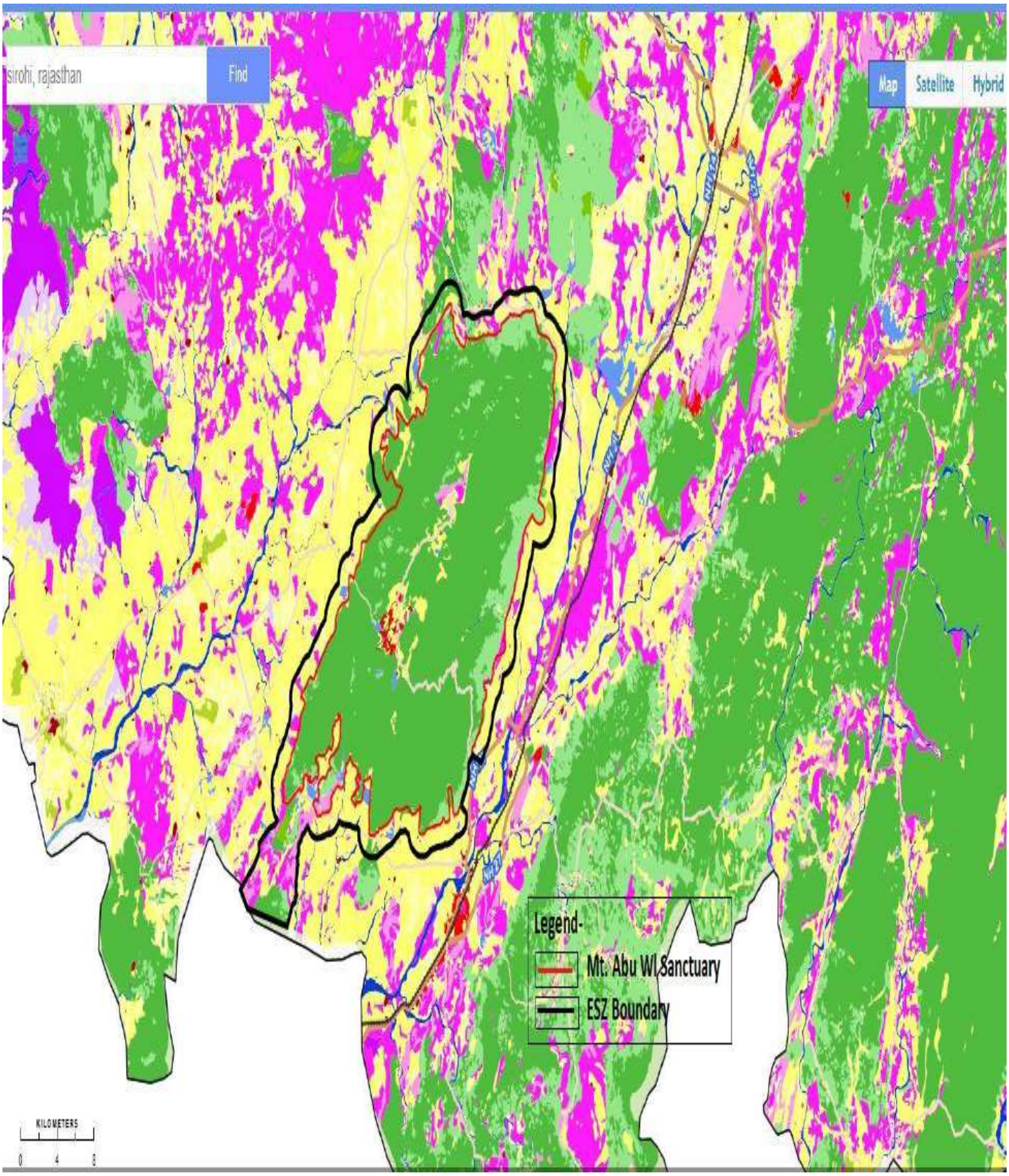

ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF MOUNT ABU WILDLIFE SANCTUARY

S. No.	Point Code	Latitude	Longitude	S. No.	Point Code	Latitude	Longitude
1	A	N24° 36' 54.8"	E72° 40' 48.7"	26	Z	N24° 31' 44.2"	E72° 46' 25.6"
2	B	N24° 36' 59.7"	E72° 40' 35.9"	27	A1	N24° 31' 03.0"	E72° 46' 45.3"
3	C	N24° 36' 25.1"	E72° 40' 30.1"	28	A2	N24° 32' 26.1"	E72° 47' 36.4"
4	D	N24° 35' 44.0"	E72° 39' 45.2"	29	A3	N24° 33' 30.6"	E72° 48' 23.0"
5	E	N24° 34' 25.1"	E72° 38' 30.8"	30	A4	N24° 34' 08.6"	E72° 48' 30.1"
6	F	N24° 34' 01.5"	E72° 37' 44.0"	31	A5	N24° 34' 42.2"	E72° 48' 58.7"
7	G	N24° 33' 51.6"	E72° 37' 57.2"	32	A6	N24° 35' 22.3"	E72° 49' 33.5"
8	H	N24° 32' 33.3"	E72° 37' 10.8"	33	A7	N24° 38' 29.9"	E72° 51' 16.4"
9	I	N24° 32' 15.6"	E72° 36' 54.1"	34	A8	N24° 38' 50.5"	E72° 51' 38.4"
10	J	N24° 31' 48.4"	E72° 36' 36.6"	35	A9	N24° 41' 30.8"	E72° 52' 34.1"
11	K	N24° 31' 23.4"	E72° 36' 39.6"	36	A10	N24° 42' 54.5"	E72° 52' 07.7"
12	L	N24° 31' 33.5"	E72° 37' 21.4"	37	A11	N24° 43' 34.3"	E72° 51' 20.4"
13	M	N24° 33' 31.6"	E72° 39' 53.8"	38	A12	N24° 43' 27.2"	E72° 50' 07.3"
14	N	N24° 33' 29.2"	E72° 40' 00.9"	39	A13	N24° 42' 54.2"	E72° 48' 14.6"
15	O	N24° 31' 52.2"	E72° 38' 49.0"	40	A14	N24° 43' 25.9"	E72° 46' 37.2"
16	P	N24° 31' 06.2"	E72° 39' 08.0"	41	A15	N24° 43' 05.6"	E72° 45' 34.2"
17	Q	N24° 31' 42.7"	E72° 39' 45.7"	42	A16	N24° 42' 32.5"	E72° 44' 50.9"
18	R	N24° 32' 29.5"	E72° 40' 35.0"	43	A17	N24° 42' 13.3"	E72° 44' 42.8"
19	S	N24° 31' 58.0"	E72° 41' 06.7"	44	A18	N24° 41' 37.1"	E72° 45' 08.8"
20	T	N24° 31' 40.2"	E72° 41' 24.7"	45	A19	N24° 40' 59.5"	E72° 44' 53.5"
21	U	N24° 31' 07.4"	E72° 41' 42.5"	46	A20	N24° 40' 44.0"	E72° 43' 59.9"

22	V	N24° 31' 13.3"	E72° 43' 47.7"	47	A21	N24° 39' 08.0"	E72° 43' 39.8"
23	W	N24° 31' 16.0"	E72° 44' 43.6"	48	A22	N24° 38' 41.0"	E72° 43' 16.7"
24	X	N24° 30' 34.0"	E72° 44' 53.9"	49	A23	N24° 37' 46.6"	E72° 41' 17.0"
25	Y	N24° 30' 58.6"	E72° 46' 04.7"	50	A24	N24° 37' 16.8"	E72° 41' 07.9"

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND MOUNT ABU WILDLIFE SANCTUARY

S. No.	Latitude	Longitude	S. No.	Latitude	Longitude
1	N24° 35' 23.9"	E72° 50' 17.2"	44	N24° 31' 40.2"	E72° 36' 02.3"
2	N24° 35' 47.0"	E72° 50' 21.8"	45	N24° 31' 07.8"	E72° 36' 08.1"
3	N24° 36' 11.3"	E72° 50' 39.1"	46	N24° 30' 54.9"	E72° 36' 21.2"
4	N24° 36' 42.1"	E72° 50' 54.8"	47	N24° 30' 43.6"	E72° 35' 53.2"
5	N24° 37' 02.8"	E72° 51' 02.8"	48	N24° 30' 20.1"	E72° 35' 15.7"
6	N24° 37' 29.1"	E72° 51' 16.0"	49	N24° 29' 11.8"	E72° 34' 10.0"
7	N24° 37' 43.7"	E72° 51' 39.1"	50	N24° 28' 43.2"	E72° 34' 35.9"
8	N24° 38' 14.2"	E72° 52' 34.3"	51	N24° 28' 17.1"	E72° 36' 54.9"
9	N24° 38' 49.0"	E72° 52' 33.8"	52	N24° 29' 06.7"	E72° 37' 26.5"
10	N24° 39' 02.9"	E72° 52' 24.5"	53	N24° 29' 48.6"	E72° 37' 32.4"
11	N24° 40' 23.2"	E72° 52' 55.7"	54	N24° 30' 26.3"	E72° 37' 44.6"
12	N24° 41' 37.8"	E72° 53' 08.9"	55	N24° 30' 45.6"	E72° 38' 05.7"
13	N24° 41' 58.0"	E72° 53' 10.4"	56	N24° 30' 29.3"	E72° 38' 51.8"
14	N24° 42' 23.9"	E72° 53' 17.4"	57	N24° 30' 33.0"	E72° 39' 09.6"
15	N24° 42' 51.8"	E72° 53' 08.6"	58	N24° 30' 52.9"	E72° 39' 57.5"
16	N24° 43' 21.2"	E72° 52' 30.2"	59	N24° 30' 47.2"	E72° 40' 37.8"
17	N24° 43' 47.5"	E72° 51' 55.4"	60	N24° 30' 41.6"	E72° 41' 07.1"
18	N24° 44' 06.6"	E72° 51' 24.8"	61	N24° 30' 08.4"	E72° 41' 22.3"
19	N24° 43' 59.8"	E72° 50' 19.5"	62	N24° 30' 02.1"	E72° 42' 15.7"
20	N24° 43' 44.8"	E72° 49' 17.6"	63	N24° 30' 08.8"	E72° 42' 31.3"

21	N24° 43' 32.1"	E72° 48' 58.0"	64	N24° 30' 39.8"	E72° 43' 50.7"
22	N24° 43' 30.2"	E72° 48' 22.0"	65	N24° 30' 21.1"	E72° 44' 07.7"
23	N24° 43' 32.6"	E72° 47' 13.3"	66	N24° 30' 05.8"	E72° 44' 27.4"
24	N24° 44' 16.1"	E72° 46' 31.0"	67	N24° 30' 04.3"	E72° 45' 09.0"
25	N24° 43' 14.6"	E72° 44' 48.9"	68	N24° 30' 14.2"	E72° 45' 37.8"
26	N24° 42' 46.6"	E72° 44' 14.5"	69	N24° 30' 19.2"	E72° 46' 17.9"
27	N24° 41' 08.9"	E72° 42' 43.6"	70	N24° 30' 30.6"	E72° 46' 48.1"
28	N24° 40' 45.4"	E72° 42' 00.5"	71	N24° 30' 34.0"	E72° 47' 05.7"
29	N24° 40' 19.7"	E72° 41' 48.6"	72	N24° 30' 47.0"	E72° 47' 24.0"
30	N24° 38' 50.6"	E72° 42' 04.8"	73	N24° 31' 04.9"	E72° 47' 25.6"
31	N24° 38' 27.1"	E72° 41' 30.1"	74	N24° 31' 15.8"	E72° 47' 08.2"
32	N24° 36' 44.0"	E72° 39' 47.5"	75	N24° 31' 55.6"	E72° 47' 32.4"
33	N24° 35' 49.7"	E72° 39' 03.2"	76	N24° 32' 22.2"	E72° 47' 36.8"
34	N24° 35' 03.5"	E72° 38' 13.6"	77	N24° 32' 32.7"	E72° 47' 47.7"
35	N24° 34' 58.5"	E72° 38' 02.4"	78	N24° 32' 27.8"	E72° 47' 55.8"
36	N24° 34' 43.9"	E72° 37' 42.0"	79	N24° 32' 21.1"	E72° 48' 16.8"
37	N24° 34' 35.8"	E72° 37' 33.1"	80	N24° 32' 52.3"	E72° 48' 43.2"
38	N24° 34' 03.2"	E72° 37' 07.6"	81	N24° 33' 07.6"	E72° 48' 50.7"
39	N24° 33' 17.7"	E72° 37' 01.2"	82	N24° 33' 36.6"	E72° 49' 02.0"
40	N24° 32' 53.7"	E72° 36' 42.9"	83	N24° 33' 47.5"	E72° 49' 08.5"
41	N24° 32' 37.6"	E72° 36' 27.9"	84	N24° 34' 15.9"	E72° 49' 30.1"
42	N24° 32' 21.7"	E72° 36' 19.2"	85	N24° 34' 34.0"	E72° 49' 46.9"
43	N24° 31' 52.9"	E72° 36' 01.5"			

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF MOUNT ABU WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

Sl. No.	Village Name	Type of Village*	Tehsil/ Taluka	District	Latitude (N) (DMS Format)	Longitude (E) (DMS Format)
1	Nanarwara	Revenue	Pindwara	Sirohi	N24°40’13.08”	E72°53’49.35”
2	Nitoda	Revenue	Pindwara	Sirohi	N24°19’52.00”	E72°53’37.46”
3	Ubera	Revenue	Pindwara	Sirohi	N24°43’10.89”	E72°49’35.57”
4	Nagpura	Revenue	Pindwara	Sirohi	N24°35’02.33”	E72°50’01.43”
5	Panchdeval	Revenue	Pindwara	Sirohi	N24°37’04.45”	E72°05’16.18”
6	Mandwara	Revenue	Pindwara	Sirohi	N24°43’45.73”	E72°53’33.46”
7	KhokhariKheda	Revenue	Pindwara	Sirohi	N24°43’23.67”	E72°50’43.46”
8	Kacholi	Revenue	Pindwara	Sirohi	N24°38’26.46”	E72°53’16.20”
9	Phulabaikakheda	Revenue	Pindwara	Sirohi	N24°37’29.50”	E72°51’59.68”
10	Udwariya	Revenue	Pindwara	Sirohi	N24°36’49.62”	E72°53’33.58”
11	Danta	Revenue	Pindwara	Sirohi	N24°43’36.84”	E72°51’19.86”
12	Pipela	Revenue	Pindwara	Sirohi	N24°38’22.32”	E72°56’51.60”
13	Kotra	Revenue	Pindwara	Sirohi	N24°36’18.46”	E72°50’33.27”
14	Mahi kheda	Revenue	Pindwara	Sirohi	N24°30’31.44”	E72°38’52.08”
15	Isra	Revenue	Pindwara	Sirohi	N24°43’48.63”	E72°48’36.41”
16	Block No.2	R & F	Pindwara	Sirohi	N24°37’18.91”	E72°48’56.32”
17	Telpikheda	R & F	Sirohi	Sirohi	N24°43’32.66”	E72°46’28.92”
18	Hadmatiya	Revenue	Reodar	Sirohi	N24°38’34.58”	E72°41’07.52”
19	Anadra	Revenue	Reodar	Sirohi	N24°38’19.23”	E72°39’18.46”
20	Dak	Revenue	Reodar	Sirohi	N24°35’40.81”	E72°37’57.97”
21	Dhanera	Revenue	Reodar	Sirohi	N24°34’34.64”	E72°37’56.65”
22	Palrikheda	R & F	Reodar	Sirohi	N24°31’41.40”	E72°35’57.90”
23	MuliyaKheda	R & F	Reodar	Sirohi	N24°29’48.96”	E72°35’41.05”

24	Dhawli	Revenue	Reodar	Sirohi	N24°33’49.23”	E72°35’41.93”
25	Singarlikheda	R & F	Reodar	Sirohi	N24°38’58.28”	E72°41’06.48”
26	Burarikheda	R & F	Reodar	Sirohi	N24°41’14.27”	E72°44’28.35”
27	Bari kheda	R & F	Reodar	Sirohi	N24°40’13.08”	E72°53’49.35”
28	Padrukheda	R & F	Reodar	Sirohi	N24°42’32.83”	E72°44’22.71”
29	Tokra	R & F	Reodar	Sirohi	N24°40’11.30”	E72°42’27.32”
30	Kyariya	Revenue	Reodar	Sirohi	N24°33’01.05”	E72°36’14.85”
31	Sarliya	Revenue	Reodar	Sirohi	N24°40’13.08”	E72°53’49.35”
32	Kyara	Revenue	Abu Road	Sirohi	N24°34’14.31”	E72°48’44.22”
33	Jhamar	Revenue	Abu Road	Sirohi	N24°30’22.56”	E72°43’38.70”
34	Bhakyorji	Revenue	Abu Road	Sirohi	N24°30’38.28”	E72°42’43.26”
35	Bageri	R & F	Abu Road	Sirohi	N24°30’23.94”	E72°41’20.30”
36	Ambaberi	Revenue	Abu Road	Sirohi	N24°31’46.17”	E72°41’20.03”
37	Chandela	R & F	Abu Road	Sirohi	N24°31’12.85”	E72°39’33.48”
38	Fatehpura	R & F	Abu Road	Sirohi	N24°31’51.43”	E72°39’12.11”
39	Sakoda	R & F	Abu Road	Sirohi	N24°32’31.99”	E72°39’39.06”
40	Bahadurpura	Revenue	Abu Road	Sirohi	N24°31’29.50”	E72°37’48.20”
41	Chotila	Revenue	Abu Road	Sirohi	N24°28’48.27”	E72°37’11.47”
42	Forest Chotila	R & F	Abu Road	Sirohi	N24°29’21.98”	E72°36’27.13”
43	Muliyamahadev	R & F	Abu Road	Sirohi	N24°30’26.44”	E72°36’48.91”
44	Girwar	Revenue	Abu Road	Sirohi	N24°30’20.06”	E72°39’23.60”
45	Mungthala	R & F	Abu Road	Sirohi	N24°29’11.80”	E72°41’31.57”
46	Dhamsra	Revenue	Abu Road	Sirohi	N24°40’13.08”	E72°53’49.35”
47	Vajna	Revenue	Abu Road	Sirohi	N24°31’17.64”	E72°37’31.26”
48	Smarwakagoliya	Revenue	Abu Road	Sirohi	N24°33’32.00”	E72°39’23.10”
49	Talwarka Naka	Revenue	Abu Road	Sirohi	N24°30’21.3”	E72°44’10.0”

50	Ganka	Revenue	Abu Road	Sirohi	N24°30'08.0"	E72°45'14.6"
51	Umrani	Revenue	Abu Road	Sirohi	N24°30'57.2"	E72°46'17.5"
52	Danvave	Revenue	Abu Road	Sirohi	N24°31'35.3"	E72°47'33.0"
53	Aamthala	Revenue	Abu Road	Sirohi	N24°33'24.43"	E72°48'31.06"
54	Mudrala	Revenue	Abu Road	Sirohi	N24°33'58.0"	E72°49'02.90"

ANNEXURE –V

Performa of Action Taken Report:

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM

Item No. 04 Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

(By Video Conferencing)

Original Application No. 1051/2018

(With report dated 20.03.2020)

Residents of Village Danawab Talhati Applicant(s)

Versus

State of Rajasthan Respondent(s)

Date of hearing: 07.08.2020

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ADARSH KUMAR GOEL, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE S. P. WANGDI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. NAGIN NANDA, EXPERT MEMBER

Respondent(s): Mr. Ashish Kumar, AAG for Nagar Palika

ORDER

1. An action taken report was sought from Principal Chief Conservator of Forest (HoFF), Rajasthan and Nagar Palika, Abu Road, District Sirohi with reference to the allegation of the illegal construction in the buffer zone and Eco-Sensitive Zone by construction of Commercial complex near Brahma Kumari Ashram Gate No. 3 at Abu Road, District Sirohi, Rajasthan.

2. Accordingly, the Forest Department, Rajasthan has filed its report on 20.03.2020 *inter-alia* stating as follows:

"A complaint was addressed to PCCF (HoFF), regarding encroachment of the area of the Mount Abu wildlife sanctuary by Brahma Kumari organization and constructing multi-storeyed buildings. APCCF and CWLW forwarded the letter to DCF Wildlife Mount Abu to expedite the verification of boundary especially on the southern side (Annexure IV).

The DCF Wildlife, Mount Abu, through District Collector & Magistrate, got a joint survey team constituted on 25.09.2017 and surveyed the area in complaint from 05.10.2017 to 16.10.2017 and gave report to Tehsildar Abu road that a total of 5 bigha of reserve forest land of Mount Abu wildlife sanctuary is encroached in block 1, gram Abu no. 2 Taking cognizance of the report, forest range officer, Abu Taleti has filed an FIR 2064/35 dated 18.10.2017 U/S 34(A) of Wildlife (Protection) Act, 1972 against (i) Brahma Kumari secretary general, WRST managing trustee, shantivan, Abu road and (ii) Manager, Brahma kumara sanstha (Annexure V).

DFC, Wildlife Mount Abu, vide letter 2230 dated 23.10.2017 made ACF as investing officer and ordered to furnish a report. ACF, Mount Abu issued notices to Brahma kumar secretary general, manager, brahma kumara sanstha and Shri. Shashi kant, s/o Gangaram on 02.11.17, 10.11.17, 16.11.17, 17.11.17 and 22.11.17 to defend the case. No one turned up from the Brahma kumara sanstha to defend the case. Based on the report of investigating officer, DCF Wildlife, Mount Abu gave one more notice dated 24.11.17 to the (i) Brahma kumar, secretary general, (ii) manager Brahma kumara sanstha and (iii) Shri Shantiram s/o Ganga ram to appear before and defend the case on 04.12.2017. On non compliance the date is again extended to 11.12.17. Upon no response one more notice is served to attend on 20.12.17. No evidence in favour of Brahmakumari Sanstha was shown to forest department inspite of repeated notices.

DCF Wildlife, Mount Abu, decided the case on 26.12.17 u/s 34 (A) of Wildlife (Protection) Act, 1972 and gave a speaking order for the eviction of the land and demolish the permanent structures on 4 bigha 10 biswa land in khasra no. 419 totaling 4 bigha 20 biswa of reserve forest land (Annexure VI).

S.B Civil writ petition was filed against the order of DCF, Wildlife, Mount Abu, in Hon'ble High Court of Judicature, Jodhpur, Rajasthan and subsequently withdrew it 03.05.2018. AAG, Shri Rajesh Panwar in his opinion dated 10.05.2018 on the withdrawn writ petition wrote "That during course of court hearings, the matter was listed various times whereby the pleading from the both the side were duly completed and the matter was further posted for hearing, wherein, the petitioner moved an application seeking withdrawal of the writ petition. The Hon'ble Court while allowing the application dismissed the writ petition as withdrawn with liberty to file fresh in

case the need so arises. I have perused the said order passed in the petition, after due consideration, I am of the opinion that the writ petition stands dismissed as withdrawn, whereby the orders dated 26.12.2017 and 02.01.2018 passed by DCF (Wildlife), Mount Abu comes into force and are very much valid in the eyes of law. It is further important to note that the respondent authorities now are nowhere restrained from demolishing the illegal construction made by the petitioners. Also it is advised to initiate appropriate action against the petitioners for obtaining land/ title in violation of Tenancy law. Thus I'll recommend the officer In-charge to act upon the present opinion and take appropriate steps following the due process of law. "(Annexure VII).

The undersigned, upon the opinion of AAG, wrote to District Collector and Magistrate on 01.11.18 to execute the DCF wildlife order dated 26.12.17 and to appoint karyapalak magistrate to oversee the demolition. The Collector and Magistrate, Sirohi directed to remove the encroachment on 17.11.2018 and 18.11.2018 and appointed Sub-Divisional officer, Mount Abu as Karyapalak Magistrate on 15.11.2018. District Superintendent of Police through his letter 2763-64, dated 15.11.2018 wrote to the undersigned to keep the encroachment removal after the Elections to the State Assembly. The Collector and Magistrate, Sirohi through letter no. 6602-605 dated 16-11-18 directed Tehsildar, Aburoad to stop the process of encroachment removal till 15.12.2018. The undersigned once again wrote to the Collector and Magistrate, Sirohi to appoint karyapalak magistrate to remove encroachment removal: The communications with respect to encroachment removal are marked as (Annexure VIII).

The PBKEVV, through World Renewal Spiritual Trust, accepted that some part the two multi-storied buildings fall in the encroached reserved forest land of Mount Abu Wildlife sanctuary and applied for the diversion of forest land of the sanctuary for non forestry purposes. Wildlife clearance for diversion of 1 ha for proposal no.FP/RJ/Others/2525 dated 24/5/2018 for existing building Manmohini and proposal no. FP/RJ. Others/2527/2018 dated 25/05/2018 for diversion of 1 ha land for the existing building Anand Sarovar (Annexure IX &X). Both the proposals are incomplete and the reply given to the EDS are unsatisfactory.

Meanwhile, ***the World Renewal Spiritual Trust, had filed a S.B Civil Writ petitions No. 18564/2018 and 18569/2018 versus State of Rajasthan through Principal Secretary forest, PCCF and CWLW. The District Collector. The DCF Wildlife, Mount Abu and ACF Wildlife. Mount Abu accepting that encroachment has taken place and pleaded that without deciding the diversion proposal and without sending the same to the Central Government, the respondents are trying to demolish some part of the property of the petitioner. Till next***

date, no coercive action shall be taken against the petitioner *(Annexure XI & XII).*

The undersigned, regularly checked the online proposals, and issued EDS and got unsatisfactory and illogical replies. Upon instruction online for submission of 10 Hard copies for each proposal, the User Agency willfully is not prepared to submit them as they took stay from Hon'ble High Court of Judicature, Jodhpur to not to demolish the two multi-storeyed buildings without sending the proposal to the Central Government. Submission of 10 copies of hard copies of the diversion proposals is not complied by the use agency till date inspite of repeated reminders without which the proposals cannot be forwarded for forest clearance (Annexure XIII).

The WRST also filed a S.B Civil contempt petition under Article 215 of the Constitution of India read with section 12 of the Contempt of the courts Act 1971 through S.B Civil Writ Petition No. 1777/2018 in S.B Civil Writ Petition No. 18569/2018 (Pending) V/s 1. Shri Balaji Kari, DCF (Wildlife) Mount Abu. A show cause notice was issued to the respondents as to why contempt proceedings may not be initiated against them (Annexure XIV).

In the S.B Criminal Writ Petition no. 43/2019 (World Renewal Spiritual Trust Vs. State of Rajasthan & Ors., the petitioners pleased in the Hon'ble Court of Judicature that (i) the FIR NO. 2064/35 dated 18.10.17 in respect of Khasra No. 410, 416, 419 situated in Van Khand Gram Abu 2 of wildlife sanctuary be kindly ordered to be quashed, ii) the impugned order passed by the DCF Wildlife, Mount Abu on 26.12.2017 be declared illegal and ordered to be quashed and set aside, iii) the respondents may kindly be restrained from interfering with the peaceful possession of the land and further be restrained from demolishing the construction made by the petitioner. The status of the cases in the High Court of Judicature, Jodhpur, Rajasthan is marked as (Annexure XV)."

3. The Municipal Council, Abu Road, District Sirohi has filed an affidavit to the effect that the matter is to be dealt with by the Urban Improvement Trust and the Forest Department.

4. In view of the above, to avoid conflict of orders, we do not find it appropriate to continue the proceedings before this Tribunal when the matter is pending in the High Court and interim order is operative. The applicant is at liberty to take remedies in the pending matter before the

High Court of Rajasthan or against the orders of the High Court at any higher forum.

The application is accordingly disposed of, without prejudice to the remedies of the applicant, as aforesaid.

Adarsh Kumar Goel, CP

S. P. Wangdi, JM

Dr. Nagin Nanda, EM

August 07, 2020
Original Application No. 1051/2018
SN

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Writ Petition No. 43/2019

1.World Renewal Spirtual Trust, Head Office, 121, Mahatma Gandhi Road, Mumbai-400023 Through Its Power Of Attorney Avtar Singh Rana S/o Shri J.s. Rana, Aged 68 Years, 121 Mahatma Gandhi Road, Above Bank Of Baroda, Mumbai At Present Brahma Kumari, Pandav Bhawan, Mount Abu Dist. Sirohi.
2.Prajapita Brahma Kumari Ishwariya Vishwa Vidyalaya through its Power of Attorney Holder Avtar Singh Rana S/O Shri J.S. Rana, aged 68 years, at present Brahma Kumari, Pandav Bhawan, Mount Abu District Sirohi
3.The Manager, Prajapita Bhrahma Kumari Ishwariya Vishwa Vidyalaya, Shanti Van, Abu Road, District Sirohi

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through The Principal Secretary, Department Of Forest And Environment, Government Of Rajasthan, Govt. Secretariat, Jaipur.
2. Principal Chief Conservator Of Forests, State Of Rajasthan, Jaipur.
3. Chief Conservator Forest (Wild Life), Jodhpur.
4. Assistant Conservator Of Forest (Wildlifef), Mount Abu, District Sirohi (Raj.)
5. The Deputy Conservator Of Forests (Wildlife), Mount Abu, Dist. Sirohi (Raj.)
6. The District Collector, Sirohi, Dist. Sirohi (Rajasthan)
7. Forest Range Officer, Mount Abu, Sirohi (Complainant)

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. BL Maheshwari, Sr. Advocate, assisted by Mr. RK Rathi Mr. Thana Ram Choudhary Mr. Pradeep Choudhary
For Respondent(s)	:	Mr. Digvijay Singh Jasol for Mr. Sandeep Shah, AAG

JUSTICE DINESH MEHTA

Order

23/05/2022

1. The present petition under Article 226 of the Constitution of India, labelled as a criminal writ petition, has been filed for following reliefs:-

> *" i. the FIR No.2064/35 dated 18.10.2017 (Annex.5) in respect of Khasra No.410, 416, 419*

(Uploaded on 24/05/2022 at 02:08:41 PM)
(Downloaded on 17/03/2026 at 07:26:05 PM)

Rajasthan High Court
Web Copy - Not Official

situated in Van Khand, Gram Abu No.2 of Wild Life Sanctuary be kindly ordered to be quashed;
ii. the impugned order passed by Deputy Conservator of Forest (Wild Life), Mount Abu on 26.12.2017 (Annex.34) be kindly declared illegal and ordered to be quashed and set aside with all consequential directions;
The consequential order dated 02.01.2018 (Annex.38) passed by Deputy Conservator of Forest (Wild Life), Mount Abu may kindly be quashed and set aside;
iii. The respondents may kindly be restrained from interfering with the peaceful possession of the petitioner over the subject land and the respondents may further be restrained from demolishing the construction made by the petitioner over the subject land.
iv. Any other appropriate order or direction, which the Hon'ble Court considers proper in the facts and circumstances of the case may kindly be passed in favour of the petitioners;
v. Costs throughout may kindly be awarded to the petitioners"

2. Mr. Jasol, learned counsel for the Forest Department raised an objection that the petition in hand cannot be entertained as a criminal writ petition, because, no offence has been alleged against the petitioners. He argued that the proceedings initiated under Section 34A of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (hereinafter referred to as the "Act of 1972") have been challenged which are not criminal in nature.

3. Mr. Jasol, further raised an objection about maintainability of the instant petition highlighting that assailing the order dated 26.12.2017, (Annex. 34), the petitioners had already preferred two writ petitions. He pointed out that both of them had been withdrawn by the petitioners on 08.04.2022. And thus, another petition cannot be maintained.

4. Mr. Maheshwari, learned Senior Advocate, assisted by Mr. Rathi invited Court's attention towards the notice dated

(Uploaded on 24/05/2022 at 02:08:41 PM)
(Downloaded on 17/03/2026 at 07:26:05 PM)

18.10.2017 (Annex.5) and pointed out that the respondents have not only treated purported encroachment to be an offence but have also registered an FIR and since, the FIR has been registered, the petitioners are justified in invoking Article 226 of the Constitution of India for challenging these proceedings under the caption of "Criminal Writ Petition".

Rajasthan High Court
Web Copy - Not Official

5. Heard learned counsel for the parties and perused the material available on record.

6. A perusal of the notice dated 18.10.2017 (Annex.5) at the first flush gives an impression that an offence under the provisions of the Act of 1972 is being investigated. But a careful reading thereof, reveals that the proceedings, which are being undertaken by the Forest Department are that of removal of encroachment, as per Section 34A of the Act of 1972.

7. Section 34A of the Act of 1972 is reproduced hereinunder:

> *"34A. Power to remove Encroachment (1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, any officer not below the rank of an Assistant Conservator of Forests may,-*
>
> *(a) evict any person from a sanctuary or National Park, who unauthorisedly occupies Government land in contravention of the provisions of this Act;*
>
> *(b) remove any unauthorised structures, buildings, or constructions erected on any Government land within any sanctuary or National Park and all the things, tools and effects belonging to such person shall be confiscated, by an order of an officer not below the rank of the Deputy Conservator of Forests: Provided that no such order shall be passed unless the affected person is given an opportunity of being heard.*
>
> *(2) The provisions of this section shall apply notwithstanding any other penalty which may be inflicted for violation of any other provision of this Act."*

(Uploaded on 24/05/2022 at 02:08:41 PM)
(Downloaded on 17/03/2026 at 07:26:05 PM)

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

8. A perusal of the above quoted provision and impugned notice dated 18.10.2017, leaves no room for ambiguity that the proceedings being undertaken by the respondents are that of removal of encroachment. Section 34A does not envisage any punishment or fine; it does not have any traces of offence or trappings of criminal nature. The culmination of the proceedings under Section 34A of the Act of 1972 would entail removal of encroachment on forest land but it would not attract any fine or punishment/ imprisonment. Such being the position, the criminal writ petition invoking Article 226 of the Constitution of India is not maintainable.

9. That apart, the petitioners have already filed two writ petitions being SBCWP Nos.18564/2018 and 18569/2018, challenging the very same order dated 26.12.2017, which is impugned in the petition in hands. Both the petitions have been withdrawn by the petitioners.

10. In view of what has been noted above, this Court finds itself to be ceased of the jurisdiction to entertain present petition and pronounce upon the grounds raised herein. Besides this, there is hardly any reason to interfere, as the petitioners themselves have come with a specific case that the land in question, on which they have raised construction, is a part of the forest land.

11. The petition is dismissed and interim order passed by this Court on 18.02.2019 is vacated.

12. The stay petition also stands disposed of accordingly.

(DINESH MEHTA),J

127-pooja/-

(Uploaded on 24/05/2022 at 02:08:41 PM)
(Downloaded on 17/03/2026 at 07:26:05 PM)

Annexure-2

(38) (10)

राजस्थान सरकार
कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

क्रमांक प.16(12)( )न्याय/2017/ दिनांक 2017

आदेश

परिवाद द्वारा निलीमा शर्मा वावत वन विभाग की भूमि अतिक्रमण कर कब्जा करने ,अवैध माईनिंग करने एवं वन को जलाने के संबंध में उप वन संरक्षक वन्यजीव आबूपर्वत ने पत्र संख्या 1888 दिनांक 6-9-2017 से प्रेषित जवाब पत्र वन खण्ड आबूपर्वत नं.1 के ऋषिकेश बीट व तलेटी बीट में हुये अतिक्रमण के आंकलन के बारे में जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार राजस्व एवं वन विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों की संयुक्त रूप से टीम गठित की जाती है :-

1- नायब तहसीलदार, आबूरोड
2- सहायक वन संरक्षक, वन्यजीव, आबूपर्वत
3- भू0अभिलेख निरीक्षक, आबूपर्वत ।

उक्त गठित कमेटी संयुक्त रूप से भूमि पर हुये अतिक्रमण की जॉच करके, जॉच रिपोर्ट 15 दिवस में इस कार्यालय को शीघ्र भिजवाने की व्यवस्था करावें ।

जिला कलक्टर, सिरोही

दिनाक 13-9-2017

कमांक प.16(12)( )न्याय/2017/ 1344-37

प्रतिलिपि:- निम्नांकित अधिकारियों को पालनार्थ प्रस्तुत है:-

1- तहसीलदार, आबूरोड
2- उपवन संरक्षक, वन्यजीव, आबूपर्वत
3- नायब तहसीलदार, आबूरोड
4- सहायक वन संरक्षक,वन्यजीव, आबूपर्वत
5- भू0अ0निरीक्षक, आबूपर्वत मार्फत तहसीलदार,आबूरोड

जिला कलक्टर, सिरोही

क्रमांक 1374
दिनांक 20-9-17

प्रमाणित प्रति

उपवन संरक्षक
वन्यजीव, आबूपर्वत

Email: dm-sir-rj@nic.in

(38)

फोन - 02972-22..., फैक्स - 02972-220497

Annexure- 3

कार्यालय उप वन संरक्षक, वन्यजीव, माउन्ट आबू, सिरोही

कमांक / दस्ती

दिनांकः— 23.11.17

ओर से,

अनुसंधान अधिकारी एवं सहायक वन संरक्षक,

वन्यजीव, माउन्ट आबू (सिरोही)

निमितः—

श्रीमान् उप वन संरक्षक,

वन्यजीव, माउन्ट आबू (सिरोही)

विषय :— अपराध की प्रारम्भिक सूचना 2064/35 दिनांक 18.10.2017 की अनुसंधान कर रिर्पोट भेजने के सम्बन्ध में।

प्रसंगः— श्रीमान् के पत्रांकः एफ ( ) सर्वे/उवसं/2017—18/2230 दिनांक 23.10.2017 के कम में।

महोदय,

उक्त अपराध की प्रारम्भिक सूचना (FIR) के सन्दर्भ में विस्तृत रिपोर्ट निम्नानुसार है—

प्रमाणित प्रति
उपवन संरक्षक
वन्यजीव, आबूपर्वत

1. श्रीमान् प्रधान मुख्य वन संरक्षक राज0 जयपुर को ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विरूद्ध वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण करने बाबत् शिकायत पत्र प्राप्त हुआ एवं इसी बाबत् शिकायत सम्पर्क पोर्टल पर दिनांक 22.07.2017 को आई एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदया के कार्यालय को भी शिकायत पत्र प्राप्त हुआ। उक्त शिकायत के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री महोदया के कार्यालय से जिला कलेक्टर

(6)

Annexure-3
(7)

सिरोही से वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण करने के सम्बन्ध में जानकारी दिनांक 08.08.2017 के पत्र के मार्फत मांगी गई। इसी क्रम में श्रीमान् उप वन सरक्षक, वन्यजीव, माउन्ट आबू ने जाँच एवं सर्वे करने हेतु जिला कलेक्टर, सिरोही को दिनांक 04.09.2017 को पत्र लिखा गया, जिस पर जिला कलेक्टर, सिरोही द्वारा दिनांक 13.09.2017 को एक आदेश जारी किया गया जिसमें नायब तहसीलदार, आबूरोड, सहायक वन संरक्षक, आबूपर्वत व भू–अभिलेख निरीक्षक आबूपर्वत को सदस्य बनाया गया व जाँच कर जाँच रिर्पोट जिला कलेक्टर सिरोही को प्रेषित करने के आदेश जारी किये गये। उक्त जाँच रिर्पोट दिनांक 16.10.2017 को तैयार हो गई जिसमें ब्रह्मकुमारी संस्था के द्वारा वन विभाग के वन्यजीव अभ्यारण्य, माउन्ट आबू के लगभग 5 बीघा क्षेत्र में अतिक्रमण करना पाया गया। यह अतिक्रमण अभयारण्य के वनखण्ड आबू न0 1 के ग्राम आबू न0 2 में पाया गया।

2. इस सीमा निर्धारण के कार्य के दौरान क्षेत्रीय वन अधिकारी, आबूतलेटी को इस अतिक्रमण के बारे में जानकारी होने पर उनके द्वारा दिनांक 18.10.2017 को अपराध की प्रारम्भिक सूचना (FIR) 2064/35 वन विभाग के प्रिन्टेड प्रपत्र में धारा 34 (A) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 में काटी गई।

इस रिर्पोट में (1) ब्रह्मकुमारी के सेक्रेटरी जनरल WRST, मैनेजिंग ट्रस्टी शांतिवन (2) मैनेजर ब्रह्मकुमारी व (3) अन्य शांतीवन को दोषी बनाया गया।

इस रिर्पोट में वन्यजीव अभ्यारण्य, माउन्ट आबू के वन खण्ड आबू न. 1 के ग्राम आबू न. 2 में अतिक्रमण पाया गया।

(7)

उप
... जीव

Annexure-3

(2)

3. इस रिर्पोट के साथ ही मौका पंचनामा रिर्पोट व नजरी नक्शा भी श्री नरेन्द्र कुमार चौधरी, क्षेत्रीय वन अधिकारी, आबूतलेटी द्वारा अपने सहयोगियों के साथ बनाया गया।

मौका पंचनामा में अतिक्रमण उसके प्रकार के बारे में जानकारी दी गई अनुसंधान कार्य के लिये दिनांक 26.10.2017 को क्षेत्रीय वन अधिकारी आबू तलेटी को वन खण्ड आबू न. 1 के ग्राम आबू न. 2 के खसरा मैप एवं अधिसूचना की प्रति मांगी गई। जिसे दिनांक 27.10.2017 को प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया। इसमें (खसरा मेप) भी अभ्यारण्य की भूमि पर अतिक्रमण दिखाया गया है। खसरा मेप में माउन्ट आबू, वन्यजीव अभ्यारण्य के वन खण्ड आबू न. 1 के ग्राम आबू न. 2 खसरा न. 412, 416 व 419 में अतिक्रमण होना दर्शाया गया है।

4. दिनांक 27.10.2017 को क्षेत्रीय वन अधिकारी, आबूतलेटी, सर्वेयर श्री मदनलाल बेनीवाल व फोटोग्राफर श्री जैसाराम को बयान दर्ज करवाने हेतु दिनांक 01.11.2017 को उपस्थित होने के लिये निर्देशित किया तथा आरोपियों (अप्रार्थीयों) को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 02.11.2017 को आने व अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये निर्देशित किया गया।

प्रमाणित प्रति
उपवन संरक्षक
.. जीव. आबूपर्व

5. दिनांक 30.10.2017 को संयुक्त सर्वे रिर्पोट श्रीमान् के कार्यालय से प्राप्त हुई जिसमें राजस्व विभाग द्वारा वन विभाग के साथ संयुक्त सर्वे कर वन खण्ड आबू न. 1 के ग्राम आबू न. 2 में कुल अतिक्रमण लगभग 5 बीघा होना दर्शाया गया है जो कि राजस्व ग्राम दानबाव के खसरा न. 47, 106, 109 तथा ग्राम उमरनी के खसरा न. 200, 201 से लगता हुआ क्षेत्र है जो कि वन विभाग के खसरे है। उक्त रिर्पोट

(8)

(9) Annexure-3

अतिक्रमण व अतिक्रमित क्षेत्र का स्पष्ट रूप से उल्लेख है जो कि ब्रह्मकुमारी संस्था, आबूतलेटी द्वारा किये गये है।

6. दिनांक 31.10.2017 को क्षेत्रीय वन अधिकारी आबू तलेटी, सर्वेयर व अन्य वन कर्मियों के साथ अतिक्रमण क्षेत्र का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया तथा पुनः निरीक्षण के दौरान ब्रह्मकुमारी संस्था के प्रतिनिधियों को उपस्थित होने के लिये कहा गया परन्तु उन्होंने इंकार कर दिया व लेकिन निरीक्षण कार्य के दौरान उनके लोग व गार्ड बार-बार हमारे कार्य को देख रहे थे तथा चोरी-छुपे फोटोग्राफी भी कर रहे थे। मेरे द्वारा भी उक्त कार्य की फोटोग्राफी करवाई गई।

7. दिनांक 01.11.2017 को क्षेत्रीय वन अधिकारी, आबूतलेटी व सर्वेयर श्री मदनलाल बेनीवाल के बयान दर्ज किये गये जिसमें उन्होने स्पष्ट रूप से अभ्यारण्य के खसरों में अतिक्रमण होना बताया। ये दोनों कर्मचारी संयुक्त सर्वे के कार्य के दौरान भी उपस्थित थे। क्षेत्रीय वन अधिकारी, वन्यजीव, आबूतलेटी ने बताया कि सवहन से अपराध की प्रारम्भिक सूचना में खसरा न. 412 के स्थान पर 410 लिख दिया गया हैं चूंकि ये दोनो खसरे (410 व 412) एक दूसरे से सटे हुये हैं। इस प्रकार वनखण्ड आबू न. 1 के ग्राम आबू न. 2 के खसरों 412, 416 व 419 में अतिक्रमण किया गया है।

प्रमाणित प्रति

उपवन संरक्षक
वन्यजीव, आबूपर्वत

8. दिनांक 02.11.2017 को नोटिस पत्रांक 2350-2351 दिनांक 27.10.2017 के क्रम में दोनो अप्रार्थी नहीं आये तथा उनके स्थान पर ब्रह्मकुमारी संस्थान के श्री बी. के

(9)

(10) Annexure-3

अवतार पुत्र श्री जे. एस. राणा, श्री जयप्रकाश पुत्र श्री शीशुपाल कलाल तथा अधिववक्ता श्री नरेन्द्र कुमार गोयल उपस्थित हुए। श्री अवतार द्वारा दोषियों (अप्रार्थीयों) (1) ब्रह्मकुमारी सेकेट्री जनरल एवं मैनेजिग ट्रस्टी WRST आबूरोड (2) मैनेजर ब्रह्मकुमारी आबूतलेटी की तरफ से जनरल पॉवर ऑफ एट्रोनी पेश की। ये काफी पुरानी थी, इस पर उन्हे ऑथराइज्ड पत्र व अपना फोटो आईडी लाने का निर्देश दिया गया। उक्त व्यक्तियों के द्वारा नोटिस के संम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इन्हे दस्तावेज भी साथ लाने हेतु कहा गया।

9. दिनांक 03.11.2017 को अप्रार्थीयों (आरोपीयों) के प्रतिनिधि श्री अवतार उपस्थित हुये। उनके साथ डॉ. जयप्रकाश व अधिवक्ता उपस्थित हुये। श्री अवतार ने अपना आईडी दिया व ऑथेराइज्ड लेटर प्रस्तुत किये परन्तु उन दोनो पर उनके द्वारा हस्ताक्षर नही किये गये थे व अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार गोयल ने अपना वकालत नामा प्रस्तुत किया जिन्हे शामिल पत्रावली किया गया। पूछताछ के दौरान श्री अवतार ने अधिकतर प्रश्नों का उत्तर जानकारी नहीं होना बताया तथा यह बताया कि ब्रह्मकुमारी संस्थान के चीफ इन्जीनियर श्री भरत भाई है जो कि निर्माण कार्य को देखते है तथा सोलर प्लान्ट के सामने स्थित जमीन ब्रह्मकुमारी संस्थान की नही है, यह बताया। इस पर उन्हें अनुसंधान हेतु दस्तावेज सहित खसरों की रजिस्ट्री, रूपान्तरण, स्वीकृति व बहु मंजिला भवन निर्माण, गुफा निर्माण व अन्य कार्यों के सम्बन्ध में स्वीकृति आदि के दस्तावेज लेकर दिनांक 06.11.2017 को आने के लिये निर्देशित किया गया।

प्रमाणित प्रति
उपवन संरक्षक
सिरोही, आबूरोड

इसी कार्यवाही के दौरान श्री सिविल न्यायाधीश, आबूरोड के न्यायालय में ब्रह्मकुमारी के अधिकृत अधिकारी बी.के. भरत ने राजस्व व वन विभाग की

(10)

Annexure-3

कार्यवाही पर रोक लगाने हेतु निवेदन किया जिस पर माननीय न्यायालय ने C.M 41/2017 को वाद सुनवाई दिनांक 10.11.2017 को खारिज कर दिया।

10. दिनांक 06.11.2017 को अनुसंधान कार्य के लिये न तो अप्रार्थी (आरोपी) उपस्थित हुए तथा न ही उनके अधिकृत प्रतिनिधि श्री बी.के. अवतार भाई उपस्थित हुये। दिनांक 08.11.2017 को सम्पर्क करने व अनुसंधान बाबत् आने को कहा तो उन्होंने 08.11.2017 को दोपहर पश्चात् या 09.11.2017 को प्रातः आने का बताया परन्तु उपस्थित नहीं हुये तथा अनुसंधान कार्य में असहयोग किया।

11.दिनांक 07.11.2017 को उप वन संरक्षक, वन्यजीव, आबूपर्वत कार्यालय के पत्रांक 2419 द्वारा ब्रह्मकुमारी संस्थान के चीफ इंजिनियर को पत्र जारी कर दिनांक 10.11.2017 को दस्तावेजों (भू–परिवर्तन, रजिस्ट्रियां व अन्य कागजात) सहित उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया, परन्तु श्री बी.के. भरत उपस्थित नहीं हुये तथा ना ही अपने ऑथराइज्ड पत्र के साथ किसी को भेजा परन्तु एक पत्र उनके द्वारा भेजा गया जिसमें कि ग्राम दानबाब के खसरों 47, 54, 106, 109 तथा उमरनी के खसरों 200, 201 सम्बंध में न तो उनके पास कागजात है ना ही उक्त प्रकार के कागजात अपनी तहवील में रखने हेतु संस्था ने अधिकृत किया है, बताया गया।

प्रमाणित प्रति
उपवन संरक्षक
वन्यजीव, आबूपर्वत

12.दिनांक 08.11.2017 को माननीय राजस्थान हाई कोर्ट, जोधपुर का आदेश दिनांक 06.11.2017 प्राप्त हुआ। यह आदेश माननीय न्यायाधीश श्री (डॉ.) पुष्पेन्द्रसिंह भाटी ने S.B. criminal Misc(pet) No 3855/2017 के क्रम में दिया। इसमें प्रार्थी WRST के

(11)

(12) Annexure-3

प्रतिनिधि (पावर ऑफ अट्रोनी होल्डर) ने वन विभाग द्वारा जारी अपराध की प्रारम्भिक सूचना 2064/35 दिनांक 18.10.2017 U/S 34 A WLPA-1972 को खारिज करने हेतु निवेदन किया गया। इस पर माननीय न्यायालय ने अप्रार्थीगणों को धारा 34-A में दिये गये प्रोसीजर को पालन करने का निर्देश दिया तथा बिना प्रोसीजर की पालना किये अप्रार्थी के खिलाफ कोई भी कार्यवाही न करने का आदेश दिया। इस आदेश के साथ उक्त पिटिशन का निस्तारण कर दिया गया।

13.दिनांक 10.11.2017 को माननीय राज. हाई कोर्ट के आदेशों की पालना में पत्रांक 2444 दिनांक 10.11.2017 को नोटिस जारी कर श्री शशिकान्त पुत्र श्री गंगाराम वाटकर निवासी पाण्डव भवन, आबूपर्वत को अनुसंधान कार्य में पूछताछ व अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 16.11.2017 को उपस्थित होने (दस्तावेजों सहित ग्राम उमरनी खसरा न. 200, 201) के लिये निर्देशित किया गया। इसी प्रकार पत्रांक 2445 दिनांक 10.11.2017 द्वारा ब्रह्मकुमारी सेक्रेटरी जनरल WRST मैनेजिंग ट्रस्टी को तथा पत्रांक 2446 दिनांक 10.11.2017 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित होने के लिये निर्देशित किया गया।

प्रमाणित प्रति
उपवन संरक्षक
वजीव. आबूपर्वत

14.दिनांक 16.11.2017 को (अप्रार्थी) श्री शशिकान्त पुत्र श्री गंगाराम वाटकर अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुये। (अप्रार्थी) श्री शशिकान्त ने आईडी कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति प्राप्त की तथा उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उनके साथ आई महिला अधिवक्ता ने न तो अपना परिचय पत्र प्रस्तुत किया तथा ना ही वकालत नामा प्रस्तुत किया। तथा महिला अधिवक्ता ने पूछताछ के दौरान बार–बार अनुसंधान कार्य को प्रभावित करने का प्रयास किया अप्रार्थी से पूछताछ के दौरान विडियोग्राफी भी की गई। (12)

(12) Annexure-3

15.पूछताछ के दौरान श्री शशिकान्त ने स्वीकार किया की वह ब्रह्मकुमारी संस्था के आबूपर्वत स्थित पांडव भवत में पिछले 32 वर्षों से रहते हैं तथा पांडव भवन के रिसेप्शन ऑफिस में स्वेच्छा से सेवारत है तथा राजस्व ग्राम उमरनी के खसरा न. 200 व 201 का समस्त भाग उसकी निजि खातेदारी भूमि हैं जिसमें उसने मजदूरों के रहने लिये क्वाटरों का निर्माण कर रखा हैं तथा इन्हें किराये पर दे रखा हैं। ये मजदूर ब्रह्मकुमारी संस्था में कार्य करते हैं। इस जमीन के भू–रूपान्तरण सम्बन्धी कागजात नगर सुधार न्यास (UIT) आबूरोड में जमा करवाना बताया, परन्तु UIT की तरफ से रूपान्तरण सम्बन्धी कोई कागजात या सूचना उनके पास नहीं आई है। उन्होंने यह स्वीकार किया हैं कि उसने सीमा–ज्ञान सम्बन्धी संयुक्त सर्वे टीम के निशानों को देखा हैं, उसे वन क्षेत्रों में अतिक्रमणों के बारे में बताया गया। उसने बताया कि अतिक्रमण के सम्बन्ध में मैं अपने स्तर पर जमीन का नाप करवाऊंगा तथा अतिक्रमण होने पर मेरे स्तर पर हटा लिया जायेगा तथा ना हटाने पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की जाती हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नही हैं। उन्होने यह भी बताया कि जमीन के कागजातों की सत्यापित प्रतिलिपि उनके द्वारा 21.11.2017 को जमा करवा दी जायेगी। उसके द्वारा जमीन खरीद के जो दस्तावेज पेश किये गये हैं, उनके अनुसार उन्होंने यह जमीन 17.01.2012 को खरीदी हैं तथा उसके द्वारा पांच लाख अठ्ठासी हजार नौ सौ सत्तर रूपये विक्रेता को भुगतान किया है। इसके अलावा प्रार्थी स्वंय को प्रार्थना पत्र देकर गरीब बताता हैं, जबकि उसके द्वारा रू. 627380/– (खरीद मूल्य व अन्य खर्च) कुल का भुगतान किया गया हैं जो कि गरीब होने की स्थिति में देना सम्भव नहीं है। अप्रार्थी द्वारा उक्त जानकारी उसके द्वारा दिये गये दस्तावेजों फोटो प्रति के आधार पर हैं जिसमें उसने अपने अधिवक्ता के कहने पर हस्ताक्षर नही किये है। इसी

प्रमाणित प्रति
उपवन संरक्षक
आबूपर्वत

(13)

(74) Annexure-3

संबंध में उसे 21.11.2017 को पुनः उपस्थित होने के लिये कहा गया परन्तु वह न तो स्वंय आया तथा ना ही उसका अधिकृत प्रतिनिधि अथवा एडवोकेट उपस्थित हुये। इसके अलावा नही आने का कोई कारण भी लिखित में प्रस्तुत नहीं किया।

16.दिनांक 17.11.2017 को कार्यालय के नोटिस क्रमांक 2445–2446 दिनांक 10.11.2017 के क्रम में दोनों अप्रार्थी (दोषी) अनुपस्थित व अधिकृत प्रतिनिधि श्री अवतार पुत्र श्री जे.एस. राणा भी अनुपस्थित रहे। श्री बी.के. अवतार की तरफ से श्री जयप्रकाश पुत्र श्री शिशुपाल जाति कलाल ने उपस्थित होकर आई.डी. कार्ड प्रस्तुत किया (आधार कार्ड) तथा श्री अवतार द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा मेडिकल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जिसमें 09.11.2017 को अस्पताल में भर्ती होने तथा 11.11.2017 को डिस्चार्ज होना बताया गया हैं। यह ग्लोबल हॉस्पीटल व रिसर्च सेन्टर द्वारा जारी किया गया है। (दिनांक 11.11.2017) इसमें यह ध्यान देने योग्य बात है कि अस्पताल को ब्रह्मकुमारी संस्था द्वारा ही संचालित किया जाता है। यह मेडिकल सर्टिफिकेट किसी भी सरकारी अस्पताल द्वारा जारी नहीं किया गया है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेशों की पालना में अवसर देते हुये उन्हे 22.11.2017 को दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने के लिये पुनः निर्देशित किया गया परन्तु वे उपस्थित नहीं हुये तथा उनका अधिकृत प्रतिनिधि भी उपस्थित नही हुआ। इस प्रकार दिनांक 27.10.2017 को लिखित रूप में, दिनांक 03.11.2017 को कार्यालय में मौखिक रूप से बताने पर तथा दिनांक 06.11.2017 को उपस्थित होने का कहने पर दिनांक 08.11.2017 को फोन पर सूचना देने पर दिनांक 10.11.2017 को लिखित रूप से नोटिस देने पर दिनांक 17.11.2017 को

प्रमाणित प्रति

(15) Annexure-3

पुनः लिखित रूप से नोटिस देने पर आरोपी (अप्रार्थी) (केवल 02.11.2017 व 03.11.2017 को अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित) अनुपस्थित रहे तथा जान बुझकर अनुसंधान कार्य में सहयोग नही किया तथा ना ही बार–बार नोटिस देने पर व अपना पक्ष रखने के लिये कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये। केवल अनुसंधान को भटकाने व लम्बा खींचने के लिये अनर्गल आरोप वनकर्मियों तथा अधिकारियों पर लगाते रहे। इसके लिये निम्न तथ्य विचारणीय हैं–

I. अप्रार्थी पक्ष द्वारा अपराध की प्रारम्भिक सूचना संख्या 2064/35 दिनांक 18.10.2017 के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों दिनांक 06.11.2017 की अवहेलना करके उपस्थित नही होना तथा ना ही अपना पक्ष रखने हेतु दस्तावेजों को प्रस्तुत करना।

II. न्यायालय श्रीमान् सिविल न्यायाधीश, आबूरोड में दिवानी विविध प्रार्थना पत्र संख्या 41/2017 प्रस्तुत कर तत्काल अस्थाई निषेधाज्ञा चाहना जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 10.11.2017 को खारिज किया जाना–जिसे निम्न तीन आधारों पर खारिज किया जाना (अ) प्रथम दृष्टया मामला (ब) सुविधा का संतुलन (स) अपूरणीय क्षति (प्रतिलिपि संलग्न)

III. अप्रार्थी ब्रह्मकुमारी संस्था के बी.के. भरत पुत्र श्री त्रियम्बक सुरवसे चीफ इन्जीनियर द्वारा वन विभाग व तहसीलदार आबूरोड के खिलाफ SDM कोर्ट आबूपर्वत में प्रार्थना पत्र R.T एक्ट संख्या 24/2017 प्रस्तुत करना। प्रमाणित प्रति

उपवन संरक्षक जीत, आबूपर्वत

IV. अप्रार्थी ब्रह्मकुमारी संस्था के बी.के. भरत चीफ इन्जीनियर द्वारा ACJM कोर्ट आबूरोड में प्रार्थना पत्र 15/2017 प्रस्तुत कर पुनः अस्थाई निषेधाज्ञा चाहना तथा वन विभाग के अधिकारियों तथा तहसीलदार के खिलाफ SDM कोर्ट की तरह अस्थाई निषेधाज्ञा चाहना। न्यायालय द्वारा 21.11.2017 के निर्देश की पालना में

(15)

(16) Annexure-3

22.11.2017 को कोर्ट में वन अधिकारी उपस्थित हुए। परन्तु 22.11.2017 को अप्रार्थी (आरोपी) अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए।

V. न्यायालय श्रीमान् सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आबूपर्वत को दिये गये प्रार्थना पत्र में (आर.टी. एक्ट संख्या) 24/2017 के बिन्दु संख्या 7 में यह स्वीकार करना कि "ब्रह्मकुमारी संस्था ने मनमोहिनी वन कॉम्पलेक्स को पश्चिमी दिशा में शिफ्ट करना" जो कि वन क्षेत्र हैं। इस प्रकार अतिक्रमण को स्वीकार (अप्रत्यक्ष) करना।

VI. RT Act सं. 24/2017 में बिन्दु संख्या (1) में प्रार्थी बी.के भरत स्वंय को प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एवं उसकी भगिनी संख्या WRST का सचिव कहता है तथा (2) में खसरा न. 47 को मालिकाना भूमि बताना तथा संपरिवर्तन आदेश प्राप्त करना तथा (3) में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा खरीद बताता है परन्तु जब नोटिस देकर बुलाया गया तो श्री बी.के. भरत ने लिखित में बताया कि ना तो उनके कब्जे में कोई कागजात है तथा ना ही जानकारी है तथा ना ही संस्था ने उसे इस कार्य के लिये अधिकृत किया है। इस प्रकार विरोधाभाषी कथन हैं एवं अनुसंधान को लम्बा खीचने तथा अपने गलत कार्यों को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है तथा इन्ही दस्तावेजों को अनुसंधान हेतु उपलब्ध नही करा रहे हैं।

VII. बी.के. अवतार द्वारा प्रस्तुत जनरल पावर ऑफ अटोर्नी में उसे यह अधिकार 01.11.2007 को देना तथा जनरल पावर ऑफ अटोर्नी के बिन्दु संख्या (1), (2), (3) में उसे सभी तरह के दस्तावेज व कागजात प्रस्तुत करने का अधिकार देना भी यह दिखाता है कि उसके पूछताछ बयान तथा जनरल पावर ऑफ अट्रोनी के कथनों में विरोधाभाव हैं।

प्रमाणित प्रति

उपवन संरक्षक
... वजीव, आबूपर्वत

(16)

(17) Annexure-3

VIII. बार–बार बुलाने पर भी पूछताछ के लिये उपस्थित न होना तथा प्रार्थना पत्र देकर गलत बयानी करना तथा माननीय हाईकोर्ट के आदेशों को स्वयं भी न मानना भी विचारणीय है।

IX. श्रीमान् कलेक्टर साहब, सिरोही द्वारा दिये गये आदेश 13.9.2017 पर नायव तहसीलदार, आबूरोड के लिखित पत्र देने पर भी ब्रह्मकुमारी संस्था द्वारा अपने प्रतिनिधि न भेजना तथा संयुक्त सर्वे की कार्यवाही के दौरान (संयुक्त सर्वे) सर्वेक्षण टीम का चोरी छिपे विडियोग्राफी करना व फोंटोग्राफी करना सन्देह उत्पन्न करता है।

X. अपराध की प्रारम्भिक सूचना 2064/35 दिनांक 18.10.2017 के क्रम में अनुसंधान अधिकारी द्वारा 31.10.2017 को निरिक्षण के दौरान लिखित में उपस्थित रहने के लिये कहने पर भी समय मांगना तथा कार्यवाही के दौरान अपने गार्डस व कार्यकताओं द्वारा विडियोग्राफी करवाना संन्देह उत्पन्न करता हैं। यह भी विचारणीय हैं।

XI. दिनांक 19.03.2017 को आनन्द सरोवर परिसर (ESZ) में अवैध खनन करते पाये गये जिस पर इनकी अवैध कार्य में शामिल मशीन को सीज (Seize) किया गया तथा माफीनामा प्रस्तुत करने पर 20 लाख का जुर्माना कर उप वन संरक्षक, वन्यजीव, आबूपर्वत द्वारा छोडा गया।

XII. वन क्षेत्र में अवैध कार्य करने पर क्षेत्रीय वन अधिकारी, आबूरोड द्वारा दिनांक 16.08.2017 को JCB मशीन को सीज किया गया जिसे सहायक वन संरक्षक, न्यायालय सिरोही द्वारा राजसात (confiscate) किया गया।

प्रमाणित प्रति
उपवन सरक्षक
वीव. आबूपर्वत

XIII. श्रीमान् कलेक्टर सिरोही के आदेश दिनांक 13.09.2017 की पालना में राजस्व विभाग तथा वन विभाग द्वारा संयुक्त सर्वे की कार्यवाही हुई जिसमें वन खण्ड आबू नं. 1 के ग्राम आबू नं. 2 में कुल अतिक्रमण लगभग 5 बीघा होना दर्शाया गया है (17)

Annexure-3

जो कि राजस्व ग्राम दानबाव के खसरा नं 47, 106, 109 तथा ग्राम उमरनी के खसरा नं. 200, 201 से लगता हुआ क्षेत्र है जो कि वन विभाग के खसरे है। इस रिर्पोर्ट में अतिक्रमण का स्पष्ट रूप से उल्लेख है जो कि ब्रह्मकुमारी संस्था आबूतलेटी द्वारा किये गये है।

XIV. न्यायालय सहायक वन संरक्षक, सिरोही के आदेश दिनांक 13.10.2009 के अनुसार ग्राम मुदरला के खसरा नं. 466, 467, 730 मी., 111 व 465 की 38 बीघा भूमि पर अप्रार्थी (ब्रह्मकुमारी संस्था के बी.के. भूपाल, व्यवस्थापक) द्वारा अतिक्रमण करना पाया गया। जिसे हटाने के आदेश दिये गये।

इस प्रकार ब्रह्मकुमारी संस्था व उसकी भगिनी संस्था WRST के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं (1) ब्रह्मकुमारीज सेकेट्री जनरल, WRST मैनेजिंग ट्रस्टी, शांतिवन, आबूरोड (सिरोही) (2) मैनेजर ब्रह्मकुमारीज संस्था, शांतिवन, आबूरोड (सिरोही) ने अभ्यारणय के लगभग 4 बीघा 10 बिस्वा क्षेत्र में अतिक्रमण करना, पक्का छः मंजिला भवन निर्माण करना, अवैध खनन करना, गुफाऐं बनाना, सडक व दीवार बनाना, श्रमिक क्वाटर बनाना, कटीले तारों से फेंन्सींग करना, अभ्यारण्य में चट्टानों को तोडकर एगजोस्ट फेन लगाना, वन्यजीवों के हेबीटॉट (आवास) को नुकसान पहुंचाकर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों का उल्लंघन करने का कार्य किया है।

प्रमाणित प्रति
उपवन संरक्षक
(जीव. आबूपर्व

इसके अलावा (3) ब्रह्मकुमारीज संस्था के कार्यकर्ता श्री शशिकान्त पुत्र श्री गंगाराम वाटकर जाति कोलीढोर जो कि ब्रह्मकुमारीज संस्था के पाण्डव भवन, आबूपर्वत में रिसेप्शन कार्यालय में पिछले 32 वर्षो से कार्यरत हैं ने अभ्यारण्य के लगभग 10 बिस्वा क्षैत्र में अतिक्रमण करना सडक व दीवार बनाना, श्रमिक क्वाटर बनाना, कटीले तारों से फेंन्सींग करना वन्यजीवों के हेबीटॉट (आवास) को

(18)

Annexure-3

नुकसान पहुंचाकर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों का उल्लंघन करने का कार्य किया है।

उक्त ने माननीय राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर द्वारा 06.11.2017 के आदेश की अवहेलना की तथा अनुसंधान में असहयोग किया।

इनका उपरोक्त कृत्य वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अन्तर्गत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है तथा साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों व निर्देशों का भी स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः पत्रावली में मेरे द्वारा की गई अनुसंधान से अभियुक्त (1) ब्रह्मकुमारीज सेकेट्री जनरल, WRST मैनेजिंग ट्रस्टी, शांतिवन, आबूरोड (सिरोही) (2) मैनेजर ब्रह्मकुमारीज संस्था, शांतिवन, आबूरोड (सिरोही) (3) ब्रह्मकुमारीज संस्था के कार्यकर्ता श्री शशिकान्त पुत्र श्री गंगाराम वाटकर जाति कोलीढोर ब्रह्मकुमारीज संस्था के पाण्डव भवन, आबूपर्वत को धारा 34(A) वन्यजीव, संरक्षण अधिनियम 1972 में अपराध का दोषी पाये जाने से अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान् की सेवा में प्रेषित है।

भवदीय

अनुसंधान अधिकारी एवं
सहायक वन संरक्षक, वन्यजीव
माउन्ट आबू, सिरोही

प्रमाणित प्रति

उपवन संरक्षक
[illegible], आबूपर्वत

(19)

Annexure-7

(43)

राजस्थान सरकार
कार्यालय तहसीलदार आबूरोड

कमांक/न्याय/2017/409
प्रेषिति –

दिनांक 18.10.2017

श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय,
सिरोही।

विषय – जॉच रिपोर्ट भिजवाने बाबत।
प्रसंग – श्रीमान् के कार्यालय पत्रांक/प16(12)/न्याय/2017/4233–37 दिनांक 13.9.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि परिवाद द्वारा निलीमा शर्मा बाबत वन विभाग की भूमि अतिकमण कर, कब्जा करने, अवैध माइनिंग करने एवं वन को जलाने के संबंध में उप वन संरक्षक वन्यजीव आबूपर्वत ने पत्र संख्या 1888 दिनांक 06.9.2017 से प्रेषित जवाब पत्र वन खण्ड आबूपर्वत न.1 के ऋषिकेश बीट व तलेटी बीट में हुए अतिकमण के आंकलन के बारे में जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु राजस्व एवं वन विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों की संयुक्त गठित टीम द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को संयुक्त जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जो मूल ही संलग्न कर श्रीमान् की सेवा में प्रेषित है।

सादर।

संलग्न – किता–04

18/10/2017
तहसीलदार आबूरोड
दिनांक 18.10.2017

कमांक/सम/410–11
प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है

1. श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, आबूपर्वत।
2. श्रीमान् उप वन संरक्षक वन्य जीव, आबूपर्वत।

तहसीलदार, आबूरोड
18.10.17

(५५)

Annexure-7

मौका फर्द

आज दिनांक- श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय सिरोही
के आदेशानुसार प(16)रा(2)न्याय/2017/4233
-37 दि. 13.9.17 की पालनार्थ बटेडी ग्राम में
वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण/आवंटन
के संबंध में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु
संयुक्त टीम के साथ वन विभाग स्टाफ उपखण्ड
कर्मचारी भोमिया ईश्वर के ग्राम पटवारी व
उपस्थिति की सीमा का राजस्व रेकार्ड अनुसार
उपलब्ध संसाधनों से वन सीमा का निर्धारण
मौके किया गया.

मौके पर आबू पर्वत मुख्य
सड़क से खसरा नं. 45 को देखते हुए नाप
किया. खसरा नं. 47 व गौरव जिसमें
मनमोहन की व्यवसायिक बना हुआ है इसके
उपरी भाग वन विभाग की सीमा में पाया गया
जिसे नक्शे में भाग A दर्शित किया गया है.
इसके आगे मुख्य मार्ग से आगे होते हुए ख.नं.
106 व 109 की सीमा पर विभिन्न आवासीय/[illegible]
वगैरह निर्मित है इसका उपरी भाग वन विभाग
की सीमा में पाया गया जिसे भाग B दर्शित
किया गया. खसरा नं. 109 पर ... ...
व नक्शे में अंकित है जो मौके पर है.

इसके आगे ... की सीमा में
सोलर प्लांट के सामने की ... के मकान

Annexure-2

ली हुई है उसकी उपरी भाग पर
विभाग की सील मे आता है जिसे
भाग C से दर्शित किया गया है

मौके पर भाग A से प्रथम
मंजिल आशिक भाग B पर के
चार किवाड़ी के खुली जगह है

उक्त भाग मौके पर कमरो अथवा
उपरोक्त निरीक्षण किया गया है.
SM ... अधिकृत भाग पर ...
परिवर्तन होने व ... इत्यादि
होने से कमरो व सीढ़ी की स्थिति
भिन्न है.

उक्त कार्य ... 10.17
से 16.10.17 तक किया गया. मौके
पर B.K संस्थान के प्रतिनिधियों से
लिखित में सूचित किया गया है
सम्पूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी
कराई गई.

मौका फर्द मौके पर
तैयार कर हस्ताक्षर किये गये.

16/10/17
(सुनील गुप्ता)
स-न-नि- मा-आयु(भ)

... 16/10/17

16/10/17

Annexure-2

(2)

(21)

व. वि. प्रो०8

5 $\frac{35}{2464}$ दिनांक 18.10.17 के अन्तर्गत

वन विभाग, राजस्थान

अपराध की प्रारम्भिक सूचना

तृतीय प्रति 25

पुस्तक क्रमांक 2(/ पृष्ठ क्रमांक

(1) तारीख रिपोर्ट 18.10.17

(2) दोषी का नाम, जाति, एवं निवासस्थान Brahma kumari's Managing Trustee Shantivan Secretary General WRST, Manager, Brahma kumari's & others Shantivan Abu Taleti (Sirohi)

(3) अपराध का विवरण वन भूमि पर अतिक्रमण कर पक्का निर्माण वन्यजीव संरक्षण अधि. 1972 की धारा 34(A)

(4) घटना का स्थान बीट तलेटी नाका तलेटी

(5) दिनांक अपराध करने का 18.10.17

(6) विवरण पैदावार जंगल, जो पकड़ी गई व जो कार्यवाही की गई वन्य जीव संरक्षण अधि० की धारा 34(A)

आबू-पर्वत

(7) किसकी सुपुर्दगी में रखा गया

(8) म साक्षी 1. भेरा राम परमार वनपाल

2. महेश कुमार वनरक्षक

व. रा. वनपाल

हस्ताक्षर रिपोर्ट कुनिंदा
क्षेत्रीय वन अधिकारी
आबू तलेटी

रिपोर्ट कुनिन्दा को सूचना मिलने के 24 घण्टे के अन्दर या ... पता रवाना करनी चाहिये।

वन्य जीव अभारण्य माउन्ट आबू के आबू वनखण्ड 1 ग्राम आबू नं.-2 के खसरा नं. 410, 416, 419 में अतिक्रमण करना

व०अ० आबू तलेटी
नाका तलेटी
, बीट तलेटी
– का निरीक्षण एवं संयुक्त
खसरा नं. 47 वगैरह
उपरी भाग जिसमें
। में एक 5 मंजिला भवन
। है।
देर से होते हुए खसरा नं
वार आदि निर्मित है
f 52 वन सीमा में
) किया हुआ है।
-2 से होते हुए सोलर
पार्टल, बगीचा आदि बने
पा गया है।
मीन के समक्ष बनाया
किया एवं सन्तुष्टि के

...रा वन अधिकारी

Annexure-2

मौका पंचनामा सिलसिले तफ्तीश F.I.R. क्रमांक 35/2461 दिनांक 18.10.17
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 34 A के अन्तर्गत
मुकाम नाका तलेटी, बीट तलेटी
दिनांक 18-10-17 समय 5.30 PM
द्वारा वन अधिकारी – नरेन्द्र कुमार चौधरी क्षे० व० अ० आबू तलेटी
मय हमराहियान – 1 भेरा राम परमार वनपाल नाका तलेटी
2 महेश कुमार वनरक्षक बीट तलेटी

हालात मौका पर पाया कि मुकाम क्षेत्र का निरीक्षण एवं संयुक्त
सर्वे से ज्ञात होने पर खसरा नं. 45 से होते हुए खसरा नं. 47 वगैरह
जिसमे की मनमोहनी काम्पलेक्स आदि बने हुए है, के ऊपरी भाग जिसमे
श्रमिक क्वार्टर्स, लोहार कारखाना, मनमोहनी काम्पलेक्स मे एक 5 मंजिला भवन,
नर्सरी आदि बने हुए है, वन सीमा मे अतिक्रमण है।
इसके आगे मुखरी माता मन्दिर से होते हुए खसरा नं
106 व खसरा नं. 109 जिसमे की आनन्द सरोवर आदि निर्मित है
का ऊपरी भाग जिसमे दीवार बनाकर, खनन कार्य कर वन सीमा मे
गुफानुमा कमरे बने हुए है, सड़क बनाकर अतिक्रमण किया हुआ है।
इसके आगे नहर के किनारे-2 से होते हुए सोलर
प्लान्ट के सामने के क्षेत्र मे जिसमे श्रमिक क्वार्टर्स, बगीचा आदि बने
हुए है, मे सड़क, दीवार बनाकर अतिक्रमण किया गया है।
उक्त मौका पंचनामा ~~[illegible]~~ हाजरीन के समक्ष बनाया
जाकर दिखाया गया जो सबने सही तसलीम किया एवं सन्तुष्टि के
बाद हस्ताक्षर किया।

हस्ताक्षर स्टाफ

द्वारा वन अधिकारी

(signature) 18/10/17
क्षेत्रीय वन अधिकारी
आबू तलेटी

(signature) वनपाल

(signature) व.र.

22

(23) Annexure-2

नजरी नक्शा बसिलसिले तफ्तीश F.I.R. No.- 35/2064 दिनांक 10.10.17
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 34 A के अन्तर्गत
बमुकाम नाका तलेटी बीट तलेटी
दिनांक 18-10-17 समय - 5.45 Pm
द्वारा वन अधिकारी - नरेन्द्र कुमार चौधरी क्षे० व० अ० आबू तलेटी
मय हमराहियान 1 - भैरा राम परमार वनपाल नाका तलेटी
2 - महेश कुमार वनरक्षक बीट तलेटी

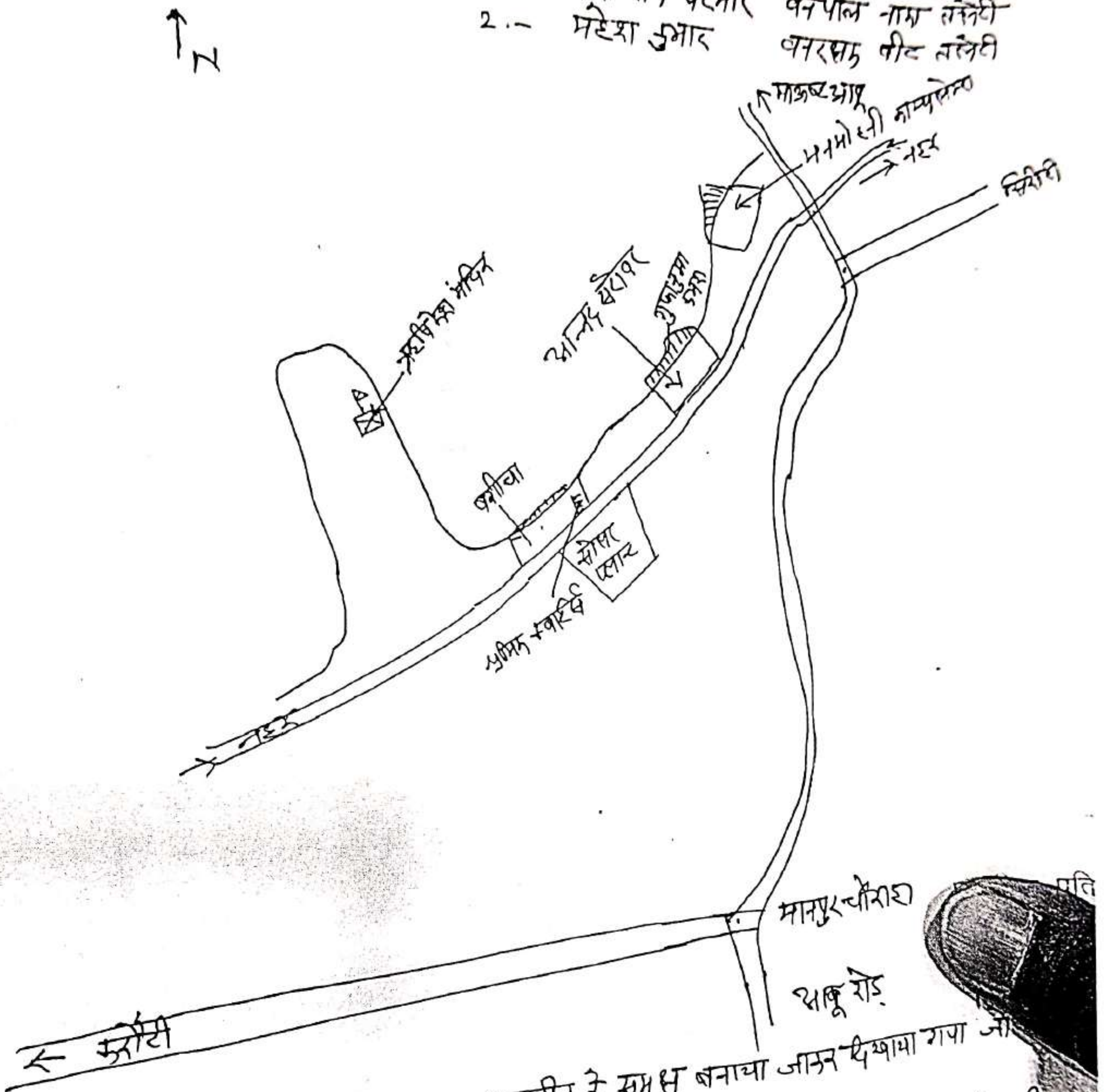

उक्त नजरी नक्शा हाजरीन के समक्ष बनाया जाकर दिखाया गया जो सही होना स्वीकार किया एवं सन्तुष्टि के बाद हस्ताक्षर किया।

इस्ताक्षर स्टाफ

द्वारा वन अधिकारी
[signature] 18.10.17
क्षेत्रीय वन अधिकारी
आबू तलेटी

भैरा राम
वनपाल

[signature] 9.2

(23)

Annexure-4,7,8,1 [redacted]

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप वन संरक्षक, वन्यजीव, माउन्ट आबू सिरोही 2904-2908/26 12

निर्णय दिनांक: 26/12/2017

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 34(A) के अन्तर्गत दर्ज अपराध की प्रारम्भिक सूचना संख्या 2064/35, दिनांक 18.10.2017

प्रार्थी:-

1. क्षैत्रीय वन अधिकारी, वन्यजीव, आबूतलेटी

बनाम्

अप्रार्थीगण:-

1. ब्रह्मकुमारी सेक्रेटरी जनरल WRST मैनेजिंग ट्रस्टी, शांति वन, आबू रोड।
2. मैनेजर ब्रह्मकुमारी, शांति वन, आबूरोड।
3. शशिकान्त पुत्र गंगाराम व्हटकर, पाण्डव भवन, आबूपर्वत।

कार्यालय आदेश

वर्तमान कार्यवाही माउन्ट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य की वन भूमि के आरक्षित वन खण्ड आबू नं. 1 के ग्राम आबू न. 2 जिला सिरोही के 5 बीघा वन भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित है।

1. यह कि वन भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित परिवाद के कम में श्रीमान् जिला कलक्टर सिरोही के आदेश दिनांक 13.09.2017 द्वारा गठित टीम की संयुक्त जांच रिपोर्ट अनुसार जिसमें कि माउन्ट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य की वन भूमि के आरक्षित वन खण्ड आबू नं. 1 के ग्राम आबू नं. 2 की 5 बीघा वन भूमि पर अतिक्रमण होना पाया गया। जिसकी पुष्टि होने पर क्षेत्रीय वन अधिकारी, वन्यजीव, आबू तलेटी द्वारा दिनांक 18.10.2017 को अप्रार्थी नं. (1) ब्रह्मकुमारीज सेकेट्ररी जनरल, WRST मैनेजिंग ट्रस्टी, शांतिवन, आबूरोड, अप्रार्थी नं. (2) मैनेजर ब्रह्मकुमारीज संस्था, आबूरोड एवं अन्य के नाम माउन्ट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य की वन भूमि के आरक्षित वन खण्ड आबू नं. 1 के ग्राम आबू नं. 2 की वन भूमि पर अतिक्रमण करने का आरोप गठित करते हुये अपराध की प्रारम्भिक सूचना संख्या 2064/35, अन्तर्गत वन्यजीव (सरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 34(A) के तहत वनवाद दर्ज किया गया।

उ० व० सं० आबू पर्वत

2. उक्त वनवाद के अनुसंधान हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 2230 दिनांक 23.10.2017 द्वारा सहायक वन संरक्षक वन्यजीव, माउन्ट आबू, सिरोही को अनुसंधान अधिकारी नियुक्त कर अनुसंधान की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। अनुसंधान के दौरान अप्रार्थी नं. (1) ब्रह्मकुमारीज सेकेट्ररी जनरल, WRST मैनेजिंग ट्रस्टी, शांतिवन, आबूरोड व अप्रार्थी नं. (2) मैनेजर ब्रह्मकुमारीज संस्था, आबूरोड के द्वारा माउन्ट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य की वन भूमि के आरक्षित वन खण्ड आबू नं. 1 के ग्राम आबू नं. 2 की 4 बीघा 10 बिस्वा वन भूमि पर बहुमंजिला भवन निर्माण करने, अवैध खनन कर चट्टानों को तोडकर गुफाये बनाने, सडक व दीवार बनाने, श्रमिक क्वाटर्स बनाने, कंटीले तारों से फैन्सिग करने व वन्यजीवों के आश्रय-स्थल को नुकसान पहुँचाने व वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 का उल्लंघन कर अतिक्रमण करने की पुष्टि की साथ ही अन्य में श्री शशिकान्त पुत्र श्री गंगाराम व्हटकर, निवासी पाण्डव भवन, आबूपर्वत द्वारा भी माउन्ट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य की वन भूमि के आरक्षित वन खण्ड आबू नं. 1 के ग्राम आबू नं. 2 की वन भूमि पर सडक व दीवार बनाकर कंटीले

प्रमाणित प्रतिलिपि उप वन संरक्षक, आबूपर्वत

तारों से फैन्सिंग कर व वन्यजीवों के आश्रय-स्थल को नुकसान पहुँचाकर व वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 का उल्लंघन कर अतिक्रमण करने की पुष्टि हुई। अनुसंधान अधिकारी द्वारा भी अप्रार्थीगणों एवं संबंधित को क्रमशः दिनांक 2.11.2017, 10.11.2017, 10.11.2017, 17.11.2017 व 22.11.2017 द्वारा नोटिस देकर अपना पक्ष रखने हेतु बार-बार अवसर प्रदान किये गये। किन्तु अप्रार्थीगणों व उनके अधिवक्ताओं द्वारा वनवाद से संबंधित कोई तथ्य या अभिलेख समर्पित नहीं किये गये, जो भी अप्रार्थीगणों द्वारा वनवाद में असहयोग करना व गलत मंतव्य को जाहिर करता है। वनवाद में अनुसंधान अधिकारी द्वारा विस्तृत अनुसंधान कर दिनांक 23.11.2017 को उप वन संरक्षक वन्यजीव, माउन्ट आबू, सिरोही के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

3. वनवाद में अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के क्रम में दिनांक 24.11.2017 को अप्रार्थी नं. (1) ब्रह्मकुमारीज सेकेट्ररी जनरल, WRST मैनेजिंग ट्रस्टी, शांतिवन, आबूरोड, अप्रार्थी नं. (2) सेक्रेटरी ब्रह्मकुमारीज संस्था, आबूरोड अनुपस्थित व अप्रार्थी नं. (3) श्री शशिकान्त पुत्र श्री गंगाराम कुलदार, निवासी पाण्डव भवन, आबूपर्वत को समन जारी कर अपना पक्ष रखने के लिये दिनांक 4.12.2017 नियत की गई, उक्त सुनवाई के अवसर पर तीनों अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे. अप्रार्थी नं. (1) (2) व (3) की तरफ से उनके अधिवक्ता कुमारी लता अग्रवाल उपस्थित हुई, जिनके द्वारा भी वनवाद से संबंधित कोई तथ्य या अभिलेख समर्पित नहीं किये गये जिससे यह सिद्ध हो कि ये अतिक्रमी नहीं हैं। अप्रार्थीगणों की तरफ से केवल राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दिनांक 29.11.2017 को माननीय न्यायाधीश श्री संदीप मेहता के समक्ष S.B. Criminal Misc (Pet.) No. 4256/2017 प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय व अन्य (Petitioner) वर्सेज State & Others (Respondent) का हवाला देते हुए कहा की मामला कोर्ट में विचाराधीन होने से FIR Stay की जाए किन्तु कोर्ट के आदेशों में ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं हैं। इसी प्रकार राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के माननीय न्यायाधीश डॉ0 पुष्पेन्द्र सिंह भाटी के S.B. Criminal Misc (Pet.) No. 3855/2017. world Renewal Spiritual Trust (Regd. Under Bombay Public Trust Act, 1950 Through Power of Atorny Holder Avtar singh Rana Mount Abu (Petitioner) Versus State of Rajasthan & other (Respondent) के द्वारा दिए गये निर्णय में यह आदेश दिया गया है, कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 34(A) के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाकर उक्त अप्रार्थीगणों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये वनवाद को निस्तारित किया जावें, लेकिन अप्रार्थीगणों द्वारा वनवाद से संबंधित कोई तथ्य या अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये जो कि न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता हैं। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक वन संरक्षक वन्यजीव, माउन्ट आबू, सिरोही द्वारा वनवाद से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत कर माउन्ट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य की वन भूमि के आरक्षित वन खण्ड आबू नं. 1 के ग्राम आबू नं. 2 की 5 बीघा अतिक्रमित वन भूमि से बेदखली के आदेश की मांग की गई।

उ० व० स०
आबू-पर्वत

4. उक्त वनवाद में अप्रार्थी नं. (1), (2) व (3) को पुनः अपना पक्ष रखने के लिये अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 4.12.2017 को समन जारी कर दिनांक 11.12.2017 नियत की गई, इस सुनवाई पर भी तीनों अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे, अप्रार्थी नं. (1), (2) व (3) की तरफ से उनके अधिवक्ता कुमारी लता अग्रवाल उपस्थित हुई, जिनके द्वारा भी वनवाद से संबंधित कोई तथ्य या अभिलेख समर्पित नहीं किये गये, जिससे यह सिद्ध हो कि ये अतिक्रमी नहीं हैं।

प्रमाणित प्रति
संरक्षक
आबू

245

5. इसी प्रकार प्रकरण में अप्रार्थी नं. (1), (2) व (3) को अपना पक्ष रखने के लिये अंतिम अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 20.12.2017 नियत की गई, इस सुनवाई पर भी तीनों अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी नं. (1) व (2) की तरफ से उनके अधिवक्ता श्री एन. के. गोयल व कुमारी लता अग्रवाल उपस्थित हुये। तथा अप्रार्थी नं. (3) की तरफ से भी उनके अधिवक्ता कुमारी लता अग्रवाल उपस्थित हुई परन्तु इस सुनवाई के अवसर पर भी अप्रार्थीगणों द्वारा वनवाद से संबंधित कोई तथ्य या अभिलेख समर्पित नही किये गये, जिससे यह सिद्व हो कि ये अतिकमी नही हैं। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा यह कहने पर कि संयुक्त सर्वे के दौरान अप्रार्थीगणों को सूचना नही दी गई, के प्रत्युतर में राजकीय पक्ष की तरफ से संयुक्त सर्वे में सम्मिलित होने के लिये दिनांक 6.10.2017 को नायब तहसीलदार द्वारा लिखित में सूचित करने का पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें अप्रार्थीगणों या उनके प्रतिनिधि को सर्वे के दौरान दिनांक 9.10.2017 को उपस्थित रहने का लिखा गया था, परन्तु फिर भी उनके द्वारा अनुपस्थित रहकर सहयोग नही किया गया।

6. इस प्रकार अप्रार्थी नं. (1), (2) व (3) को बार–बार अपना पक्ष रखने के लिये अवसर प्रदान किये गये। फिर भी एक भी सुनवाई पर अप्रार्थीगण उपस्थित नही हुये व न ही उनकी तरफ से वनवाद से संबंधित कोई तथ्य या अभिलेख समर्पित किये गये, जिससे यह सिद्व हो कि ये अतिकमी नहीं हैं, इस प्रकार अप्रार्थीगणों द्वारा वनवाद को भटकाने व अन्य दिशा में ले जाने का निरन्तर प्रयास किया गया। साथ ही अप्रार्थीगणों द्वारा वनवाद में निरन्तर असहयोग करना, गलत मंतव्य को जाहिर करता हैं।

<u>उक्त वनवाद की सुनवाई व अभिलेखों के अवलोकन व परिशीलन के दौरान निम्न तथ्य सामने आये:-</u>

1. अभियोजन पक्ष की तरफ से क्षेत्रीय वन अधिकारी, वन्यजीव, आबू तलेटी के द्वारा प्रस्तुत मौका पंचनामा, खसरा मैप तथा बयानों के अनुसार अप्रार्थी नं. (1) व (2) ने माउन्ट आबू वन्यजीव अभयारण्य की वन भूमि के आरक्षित वन खण्ड आबू नं. 1 के ग्राम आबू नं. 2 की 4 बीघा 10 बिस्वा वन भूमि पर अतिकमण कर बहुमंजिला भवन निर्माण करने, अवैध खनन कर चट्टानों को तोडकर गुफायें बनाने, सडक व दीवार बनाने, श्रमिक क्वाटर्स बनाने, कंटीले तारों से फैन्सिग करने व वन्यजीवों के आश्रय स्थल को नुकसान पहुँचाने का कार्य किया हैं। इसी प्रकार अप्रार्थी नं. (3) ने भी माउन्ट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य की वन भूमि के आरक्षित वन खण्ड आबू नं. 1 के ग्राम आबू नं. 2 की 10 बिस्वा वन भूमि पर अतिकमण करने, सडक व दीवार बनाने, कंटीले तारों से फैन्सिग करने व वन्यजीवों के आश्रय स्थल को नुकसान पहुँचाने का कार्य किया हैं।

2. श्रीमान् जिला कलेक्टर सिरोही के आदेश दिनांक 13.09.2017 की पालना में राजस्व विभाग तथा वन विभाग द्वारा संयुक्त सर्वे की कार्यवाही हुई जिसमें माउन्ट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य की वन भूमि के आरक्षित वन खण्ड आबू नं. 1 के ग्राम आबू नं. 2 में कुल अतिक्रमण 5 बीघा होने की पुष्टि होती हैं, जो कि राजस्व ग्राम दानवाव के खसरा नं 47, 106, 109 तथा ग्राम उमरनी के खसरा नं. 200, 201 से लगता हुआ क्षेत्र हैं जो माउन्ट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य की वन भूमि के आरक्षित वन खण्ड आबू नं. 1 के ग्राम आबू नं. 2 की वन भूमि है। यह रिपोर्ट स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है कि माउन्ट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य की वन भूमि पर अतिक्रमण है।

3. अनुसंधान अधिकारी द्वारा भी वनवाद में अप्रार्थी नं. (1), (2) व (3) को बार–बार सम्मन जारी कर अपना पक्ष रखने के लिये कई अवसर प्रदान करने पर भी अनुपस्थित रहना, अपना पक्ष रखने के लिये कोई तथ्य या अभिलेख प्रस्तुत नही करना, जान बुझकर अनुसंधान कार्य में सहयोग नही करना

उ० वं० सं० आबू-पर्वत

प्रति

246

अप्रार्थीगणों के गलत मंतव्य को जाहिर करता हैं। बार–बार बुलाने पर भी पूछताछ के लिये उपस्थित न होना तथा माननीय राजस्थान हाईकोर्ट के दिनांक 06.11.2017 को S.B. criminal Misc(pet) No 3855/2017 के आदेशों को स्वयं न मानना भी विचारणीय है। साथ ही उनके द्वारा वनवाद से संबंधित ऐसे कोई तथ्य या अभिलेख समर्पित नही किये गये, जिससे यह सिद्ध हो कि ये अतिक्रमी नही हैं या किसी प्रकार का अतिक्रमण नही किया गया हैं, तथा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के प्रावधानों का भी उल्लंघन नही किया गया हैं।

4. उक्त प्रकरण से संबंधित ही माननीय राजस्थान हाई-कोर्ट, जोधपुर के माननीय न्यायाधीश श्री पुष्पेन्द्रसिंह भाटी ने दिनांक 06.11.2017 को S.B. criminal Misc(pet) No 3855/2017 के क्रम में आदेश दिया। इसमें प्रार्थी WRST के प्रतिनिधि (पावर ऑफ अट्रोनी होल्डर) ने वन विभाग द्वारा जारी वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियन, 1972 की धारा 34(A) के अन्तर्गत दर्ज अपराध की प्रारम्भिक सूचना संख्या 2064 / 35, दिनांक 18.10.2017 को खारीज करने हेतु निवेदन किया गया। इस पर माननीय न्यायालय ने अप्रार्थीगणों के विरूद्ध वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 34(A) में वर्णित अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जाकर उक्त अप्रार्थीगणों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये वनवाद को निस्तारित किया जावें, लेकिन अप्रार्थीगणों द्वारा वनवाद से संबंधित कोई तथ्य या अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये जो कि न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता हैं।

5. उक्त प्रकरण से संबंधित अप्रार्थीगणों द्वारा न्यायालय श्रीमान् सिविल न्यायाधीश, आबूरोड में दिवानी विविध प्रार्थना पत्र संख्या 41 / 2017 प्रस्तुत कर तत्काल अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई थी जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 10.11.2017 को खारिज किया गया।

6. उक्त प्रकरण से संबंधित ही अप्रार्थी ब्रह्मकुमारी संस्था के बी.के. भरत पुत्र श्री त्रियम्बक [illegible] चीफ इन्जीनियर द्वारा वन विभाग व तहसीलदार आबूरोड के खिलाफ SDM कोर्ट आबूपर्वत में प्रार्थना पत्र R.T एक्ट संख्या 24 / 2017 प्रस्तुत किया गया एवं ACJM कोर्ट आबूरोड में प्रार्थना पत्र 15 / 2017 प्रस्तुत कर उक्त मामलों में अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई।

7. न्यायालय श्रीमान् सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आबूपर्वत को दिये गये प्रार्थना पत्र में (आर.टी. एक्ट संख्या) 24 / 2017 के बिन्दु संख्या 7 एवं 8 में यह स्वीकार किया गया कि "ब्रह्मकुमारी संस्था ने मननोहिनी वन कॉम्पलेक्स को पश्चिमी दिशा में शिफट करना" जो कि माउन्ट आबू वन्यजीव अभयारण्य की वन भूमि के आरक्षित वन खण्ड आबू नं. 1 के ग्राम आबू नं. 2 की वन भूमि हैं। इस प्रकार अतिक्रमण को स्वीकार (अप्रत्यक्ष रूप से) किया गया।

8. इस मामले को दिशा से भटकाने के लिये इन्होंने इस कार्यालय में तथ्य व अभिलेख प्रस्तुत करने के बजाय न्यायपालिका के अलग–अलग स्तरों पर इस मुद्दे को उठाया, जिससे न्यायपालिका के अमूल्य समय की अपूर्णीय क्षति करना व न्याय व्यवस्था एवं सरकारी तंत्र पर अविश्वास को भी दर्शाता हैं।

9. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 34(A) के अन्तर्गत दर्ज अपराध की प्रारम्भिक सूचना संख्या 2064 / 35, दिनांक 18.10.2017 के क्रम में अनुसंधान अधिकारी द्वारा 31.10.2017 को निरीक्षण के दौरान अप्रार्थीगण को उपस्थित रहने के लिये लिखित में नोटिस दिया गया। जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा सहयोग नही करना उनके गलत मंतव्य को जाहिर करता हैं।

प्रमाणित प्रति

247

10. उक्त वन भूमि को दिनांक 15.06.1973 से आरक्षित वन घोषित किया गया था। जिसे राजस्थान के राजपत्र में विज्ञप्ति संख्या 1(6)(26)राज.–8/73 दिनांक 18.05.1978 में प्रकाशित किया गया था। जो कि वन विभाग के नाम दर्ज हैं एवं दिनांक 17.04.2008 में राजपत्र में प्रकाशित माउन्ट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य का भाग हैं।

11. पूर्व में भी अप्रार्थीगणों व उनकी संस्थान पर वन भूमि पर अतिक्रमण एवं अपराध ... है, जिनमें मुख्यतः –(i) न्यायालय सहायक वन संरक्षक, सिरोही के आदेश दिनांक 13.10.2009 के अनुसार ग्राम मुदरला के खसरा नं. 466, 467, 730 मी., 111 व 465 की 38 बीघा भूमि पर अप्रार्थी (ब्रह्मकुमारी संस्था के बी.के. भूपाल, व्यवस्थापक) द्वारा अतिक्रमण करना पाया गया। जिसे हटाने के आदेश दिये गये। (ii) दिनांक 19.03.2017 को आनन्द सरोवर परिसर (पारिस्थितकीय संवेदनशील जोन) में अवैध खनन करते पाये जाने पर मशीन को सीज (Seize) किया गया तथा माफीनामा प्रस्तुत करने पर 20 लाख का जुर्माना कर छोडा गया। (iii) वन क्षेत्र में अवैध कार्य करने पर क्षेत्रीय वन अधिकारी, आबूरोड द्वारा दिनांक 16.08.2017 को JCB मशीन को सीज किया गया जिसे न्यायालय सहायक वन संरक्षक, सिरोही द्वारा राजसात (confiscate) किया गया।

12. उक्त तथ्यों से यह साबित होता हैं कि अप्रार्थी नं. (1), (2) व (3) द्वारा माउन्ट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य की वन भूमि के आरक्षित वन खण्ड आबू नं. 1 के ग्राम आबू नं. 2 की वन भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, जिनके द्वारा वन भूमि पर अवैध खनन कार्य, कब्जा व अवैध निर्माण कार्य कर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 का उल्लंघन किया हैं। इसके अतिरिक्त वन (संरक्षण) अधिनियम 1980, राजस्थान वन अधिनियम 1953, सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 12.12.1996 व सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 4.08.2006 का भी उल्लंघन किया गया हैं।

निष्कर्ष

वाद से संबंधित अभिलेखों के अवलोकन एवं परिशीलन के पश्चात् यह निष्कर्ष निकलता है कि:–

1. अप्रार्थी नं. (1) व (2) द्वारा माउन्ट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य की वन भूमि के आरक्षित वन खण्ड आबू नं. 1 के ग्राम आबू नं. 2 की वन भूमि के 4 बीघा 10 विस्वा वन भूमि पर अतिक्रमण कर बहुमंजिला भवन निर्माण करने, अवैध खनन कर चट्टानों को तोडकर गुफायें बनाने, सडक व दीवार बनाने, श्रमिक क्वाटर्स बनाने, कंटीले तारों से फैन्सिग करने व वन्यजीवों के आश्रय–स्थल को नुकसान पहुँचाने व वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 का उल्लंघन करने का दोष अप्रार्थीगणों (आरोपियां) नं. (1) व (2) पर सिद्ध होता हैं। उक्त अतिकमित वन भूमि निजी लाभ के लिए उपयोग की गई हैं। प्रश्नगत वन भूमि वन्यप्राणी का पर्यावास क्षेत्र है। अतः इसकी सुरक्षा एवं अतिकमण मुक्त करना अतिआवश्यक हैं।

2. इसी प्रकार अप्रार्थी नं. (3) द्वारा भी माउन्ट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य की वन भूमि के आरक्षित वन खण्ड आबू नं. 1 के ग्राम आबू नं. 2 की वन भूमि के 10 बिस्वा वन भूमि पर अतिक्रमण कर सडक व दीवार बनाने, कंटीले तारों से फैन्सिग करने व वन्यजीवों के आश्रय–स्थल को नुकसान पहुँचाने व वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 का उल्लंघन करने का दोष सिद्ध होता हैं। उक्त अतिकमित वन भूमि निजी लाभ के लिए उपयोग की गई हैं। प्रश्नगत वन भूमि वन्यप्राणी का पर्यावास क्षेत्र है। अतः इसकी सुरक्षा एवं अतिक्रमण मुक्त करना अतिआवश्यक हैं।

उ० व० सं०
आबू–पर्वत

प्रति

आदेश 248

अतः वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 34(A) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्न आदेश दिये जाते हैः–

(1) माउन्ट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य की वन भूमि के आरक्षित वन खण्ड आबू नं. 1 के ग्राम आबू नं. 2 की वन भूमि पर अतिक्रमण कर बहुमंजिला भवन निर्माण करने, अवैध खनन कर चट्टानों को काटकर गुफाये बनाने, सड़क व दीवार बनाने, श्रमिक क्वार्टर्स बनाने, कंटीले तारों से फैन्सिंग करने व वन्यजीवों के आश्रय–स्थल को नुकसान पहुँचाने व वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 का दोष अप्रार्थीगणों (आरोपियों) नं. (1) व (2) पर सिद्ध होता हैं। अतः सहायक वन संरक्षक वन्यजीव, माउन्ट आबू, सिरोही को अप्रार्थीगणों (आरोपियों) नं. (1) व (2) के कब्जे की माउन्ट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य की वन भूमि के आरक्षित वन खण्ड आबू नं. 1 के ग्राम आबू नं. 2 के खसरा नं. 412 व 416 की 4 बीघा 10 बिस्वा वन भूमि से बेदखल कर अभ्यारण्य की भूमि को कब्जे में लेने के आदेश दिये जाते हैं, साथ ही पक्के निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने एवं Eco-restoration (पर्यावरण बहाली) की प्रकिया में व्यय की जाने वाली समस्त राशि नियमानुसार गणना कर अप्रार्थीगण से एकमुश्त वसूल की जावे।

(2) ब्रह्मकुमारी संस्थान के कार्यकर्त्ता अप्रार्थी नं. (3) श्री शशिकान्त पुत्र गंगाराम व्हटकर निवासी पाण्डव भवन, आबूपर्वत पर अभ्यारण्य के लगभग 10 बिस्वा वन क्षेत्र पर अतिकमण कर सड़क व दीवार बनाने, कंटीले तारों से फैन्सिग करने व वन्यजीवों के आश्रय–स्थल को नुकसान पहुँचाने व वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 का दोष सिद्ध होता हैं। अतः सहायक वन संरक्षक वन्यजीव, माउन्ट आबू, सिरोही को अप्रार्थी (आरोपी) श्री शशिकान्त पुत्र गंगाराम व्हटकर को माउन्ट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य की वन भूमि के आरक्षित वन खण्ड आबू नं. 1 के ग्राम आबू नं. 2 के खसरा नं. 419 की 10 बिस्वा वन भूमि से बेदखल कर अभ्यारण्य की भूमि को कब्जे में लेने के आदेश दिये जाते हैं, व पक्के निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त क्षेत्र से अतिकमण हटाने एवं Eco-restoration (पर्यावरण बहाली) की प्रकिया में व्यय की जाने वाली समस्त राशि नियमानुसार गणना कर अप्रार्थीगण से एकमुश्त वसूल की जावे।

उक्त बिन्दु संख्या (1) व (2) में वर्णित माउन्ट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य की वन भूमि का कब्जे में लेने व अतिकमण को ध्वस्त करने के लिये यदि कानूनी व्यवस्था बनाये रखने के लिये आवश्यकता हो तो श्रीमान् जिला कलक्टर, सिरोही से पर्याप्त पुलिस बल की मांग करें।

(3) क्षैत्रीय वन अधिकारी, वन्यजीव, आबूतलेटी को आदेश दिये जाते हैं कि वह उक्त अप्रार्थीगणों (आरोपियों) के खिलाफ माउन्ट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य के वन्यजीवों के आश्रय–स्थल को नुकसान पहुँचाने एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने पर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 एवं अन्य तहत आवश्यक कार्यवाही कर सक्षम न्यायालय में पृथक से प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 26.12.2017 को मेरे हस्ताक्षर और मेरी मोहर से 6 प्रतियों में जारी किया गया।

उप वन संरक्षक
वन्यजीव
माउन्ट आबू, सिरोही

[6/6]

Annexure-5, 7, 8, 10

!! कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी वन्य जीव रैन्ज आबूतलेटी

क्रमांक – 158.

दिनांक - 9/6/2022.

(14)

सेवामें,

श्रीमान उप वन संरक्षक
उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक महो०
वन्य जीव आबुपर्वत

5/9/2022

विषय :. ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबु द्वारा किये गये अतिक्रमण पर दिनांक - 26/5/2022 को की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में।

व० स० (व० जी०)
क्र. 1769
दि. 15-9-2022

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 34 (ए) में दर्ज विभागीय प्रकरण संख्या 2064/35 दिनांक - 18/10/2017 के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक - 23/5/2022 को याचिका संख्या - 43/2019 को खारिज करने का निर्णय पारित किया गया। जिससे न्यायालय उप वन संरक्षक वन्य जीव आबुपर्वत का आदेश दिनांक - 26/12/2017 प्रभावी में आ जाने के कारण श्रीमान के आदेश क्रमांक - एफ ( ) अतिक्रमण/उवसं/2022/2315 दिनांक - 24/5/2022 के क्रम में कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी वन्यजीव आबुतलेटी के क्रमांक - 133 दिनांक - 25/5/2022 के द्वारा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आबुपर्वत को नोटिस देकर दिनांक - 26/5/2022 को ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा किए गये अतिक्रमण आबु पर्वत वन्यजीव अभयारण्य के वन खण्ड आबु नं. 1 के ग्राम आबु नम्बर - 2 के वन खसरा संख्या 410, 416 एवं 419 से अतिक्रमण हटाया गया।
P.T.O.

: तथा मौके पर मन मोहनी कॉम्प्लेक्स में बनी 6 मंजिला भवन का कुछ भाग वनभूमि पर निर्मित किया गया था। जिसके अन्तर्गत कमरों एवं बाथरूम को मिलाकर 72 की संख्या में थे जिन्हें सील चस्पा किया तथा अवैध निर्माण बाउण्डरी वॉल आदि को J.C.B. मशीन द्वारा हटवाया गया साथ ही आनन्द भवन नाम से उपस्थित कॉम्प्लेक्स में एक लोहे के परकोटे से बना वॉलीबाल के ग्राउण्ड को सील-चस्पा कर अवैध निर्मित दिवाले हटाई।

इस प्रकार से दिनांक- 26/5/2022 को ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आबुरोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की- जिसके पंचनामा, फर्द अधिग्रहण, सीलचस्पा आदि फर्दे तैयार की।

श्रीमान से नम्र निवेदन है कि की गयी कार्यवाही में कोई कमि पेशी रह गयी हो तो उचित मार्गदर्शन फरमाते हुए अग्रीम कार्यवाही करने के आदेश फरमावें।

(15)

आभार सहित।

भवदीय
(कानसिंह राजपुरोहित)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
वन्य जीव आबु तलेटी

(वन्यजीव संरक्षण अधिनियम,1972 की धारा 50 ( ) के अन्तर्गत)

मौका पंचनामा

सिलसिले तफ्तीश एफ0आई0आर0 कमांक 2064/35 दिनांक 18.10.2017

मुकाम आनन्द सरोवर, तलहटी

दिनांक 26.05.2022 समय

द्वारा वन अधिकारी :— श्री कानसिंह राजपुरोहित, क्षे॰ व॰ अधि॰ व॰जी॰ आबूतलेटी।

रूबरू हमराहियान :— (1) श्री भरत सिंह देवड़ा, क्षे॰ व॰ अधि॰, वनसुरक्षा, आबूपर्वत।

(2) श्री लखमाराम गरासिया, वनरक्षक।

(3) श्री कृपालसिंह, वनरक्षक। (4) श्रीमति आशा देवी, वनरक्षक।

एवं मौतबीरान श्री :— (1) श्री कोमल भाई

(2) श्री नितिन भाई

(3)

आज दिनांक 26/05/2022 को कार्यालय उप वन संरक्षक, — वन्यजीव, आबूपर्वत के अधीनस्थ कार्यालय रेन्ज वन्यजीव आबूतलेटी, आबूपर्वत, ग्रलादरा एवम् वनसुरक्षा के क्षेत्रीय वन अधिकारी, समस्त वन स्टाफ, वन-विभाग मे नियुक्त बोर्डर होमगार्ड्स तथा पुलिस (सदर) आबूरोड़ के कर्मियों ने मिलकर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 34 (ए) मे दर्ज विभागीय प्रकरण संख्या 2064/35 दिनांक 18.10.2017 के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर ने दिनांक 23/05/2022 को याचिका संख्या 43/2019 को खारिज करने का निर्णय पारित किया उक्त निर्णय आदेश की अनुपालना में वन्यजीव अभयारण्य माउण्ट आबू के वनखण्ड नम्बर-1 के ग्राम आबू-नम्बर-2 के खसरा संख्या 410, 416 एवं 419 में ब्रह्म-कुमारी संस्थान, शान्तिवन द्वारा किये गये वन-भूमि पर अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। मौके पर वन भूमि पर बनी आनन्द सरोवर की दीवार एवं दीवार के ऊपर कॉटेदार वायर फैंसिंग एवं चैन फैंसिंग को J.C.B नम्बर RJ 24 EA 0293 तथा स्टॉफ द्वारा ध्वस्त कर वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया गया साथ ही मौके पर दीवार के पास बने वॉलीबॉल मैदान एवं लोहे के पाईप सहित मैदान के चारों तरफ आयरन वायर चैनलिंग फैंसिंग को ताला लगाकर, ताले को कपड़े से बांधकर सुई-धागे से सीलकर चपड़ी चस्पा कर सील करने की कार्यवाही उपरान्त राज कब्जे लिया गया। मौके पर पौधों के गमलों, पेड़ व अन्य वनस्पतियों को कोई भी नुकसान नही पहुँचाया गया न ही हटाये गये। मौके पर वन-विभाग की टीम, सदर पुलिस टीम आबूरोड़ एवम् ब्रह्म कुमारीज संस्थान के बी॰ के॰ नितीन भाई आनन्द सरोवर के चौकीदार तथा बी॰ के॰ संस्थान के अन्य लोग उपस्थित थे।

[signature] R.O. तलेटी

पृष्ठ संख्या – ① लगातार……

लालसिंह व.3 बाबूलाल व.र

(17) (2)

उक्त मौका पंचनामा हाजरीन के समक्ष बनाया जाकर सभी को दिखाया गया एवं पढ़कर सुनाया गया ,जो सबने सही तसलीम किया एवं संतुष्टि के बाद हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी किये.जो वक्त जरूरत काम आवें।

1. Nitin

2. Komal

R.O. आलूतलैटी

नाम गवाह एवं हस्ताक्षर   हस्ताक्षर स्टाफ   हस्ताक्षर मुल्जिम   द्वारा वन अधिकारी

1. (नितिन भाई)

2. (कोमल भाई)

पृष्ठ संख्या - (2)

(8) (3)

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 50 (( )) के अन्तर्गत)

फर्द अभिग्रहण

बसिलसिले तपतीश एफ.आई.आर. क्रमांक 2064/3.5 दिनांक 12/10/2022
बमुकाम आनन्द सरोवर कृष्णा कुमारीपुर ग्रामताल तलेटी - - - -
दिनांक 26/05/2022 समय :- 5:10 pm
द्वारा वन अधिकारी:– श्री लाल सिंह राजपुरोहित, क्षे.व.अ. वन्यजीव, आबूतलेटी

रुबरु हमराहियान (1) श्री भरत सिंह देवड़ा, क्षे.व.अ. वनसुरक्षा, आबूपर्वत।
(2) श्री लालाराम गरासिया, वनरक्षक
(3) श्री करण सिंह, वनरक्षक

एवं मौतबीरान श्री (1) श्री कोमल भाई
(2) श्री नितिन भाई
(3) ....

निम्नांकित तालिका में वर्णित वन्यजीव पदार्थ एवं वन्यजीव अपराध सामग्री को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 50 के तहत प्रदत अधिकारों के तहत जब्तराज करके कब्जे सरकार लिया गया तथा कब्जे में लिए गए सामान पर कॉलम में वर्णित विवरणानुसार जब्ती चिन्ह लगाया गया।

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	जब्त सामग्री का विवरण	जब्ती प्रकार का विवरण
1	A-S-1	तालीताल मैदान मय लोहे के पाईप सहित चैनलिंग फैसिंग	वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण करना

अभिग्रहित सामान की मौके पर फर्द अभिग्रहण बनाई जाकर मौके पर उपस्थित हाजरीन को पढ़कर सुनाई गई, जो की सबने पढ़ सुनकर सही होना तसलीम किया एवं बतौर साक्षी फर्द अभिग्रहण पर हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी की गई।

हस्ताक्षर गवाहान	हस्ताक्षर स्टाफ	हस्ताक्षर मुल्जिम	द्वारा वन अधिकारी
Nitin [signature] (कोमल भाई)	लालाराम व.र. नाथूलाल व.र.		[signature] R.D. आबूतलेटी

नजरी नक्शा

(59) (4)

1. स्थान :- आनन्द सरोवर
3. समय :- 4.35 pm
2. दिनांक :- 26/5/2022

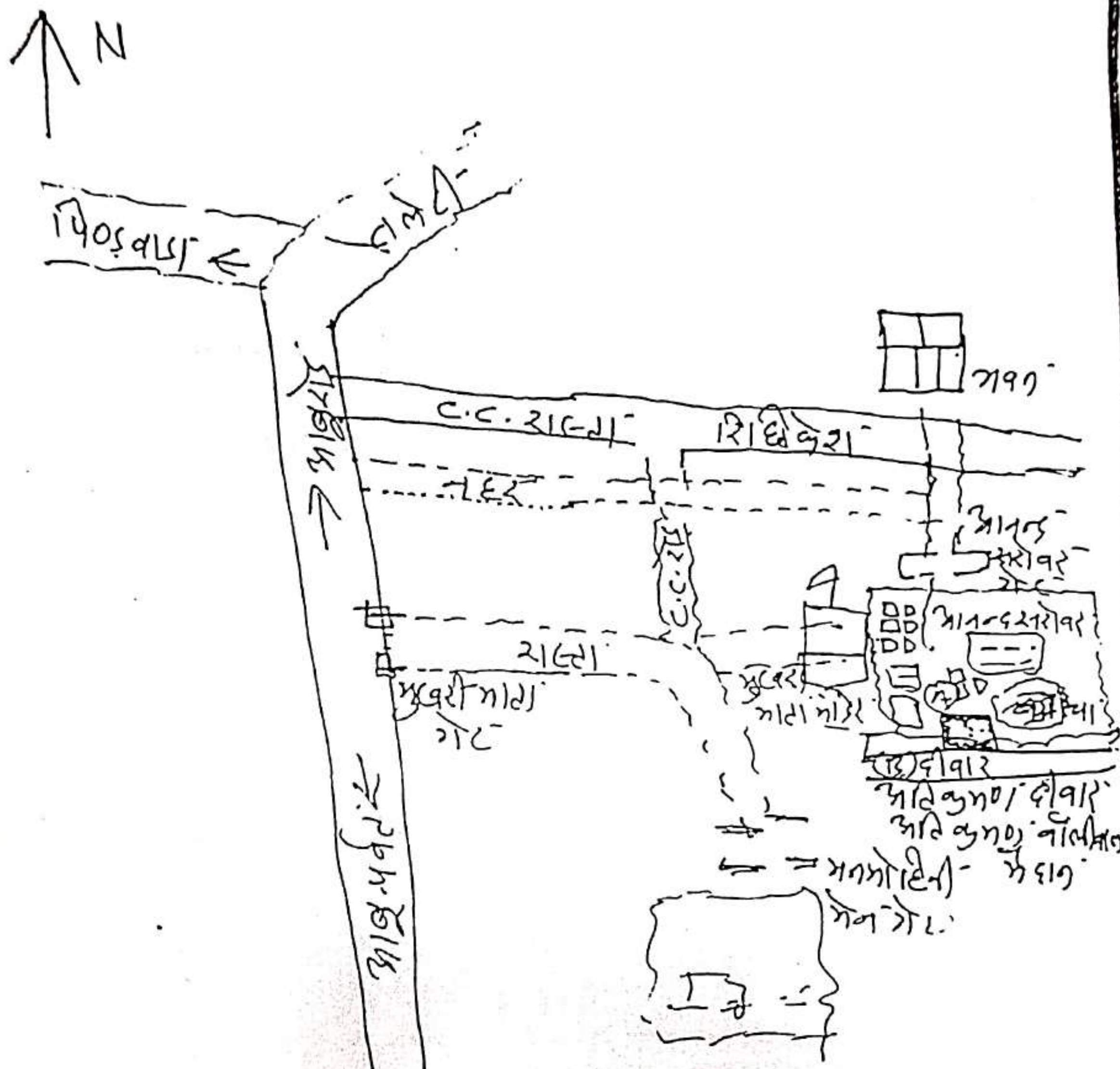

A. अतिक्रमण वॉलीबॉल मैदान
B. अतिक्रमण दीवार व लोहे की फेन्सिंग

R.O. आबूतलेटी

(20) (5)

व. नि. फॉर्म

वन विभाग, राजस्थान

अपराध की प्रारम्भिक सूचना

प्रतीय प्रति

प्रकरण क्रमांक 2(1)5 पृष्ठ क्रमांक

(1) तारीख रिपोर्ट — 18.10.17

(2) दोषी का नाम, जाति, एवं निवासस्थान Brahma Kumari's Secretary General WRST, Managing Director Shantivan Manager, Brahma Kumari's & others Shantivan Abu Taleti (Sirohi)

(3) अपराध का विवरण वन भूमि पर अतिक्रमण कर पक्का निर्माण वन संरक्षण अधि. 1980 की धारा 2 के तहत

(4) घटना का स्थान बीट तलेटी नाका तलेटी

(5) दिनांक अपराध करने का — 18.10.17

(6) विवरण पैदावार जंगल, जो पकड़ी गई व जो कार्यवाही की गई वन्य जीव संरक्षण अधि. की धारा 34(A)

(7) किसकी सुपुर्दगी में रखा गया — — —

(8) गवाह 1. भेरा राम परमार वनपाल

2. महेश कुमार वनरक्षक

वनपाल

हस्ताक्षर रिपोट कुनिन्दा
क्षेत्रीय वन अधिकारी
आबू तलेटी

रिपोर्ट कुनिन्दा को सूचना मिलने से 24 घंटे के अन्दर यह पत्र रवाना करनी चाहिये।

वन्य जीव अभयारण्य माउन्ट आबू के आबू वनखण्ड I ग्राम आबू नं.-2 के खसरा नं. 410, 416, 419 में अतिक्रमण करना

(21)

R.O. आबू तलेटी

(21) (6)

(वन्यजीव संरक्षण अधिनियम,1972 की धारा 50 ( ) के अन्तर्गत)

मौका पंचनामा

वशिलशिले तफ्तीश एफ0आई0आर0 क्रमांक 2064/35 दिनांक 18.10.2017

बमुकाम मनमोहिनी कॉम्पलेक्स, राजवाल, तलेटी

दिनांक 26.05.2022 समय

द्वारा वन अधिकारी :– श्री कानसिंह राजपुरोहित, क्षे० व० अधि० व० जी०, आबूतलेटी

रूबरू हमराहियान :– (1) श्री गजेन्द्र सिंह पंवार, क्षे० व० अ० वन्यजीव, अनादरा व आबूपर्वत

(2) श्री भरतसिंह देवड़ा, क्षे० व० अ०, वनसुरक्षा, आबूपर्वत।

(3) श्रीमति चेतना परमार, सहायक वनपाल।

(4) श्रीमति खुशबू, वनरक्षक

(5)

एवं मौतबीरान श्री :– (1) श्री कोमल भाई

(2) श्री आनन्द भाई

(3)

आज दिनांक 26.05.2022 को कार्यालय उप वन संरक्षक, वन्यजीव, आबूपर्वत के अधीनस्थ कार्यालय रेन्ज वन्यजीव आबूतलेटी, आबूपर्वत, अनादरा एवम् वनसुरक्षा, आबूपर्वत के क्षेत्रीय वन अधिकारी, समस्त वन स्टाफ, वन- विभाग में नियुक्त बोर्डर होमगार्ड्स तथा सदर पुलिस, आबूरोड के पुलिस कर्मियों ने मिलकर, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 34 (ए) में दर्ज विभागीय प्रकरण संख्या 2064/35 दिनांक 18.10.2017 के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर ने दिनांक 23.05.2022 को याचिका संख्या 43/2019 को खारिज करने का निर्णय पारित किया, उक्त निर्णय आदेश की अनुपालना में वन्यजीव अभयारण्य, आबूपर्वत के वनखण्ड नम्बर-1 के ग्राम आबू नम्बर-2 के वन खसरा संख्या 410, 416 एवं 419 में ब्रह्म कुमारीज संस्था, राजवाल द्वारा वन भूमि पर किये गये अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। मौके पर मनमोहिनी कॉम्पलेक्स में बनी 6 मंजिला भवन का कुछ भाग वन भूमि पर निर्मित किया गया था, जिसमें कमरों की गिनती कर निम्नानुसार कमरों एवं बाथरूम को नियमानुसार सील कर राज कब्जे लिया गया। ग्राउण्ड फ्लोअर पर अंकन A-1 बाथरूम एवं अंकन A-4 से A-12 तक कमरें मय बाथरूम, प्रथम फ्लोअर पर अंकन B-1 बाथरूम एवं अंकन B-2 से B-12 तक कमरे मय बाथरूम, द्वितीय फ्लोअर पर अंकन C-1 बाथरूम एवं अंकन C-2 से C-12 तक कमरे मय बाथरूम, तृतीय फ्लोअर पर अंकन D-1 बाथरूम एवं अंकन D-2 से D-12 तक कमरें मय बाथरूम, चतुर्थ फ्लोअर पर अंकन E-1 बाथरूम एवं अंकन E-2 से E-12 तक कमरें मय बाथरूम तथा पंचम फ्लोअर पर अंकन F-1 बाथरूम एवं अंकन F-2 से F-12 तक कमरें मय बाथरूम।

लगातार - - -

(22) (7)

कुल 6 बाथरूम व 6A कमरें मय बाथरूम को कमरे के गेट के बाहर ताला लगाकर सफेद कपड़े से एवं चपड़ी लगाकर सील चस्पा किया गया। मौके पर उक्त कमरों एवं बाथरूमों में कोई भी सामान नही था। मौके पर ग्राउण्ड फ्लोअर पर कमरा अंकन F-2 व F-3 को चौकीदारी हेतु गार्ड्स ड्यूटी के लिए बिना सील चस्पा के राज कब्जे लिया गया। मौके पर गार्डन के अन्दर बने पुराने भवन, दीवार, लोहे का कारखाना, टीन शेड कमरे को जेसीबी नम्बर RJ 24 EA 0233 एवम् स्टॉफ द्वारा ध्वस्त किया गया साथ ही कारखाने के अन्दर निर्मित चौकीदार वॉचटॉवर संरचना को भी सील चस्पा कर राज कब्जे लिया गया। मौके पर अतिक्रमण हटाने की समस्त कार्यवाही वन-विभाग की टीम, पुलिस टीम एवम् ब्रह्मा कुमारीज संस्था के बी०के० कोमल भाई, बी०के० आनन्द भाई एवम् ब्रह्मा कुमारीज संस्था के अन्य मौजूद व्यक्तियों के समक्ष की गई। मौके पर पौधों के गमलों, पेड़-पौधों को कोई भी हानि नही पहुंचाई गई। मौके पर वन-भूमि पर बने गार्डन के गेट पर ताला लगाकर राज कब्जे लिया गया। इस प्रकार वन भूमि पर अतिक्रमण तोड़ने की कार्यवाही शांतिपूर्वक सम्पन्न की हुई।

उक्त मौका पंचनामा हाजरीन के समक्ष बनाया जाकर सभी को दिखाया गया एवं पढ़कर सुनाया गया, जो रावने सही तसलीम किया एवं संतुष्टि के बाद हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी किये, जो वक्त जरूरत काम आवें।

1. [signature]
2. [signature]

नाम गवाह एवं हस्ताक्षर	हस्ताक्षर स्टाफ	हस्ताक्षर मुल्जिम	द्वारा वन अधिकारी
1- आनन्द भाई	लालाराम (?)		[signature] A.O. आबूतलेटी
2- कोमल भाई	नाथूलाल व.र.		

(23) (8)

नजरी नक्शा

1. स्थान :- मनमोहिनी 2. दिनांक :- 26/5/2022

3. समय :-

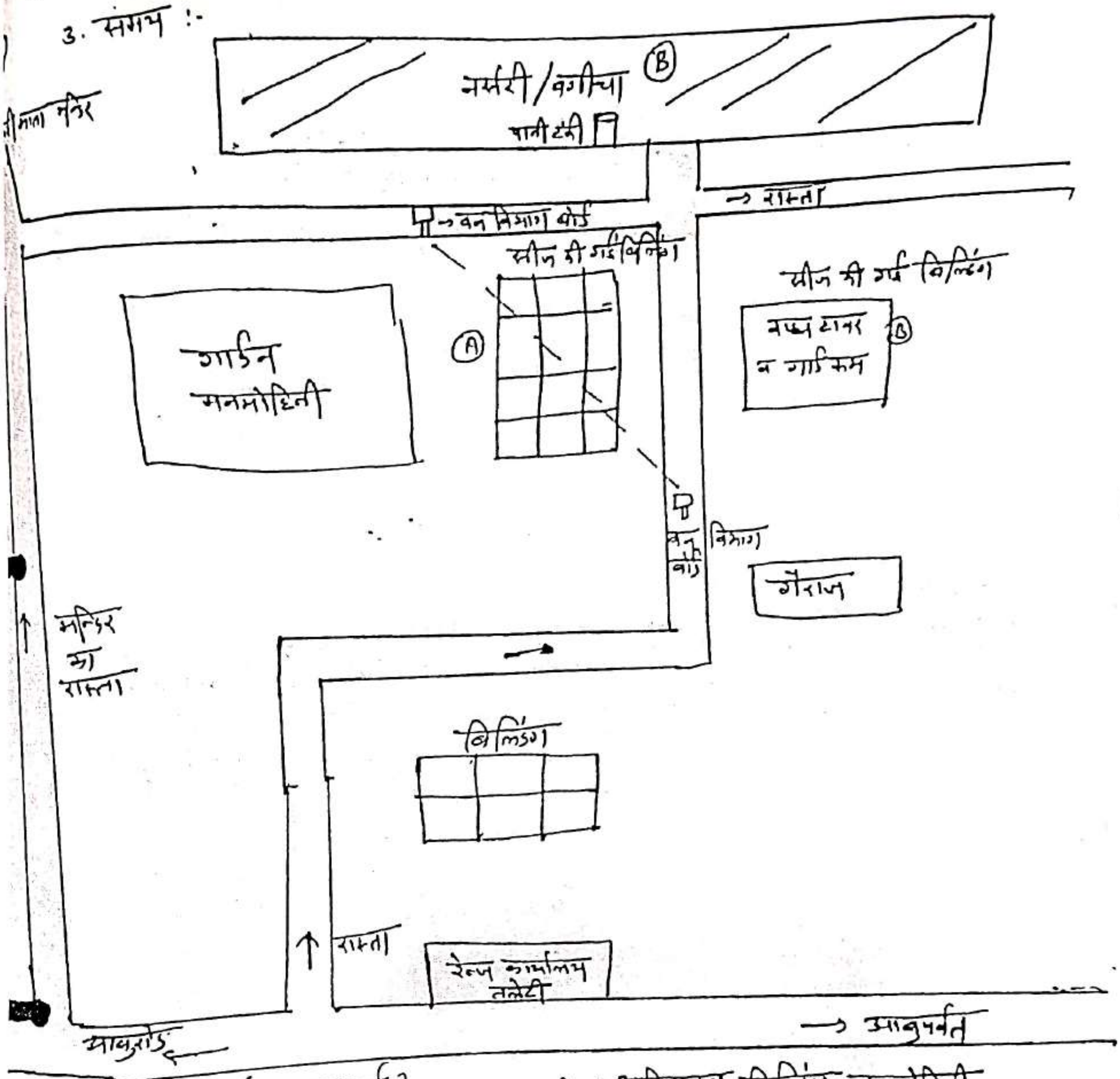

1. (signature) (आनन्द भाई)
2. (signature) (नेमल भाई)

A → अतिक्रमण बिल्डिंग मनमोहिनी

B → अतिक्रमण बगीचा एवं वाच टावर

(वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 50 (') के अन्तर्गत)

(25)

फर्द अभिग्रहण

बसिलसिले तफ्तीश एफ.आई.आर. क्रमांक 2064/35 दिनांक 18/10/2022
बमुकाम मनमोहिनी काम्पलेक्स दानवाव तलेटी
दिनांक 26/5/2022 समय 1- 6.30 pm
द्वारा वन अधिकारी:- श्री कान सिंह राजपुरोहित क्षे.व.अ. वन्यजीव आबूतलेटी

रुबरु हमराहियान (1) श्री गजेन्द्र सिंह पंवार क्षे.व.अ. वन्यजीव, अनादरा व अचलगढ़
(2) श्री भरत सिंह देवड़ा क्षे.व.अ. वनखण्ड आबूपर्वत
(3) श्री कुणाल सिंह, वनरक्षक
(4) श्री नन्दाराम, वनरक्षक

एवं मौतबीरान श्री (1) श्री कोमल भाई
(2) श्री आनन्द भाई
(3) ......

निम्नांकित तालिका में वर्णित वन्यजीव पदार्थ एवं वन्यजीव अपराध सामग्री को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 50 के तहत प्रदत अधिकारों के तहत जब्तराज करके कब्जे सरकार लिया गया तथा कब्जे में लिए गए सामान पर कॉलम में वर्णित विवरणानुसार जब्ती चिन्ह लगाया गया।

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	जब्त सामग्री का विवरण	जब्ती प्रकार का विवरण
2.	A-2 से A-5	कमरे मय बाथरूम	वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण करना
3.		चौकीदार कमरा	
4.		चौकीदार वॉच टॉवर ओवरन गोदाम के अन्दर वाला।	
5.		बगीचा मय पानी की टंकी नीला गेट	

अभिग्रहित सामान की मौके पर फर्द अभिग्रहण बनाई जाकर मौके पर उपस्थित हाजरीन को पढ़कर सुनाई गई, जो की सबने पढ़ सुनकर सही होना तसलीम किया एवं बतौर साक्षी फर्द अभिग्रहण पर हस्ताक्षर/अगूंठा निशानी की गई।

हस्ताक्षर गवाहान	हस्ताक्षर स्टाफ	हस्ताक्षर मुल्जिम	द्वारा वन अधिकारी
(आनन्द भाई) (कोमल भाई)	नन्दाराम व.र. नाथूलाल वर		R.O. आबूतलेटी

(वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 50 ( ) के अन्तर्गत)

10

23

फर्द अभिग्रहण

बसिलसिले तपतीश एफ.आई.आर. क्रमांक 2064/25 दिनांक 18/10/2022
बमुकाम [illegible] तलेटी
दिनांक 26/5/2022 समय :- 6.30 pm
द्वारा वन अधिकारी:- श्रीमान वन अधिकारी [illegible] आबू-तलेटी

रूबरू हमराहियान (1) श्री [illegible] सिंह पंवार, [illegible]
(2) श्री [illegible] सिंह [illegible]
(3) श्री [illegible] सिंह, वनरक्षक
(4) श्री [illegible], वनरक्षक

एवं मौतबीरान श्री (1) श्री कोमल भाई
(2) श्री आनन्द भाई
(3)

निम्नांकित तालिका में वर्णित वन्यजीव पदार्थ एवं वन्यजीव अपराध सामग्री को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 50 के तहत प्रदत अधिकारों के तहत जब्तराज करके कब्जे सरकार लिया गया तथा कब्जे में लिए गए सामान पर कॉलम में वर्णित विवरणानुसार जब्ती चिन्ह लगाया गया।

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	जब्त सामग्री का विवरण	जब्ती प्रकार का विवरण
1.	A-1	बाथरूम नग - 5	वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण करना।
	A-2 से A-12	कमरे मय बाथरूम	
	B-1	बाथरूम नग - 5	
	B-2 से B-12	कमरे मय बाथरूम	
	C-1	बाथरूम नग - 5	
	C-2 से C-12	कमरे मय बाथरूम	
	D-1	बाथरूम नग - 5	
	D-2 से D-12	कमरे मय बाथरूम	
	E-1	बाथरूम नग - 5	
	E-2 से E-12	कमरे मय बाथरूम	
	F-1	बाथरूम नग - 5	
	F-2 से F-12	कमरे मय बाथरूम	

अभिग्रहित सामान की मौके पर फर्द अभिग्रहण बनाई जाकर मौके पर उपस्थित हाजरीन को पढ़कर सुनाई गई, जो की सबने पढ़ सुनकर सही होना तसलीम किया एवं बतौर साक्षी फर्द अभिग्रहण पर हस्ताक्षर/अगूंठा निशानी की गई।

हस्ताक्षर गवाहान	हस्ताक्षर स्टाफ	हस्ताक्षर मुल्जिम	द्वारा वन अधिकारी
(आनन्द भाई) (कोमल भाई)	BV/[illegible], [illegible] व.र., [illegible] व.र.		R.O. आबूतलेटी